छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी 2018 सत्र

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018

तारांकित प्रश्नोत्तर

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

1. (*क्र. 155) **श्रीमती अनिला भेंड़िया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा के अंतर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में कितने ग्रामों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये गये हैं ? (ख) कितने चालू स्थिति में है ? कितने बंद है ? (ग) शेष ग्रामों में सौर ऊर्जा नहीं लग पाने का कारण क्या है, कब तक लगाई जावेगी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहरा के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी ग्राम में सौर ऊर्जा संयंत्र नहीं लगाए गए हैं अपितु 72 ग्रामों के विभिन्न मजरेटोलों में कुल 382 सौर होमलाईट संयंत्र स्थापित किए गए हैं. (ख) उत्तरांश "क" अंतर्गत स्थापित 382 नग सोलर होम लाईट में से 380 सोलर होमलाईट चालू हैं तथा 02 सोलर होमलाईट बंद हैं. (ग) क्रेडा द्वारा विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा के किसी भी ग्राम में वर्तमान में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है. अत: कब तक लगाया जाएगा का प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

जिला कोरिया में पंजीकृत दिव्यांग

2. (*क्र. 1232) **श्री श्यामबिहारी जायसवाल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिला में कितने दिव्यांगजन (विकलांग) पंजीकृत हैं ? कितने पंजीकृत विकलांगों को पेंशन एवं राशन दिया जा रहा है ? (ख) वर्ष 2015-16 से 2017-18 में कितने दिव्यांगों को रोजगार दिया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** (क) कोरिया जिले में कुल 8272 दिव्यांग पंजीकृत हैं. पंजीकृत दिव्यांगों में से 3731 दिव्यांगों को पेंशन एवं 3787 को राशन दिया जा रहा है. (ख) वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कुल 18 दिव्यांगों को रोजगार दिया गया है.

राजनांदगांव जिलान्तर्गत सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना

3. (*क्र. 2659) **श्री गिरवर जंघेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 31-12-2017 तक किन-किन ग्रामों में सौर ऊर्जा पंप की स्थापना की गई ? क्या स्थापित सभी पंप चालू हालत में है ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) राजनांदगांव जिले अंतर्गत किन-किन ग्रामों में सौर ऊर्जा पंप स्थापित किये जाने का प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में जिन ग्रामों में कृषि कार्य तथा पेयजल हेतु कुल 1,893 सौर ऊर्जा पंप की स्थापना की गई है, की ग्रामवार, विकासखंडवार परिशिष्ट "एक" में दर्शित है. उक्त 1,893 पंप में से 1,876 सौर ऊर्जा पंप कार्यशील हैं तथा शेष 17 सौर ऊर्जा पंप बंद हैं. (ख) राजनांदगांव जिले अंतर्गत कृषि तथा पेयजल हेतु जिन ग्रामों में सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना किया जाना है की सूची परिशिष्ट "दो" में दर्शित है.

प्रदेश में सौभाग्य उजाला योजनांतर्गत नि:शुल्क एल.ई.डी. बल्ब वितरण

4. (*क्र. 2591) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौभाग्य योजनांतर्गत प्रदेश में कम खपत वाली एल.ई.डी. बल्ब की कितनी मात्रा किस-किस कंपनी से क्रय कर वितरण किया गया ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) वितरित एल.ई.डी. बल्ब के वारंटी अथवा गारंटी के क्या प्रावधान हैं एवं इसके विरूद्ध कितने रिप्लेस किये गए ? यदि नहीं तो क्यों जिलेवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य योजना में एल.ई.डी. लैम्प के नि:शुल्क वितरण करने हेतु 4,65,000 एल.ई.डी. लैम्प का क्रय भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) से किया गया है. उक्त क्रय किये गये एल.ई.डी. लैम्प में से दिनांक 31-01-2018 तक 75 हजार एल.ई.डी. लैम्प का वितरण किया जा चुका है जिसकी जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) एल.ई.डी. लैम्प की गारंटी, एल.ई.डी. लैम्प के वितरण की तारीख से 03 वर्ष के लिए रहती है. उक्त गारंटी की अवधि में एल.ई.डी. लैम्प के खराब होने पर संबंधित उपभोक्ता की मांग पर 07 कार्य दिवस में उक्त खराब एल.ई.डी. लैम्प को नि:शुल्क बदलने की व्यवस्था है. वर्तमान स्थिति में वितरित एल.ई.डी. लैम्प में से किसी भी लैम्प का रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है. अत: रिप्लेसमेंट नहीं करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

बस्तर संभाग के मजदूरों को अन्य प्रान्तों में बंधक बनाने की प्राप्त शिकायतें

5. (*क्र. 2667) **श्री दीपक बैज :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से जनवरी 2018 तक बस्तर संभाग के मजदूरों को अन्य कौन-कौन से प्रांतों में कब-कब कितने मजदूरों को बंधक बनाकर रखे जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? कितने मजदूरों की मृत्यु से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है ? वर्षवार शिकायतवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? कितने मजदूरों को मुक्त कराया गया ? मुक्त हुये मजदूरों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ? उनमें से चित्रकोट विधानसभा के कितने मजदूर हैं ? (ग) मजदूरों के पलायन को रोकने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) वर्ष 2016-17 से जनवरी 2018 तक बस्तर संभाग के 67 मजदूरों को कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना प्रान्त में बंधक बनाकर रखे जाने की कुल 07 शिकायतें प्राप्त हुई. मजदूरों की मृत्यु से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. वर्षवार, शिकायतवार जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) उक्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट "अ" में है. जॉच में बंधक पाये गये 13 श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया, जिसमें से 10 मजदूर चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के हैं. अवमुक्त 13 बंधक श्रमिकों के परिवार को राशनकार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार पंजीयन कार्ड शासन की योजनाओं के अंतर्गत सुविधायें प्राप्त करने हेतु दी गई है. पुनरीक्षित बंधक श्रम पुनर्वास सहायता योजना 2016 के तहत बंधक श्रम पुनर्वास सहायता राशि, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियोजक के दोष सिद्ध होने के उपरांत दिये जाने का प्रावधान है. संबंधित राज्य में नियोजक के दोष सिद्ध होने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) शासन द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार पंजीयन कार्ड एवं आवास योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है.

बलरामपुर जिले में अमृत दूध योजना के तहत आवंटित राशि

6. (*क्र. 1445) **श्री बृहस्पत सिंह :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृत दूध योजनांतर्गत बलरामपुर जिले में वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 में कितनी राशि आवंटित की गई ? कितनी राशि व्यय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : मुख्यमंत्री अमृत योजनांतर्गत बलरामपुर जिले को वर्ष 2016-17 में कुल 81 लाख रु. का आवंटन दिया गया एवं उक्त आवंटन के विरूद्ध कुल 58 लाख 06 हजार 238 रु. व्यय किये गये. वर्ष 2017-2018 में कुल 01 करोड़ 04 लाख 24 हजार रु. का आवंटन दिया गया एवं उक्त आवंटन के विरूद्ध दिनांक 15-01-2018 तक कुल 62 लाख 03 हजार 400 रु. व्यय किये गये.

जिला बेमेतरा में गौण खनिज एवं डी.एम.एफ. मद में प्राप्त राशि

7. (*क्र. 2645) **श्री अवधेश सिंह चंदेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बेमेतरा में गौण खनिज मद, डी.एम.एफ. मद में वर्ष 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) प्राप्त राशि से उक्त अवधि में कौन-कौन से कार्यों की कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बेमेतरा जिले में गौण खनिजों से वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 4 करोड़ 47 लाख 19 हजार तथा वर्ष 2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक) में राशि रुपये 1 करोड़ 43 लाख 26 हजार रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुआ है. जिला खनिज संस्थान न्यास निधि (डी.एम.एफ.) में वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 51 लाख 73 हजार 595 तथा वर्ष 2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक) में राशि रुपये 28 लाख 19हजार 718 प्राप्त हुआ है. (ख) गौण खजिनों से वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में आवंटन हेतु प्राप्त राशि में से स्वीकृत कार्यो एवं स्वीकृत राशि की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. डी.एम.एफ. मद में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि में से स्वीकृत कार्यों की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

† परिशिष्ट "एक" †† परिशिष्ट "दो" ‡ परिशिष्ट "तीन"

जांजगीर-चाम्पा जिलान्तर्गत के.एस.के. पॉवर प्लांट अंतर्गत कार्यरत श्रमिक

8. (*क्र. 2213) **श्री टी.एस. सिंहदेव :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिलान्तर्गत स्थापित के.एस.के. पॉवर प्लांट में वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में कुल कितने कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल कर्मचारी नियोजित रहे ? उसमें से स्थानीय कर्मचारियों की संख्या वर्षवार, श्रेणीवार बतावें ? (ख) क्या श्रम विभाग द्वारा के.एस.के. पॉवर प्लांट में नियोजित श्रमिकों की जानकारी नियमानुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जांजगीर-चाम्पा को दी गई है ? यदि हां तो कब-कब ? तिथि सहित कर्मचारियों की सूची देवें? (ग) प्रश्नांश "क" की अवधि में श्रम विभाग के किस अधिकारी द्वारा कब-कब के.एस.के. पॉवर प्लांट का निरीक्षण किया गया है ? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई ? अनियमितताएं पाये जाने पर संयंत्र के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) जांजगीर-चाम्पा जिलान्तर्गत स्थापित के.एस.के. पॉवर प्लांट में वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में कुल नियोजित कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रमिकों एवं उसमें से स्थानीय श्रमिकों की संख्या वर्षवार, श्रेणीवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में है. (ख) जी नहीं. श्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिकों के नियोजन संबंधी जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दिये जाने का प्रावधान नहीं है. अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश "क" की अवधि में के.एस.के. पॉवर प्लांट में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न श्रम अधिनिमयों के अंतर्गत कुल 25 निरीक्षण किये गए एवं 13 अभियोजन माननीय न्यायालय में दायर किये गये. निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी का पदनाम, निरीक्षण की तिथि, निरीक्षण के दौरान पाई गई. अनियमितता एवं अनियमितता के लिए संयत्र के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में है.

बस्तर संभाग में क्रेडा एवं उद्योग विभाग द्वारा वृक्षारोपण

9. (*क्र. 1483) **श्री लखेश्वर बघेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर संभाग में वर्ष 2015 से जनवरी 2018 की स्थिति में क्रेडा एवं उद्योग विभाग द्वारा कहां-कहां कितनी संख्या में वृक्षारोपण किया गया है ? उसमें कितनी राशि किसके द्वारा व्यय की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** प्रश्नाधीन अवधि में क्रेडा एवं उद्योग विभाग द्वारा बस्तर संभाग में कहीं भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है. अत: वृक्षारोपण में कितनी राशि किसके द्वारा व्यय की गई, का प्रश्न उद्‍भूत नहीं होता है.

जिला कोरबा में महिला एवं बाल विकास विभाग में सामग्री क्रय

10. (*क्र. 2578) **श्री जयसिंह अग्रवाल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला अंतर्गत 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर 2017 तक किन-किन सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा जारी की गई ? (ख) उक्त जारी निविदा के तहत कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई ? (ग) कितनी सामग्रियों का भुगतान किया जा चुका है तथा कितनी सामग्री का भुगतान शेष है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** (क) प्रश्नाधीन अवधि में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्री-स्कूल किट तथा आंगनबाड़ी सह क्रैश संबंधी सामग्री क्रय हेतु निविदा जारी की गई. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ग) †† संलग्न प्रपत्र "अ" में वर्णित सामग्री में से वर्ष 2016-17 में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु क्रय की गई प्री-स्कूल किट सामग्री का भुगतान शेष है, जिसका विवरण †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है. शेष सामग्री का भुगतान किया गया है.

जिला कांकेर में लोक सुराज अभियान के तहत् प्राप्त प्रकरणों का निराकरण

11. (*क्र. 2141) **श्री मनोज सिंह मंडावी :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2018 तक शासन द्वारा चलाये गये लोक सुराज अभियान के तहत् कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है एवं कितने लंबित है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

---

† परिशिष्ट "चार" †† परिशिष्ट "पांच"

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) एवं (ख) प्रश्नावधि में जिला कांकेर में लोक सुराज अभियान में प्राप्त, निराकृत एवं लंबित शिकायत संबंधी आवेदनों की जानकारी विकासखण्डवार निम्नानुसार है :—

क्र.	विकासखण्ड का नाम	शिकायत संबंधी आवेदन								
		वर्ष 2016			वर्ष 2017			वर्ष 2018		
		प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	कांकेर	25	25	0	261	261	0	336	209	127
2.	चारामा	33	33	0	270	270	0	345	71	274
3.	नरहरपुर	0	0	0	86	86	0	260	111	149
4.	अन्तागढ़	16	16	0	373	373	0	176	64	112
5.	कोयलीबेड़ा	43	43	0	174	174	0	253	101	152
6.	दुर्गूकोन्दल	32	32	0	490	490	0	151	47	104
7.	भानुप्रतापपुर	4	4	0	555	555	0	390	82	308
	योग	**153**	**153**	**0**	**2209**	**2209**	**0**	**1911**	**685**	**1226**

अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में भवन/अहाता विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

12. (*क्र. 1876) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? कितने भवन/अहाता विहीन हैं ? (ख) कितने केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं ? कितने केन्द्र के भवन/अहाता निर्माणाधीन हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) अहिवारा विधान सभा क्षेत्र में 257 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. 60 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन हैं तथा स्वयं के भवन में संचालित केन्द्रों में से 83 केन्द्र अहाता विहीन हैं. (ख) 46 केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं. 18 केन्द्र के अहाता युक्त भवन निर्माणाधीन हैं.

जिला जांजगीर-चांपा में जिला खनिज न्यास संस्था (डीएमएफ) से स्वीकृत स्कूल भवन

13. (*क्र. 2498) **श्री केशव चन्द्रा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर चाम्पा अंतर्गत जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ) के गठन से दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक कितने स्कूल भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** जिला जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के गठन से दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक 304 स्कूल भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है.

आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्री स्कूल किट का प्रदाय

14. (*क्र. 2662) **श्री भूपेश बघेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015-16 के बजट में आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्री स्कूल किट प्रदाय करने हेतु दिए गए आवंटन से किन-किन जिलों में भण्डार क्रय नियम के अनुसार क्रय की कार्यवाही की गई तथा किन-किन जिलों में निविदा आमंत्रित न कर सीधे केन्द्रीय भण्डार से क्रय आदेश दिया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

† परिशिष्ट "छ:"

प्रदेश में मितानिनों की संख्या

15. (*क्र. 2415) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मितानिनों की संख्या कितनी है ? जिलेवार बतायें ? कोटा विधान सभा क्षेत्र में कितनी मितानिन कार्यरत हैं ? (ख) क्या उन्हें शासन से यूनिफार्म (गणवेश) प्रदाय किया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** (क) प्रदेश में कुल 69991 मितानिन हैं. जिनकी जिलेवार संख्या संलग्न है (संलग्न). कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 589 मितानिन हैं. (ख) मितानिनों को शासन के द्वारा यूनिफार्म (गणवेश) प्रदाय नहीं किया जाता है.

जिला रायगढ़ में कुपोषण पर व्यय राशि

16. (*क्र. 2637) **श्री उमेश पटेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिलान्तर्गत विभिन्न विकासखण्डों में वर्ष 2017-18 में कितने बच्चे गंभीर कुपोषित, मध्यम कुपोषित तथा कुपोषित पाये गये हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कुपोषण को दूर करने हेतु कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? (ग) पिछले वर्ष नवाजतन योजना में कितने बच्चे गोद लिये गये और कितने सुपोषित हुए ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** (क) वजन त्यौहार वर्ष 2017 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार विकासखण्डवार कुपोषित बच्चों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) कुपोषण को दूर करने हेतु विविध प्रयास किए जाते हैं. प्रमुख घटकों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 जनवरी 2018 की स्थिति में व्यय की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है. (ग) विगत वर्ष 2016-17 में नवा जतन योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले में कुल 4800 बच्चे चिन्हांकित किए गए थे जिनमें से 2708 बच्चे सामान्य श्रेणी में आये हैं.

मांढर सीमेंट फेक्टरी को आवंटित जमीन

17. (*क्र. 2422) **श्री सत्यनारायण शर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मांढर सीमेण्ट फेक्टरी को खनन के लिये कितनी हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी ? (ख) सीमेण्ट फेक्टरी बंद होने पर क्या उस जमीन को वापस ले लिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मांढर स्थित सीमेंट फेक्टरी हेतु स्वीकृत खनिपट्टों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्राम पत्थरी, तरेसर के रकबा 365.21 एकड़ में स्वीकृत चूनापत्थर खनिपट्टा का नवीनीकरण प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से इसमें समाहित भूमि यथावत् है. ग्राम मटिया, लालपुर, दोंदेकला, खुर्द के रकबा 599.58 एकड़ एवं ग्राम लालपुर, तर्रा के रकबा 92.19 एकड़ क्षेत्र पर स्वीकृत खनिपट्टा अंतर्गत समाहित शासकीय भूमि खनिपट्टा अवधि समाप्ति उपरांत स्वमेव शासन को प्राप्त हो गई है.

अन्य क्षेत्र/राज्य के आगंतुको को राज्य अतिथि घोषित करने के नियम/निर्देश

18. (*क्र. 2641) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट जनों, धर्म गुरूओं एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य आगमन पर राज्य अतिथि घोषित किये जाने के संबंध में शासन के क्या नियम/निर्देश हैं ? (ख) प्रश्नांक "क" के परिप्रेक्ष्य में विगत 3 वर्षों में तथा दिनांक 03-02-2018 किन-किन को राज्य अतिथि घोषित किया गया ? (ग) प्रश्नांक "ख" के अतिथियों को सुरक्षा सहित अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) राज्य अतिथि घोषित किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि नियम 2003 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" पर है. (ख) विगत 3 वर्षों में राज्य अतिथि घोषित किये जाने का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" पर है. दिनांक 03-02-2018 को किसी भी अतिथि को राज्य अतिथि घोषित नहीं किया गया है. (ग) राज्य अतिथियों के प्राप्त दौरा कार्यक्रमों को राज्य शिष्टाचार अधिकारी मंत्रालय नया रायपुर द्वारा, संबंधित जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही के लिये पत्र प्रेषित किया जाता है.

---

† परिशिष्ट "सात"

†† परिशिष्ट "आठ"

मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र में अस्थाई विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदन

19. (*क्र. 2575) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में 11 जनवरी, 2018 तक की स्थिति में कुल कितने कृषकों को कृषि कार्य हेतु स्थाई या अस्थाई विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन प्राप्त हुये हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कितने कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिया गया ? कितने किसानों के आवेदन लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) प्रश्नाधीन अवधि में मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थायी सिंचाई पम्प विद्युत कनेक्शन तथा अस्थायी सिंचाई पम्प विद्युत कनेक्शन हेतु क्रमशः 764 एवं 1,321 आवेदन प्राप्त हुये. विकासखण्डवार प्राप्त स्थायी/अस्थायी सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु आवेदनों की संख्या † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) अस्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त सभी 1,321 आवेदनों पर अस्थायी कनेक्शन दे दिये गये है. लेकिन स्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त 764 प्ररकणों में संबंधित कृषकों द्वारा औपचारिकतापूर्ण नहीं करने के कारण 199 आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं. औपचारिकता पूर्ण 565 आवेदनों में से 389 प्रकरणों में सिंचाई पम्प विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं तथा शेष 176 प्रकरणों में लाइन विस्तार कार्य प्रगति पर होने से सिंचाई पम्प कनेक्शन लंबित हैं.

जिला राजनांदगांव में श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं सामग्री क्रय हेतु आवंटित राशि

20. (*क्र. 2653) **श्री भोलाराम साहू :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2016-17 में दिसम्बर, 2017 तक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा के द्वारा श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं सामग्री क्रय हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई ? कृपया वर्षवार विकासखंडवार बतावें. (ख) प्राप्त राशि से प्रशिक्षण एवं सामग्री क्रय में किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2016-17 में 31 दिसम्बर, 2017 तक छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 18,34,47,500 एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत कुल राशि रु. 2,74,00,000/- का आवंटन प्रदाय किया गया है तथा सामग्री क्रय हेतु राशि आवंटित नहीं की गई है. वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" में है. विकासखण्डवार आवंटन प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है. (ख) प्राप्त राशि से प्रशिक्षण में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत कुल राशि रुपये 15,89,89,939/- एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत राशि रुपये 98,90,610/- व्यय की गई तथा सामग्री क्रय में व्यय निरंक है. प्रशिक्षण पर हुए व्यय की मदवार और विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" एवं "द" में है.

कोण्डागांव में जिला स्टेडियम एवं स्वीमिंग पुल निर्माण की स्वीकृति

21. (*क्र. 2617) **श्री मोहन मरकाम :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्रमांक 251) दिनांक 19-12-2017 के उत्तर में जिला स्टेडियम व स्वीमिंग पूल निर्माण हेतु अंतिम चरण की स्वीकृति प्राप्त होना बताया गया है? यदि हां तो स्वीकृति किस दिनांक को प्राप्त हुई ? (ख) उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) जी हां. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर के पत्र दिनांक 05-04-2017 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई. (ख) निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

22. (*क्र. 307) **श्री चिन्तामणी महाराज :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? (ख) क्या सभी केन्द्र शासकीय भवनों से संचालित हो रहे हैं ? (ग) यदि नहीं तो शासकीय भवनों की व्यवस्था शासन द्वारा कब तक कर ली जावेगी ?

† परिशिष्ट "नौ"

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में कुल 650 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 197 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. (ख) सभी केन्द्र शासकीय भवन में संचालित नहीं हो रहे हैं. 395 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 10 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन, 09 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 00 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवन, 231 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 181 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन तथा 15 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 06 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक सहयोग के भवन में संचालित हो रहे हैं. (ग) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है, अत: स्वयं के शासकीय भवन की व्यवस्था हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों को प्रशिक्षण/अनुदान

23. (*क्र. 457) **श्री जनकराम वर्मा :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा विभिन्न योजना के तहत पंजीकृत कितने श्रमिकों को प्रशिक्षण/सामग्री क्रय/अनुदान हेतु कितनी-कितनी राशि वर्ष 2016-17 से जनवरी, 2018 तक स्वीकृत किया गया है ? वर्षवार योजनावार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को क्या-क्या सामग्री वितरण किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 31 जनवरी 2018 तक प्रशिक्षण/ सामग्री क्रय/अनुदान हेतु छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 5,300 निर्माण श्रमिकों को राशि रुपये 5,19,90,384 तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा 190 कर्मकारों को राशि रुपये 2,27,334 स्वीकृत किया गया है. योजनवार एवं वर्षवार जानकारी प्रपत्र "अ" एवं "ब" में † संलग्न है. छ.ग. श्रम कल्याण मंडल द्वारा अभिदाय दाता श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत उल्लेखित अवधि में 336 श्रमिकों को राशि रुपये 8,16000 स्वीकृत किया गया है. जानकारी प्रपत्र "स" में † संलग्न है. (ख) कंडिका "क" अंतर्गत छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत 13 निर्माण श्रमिकों को सायकल वितरण किया गया. छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल एवं छ.ग. श्रम कल्याण मंडल द्वारा सामग्री वितरण नहीं किया गया.

मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में तीर्थ यात्रा से लाभान्वितों की संख्या

24. (*क्र. 1373) **श्री दिलीप लहरिया :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के कितने बुजुर्गों को वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में तीर्थ यात्रा के लिए नामित किया गया ? संख्यावार जानकारी देवें. (ख) क्या इस दौरान अनियमितता की शिकायत मिली है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के लिए संख्यावार वर्ष 2015-16 में 608, वर्ष 2016-17 में 336 व वर्ष 2017-18 में 322 को तीर्थयात्रा के लिए नामित किया गया. (ख) हां. यात्रा दिनांक 28-08-2016 के संबंध में की गई शिकायत की जांच संयुक्त संचालक, समाज कल्याण, बिलासपुर द्वारा किए जाने पर शिकायत के तथ्यों की पुष्टि नहीं हो पाई.

जिला सुकमा में सौर नल जल योजना की स्थिति

25. (*क्र. 851) **श्री कवासी लखमा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से दिसम्बर 2017 तक जिला सुकमा में कितने सौर ऊर्जा नल जल योजना स्थापित की गई ? (ख) इसमें कितने चालू हैं तथा कितने बंद हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2014 से दिसम्बर 2017 तक जिला सुकमा में नल जल योजना अंतर्गत 41 सौर ऊर्जा ड्यूल पंप स्थापित किये गए हैं. (ख) उत्तरांश "क" में उल्लेखित सभी 41 सौर ऊर्जा ड्यूल पंप कार्यशील हैं. अत: कितने बंद हैं का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

----

† परिशिष्ट "दस"

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र में पं. दीनदयाल जीवन ज्योति योजना अंतर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

1. (क्र. 461) **श्री जनकराम वर्मा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा बलौदाबाजार क्षेत्र अंतर्गत पं. दीनदयाल जीवन ज्योति योजना से कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है एवं कितने ग्राम प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम/बसाहटें विद्युतीकृत हैं अत: दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत जिला बलौदाबाजार हेतु स्वीकृति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार के किसी भी ग्राम को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है. अत: कितने ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं का प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता.

बस्तर संभाग के वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति पर कार्यवाही

2. (क्र. 1041) **श्री शंकर ध्रुवा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर संभाग अंतर्गत वन विभाग के कितने अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध ए.सी.बी. तथा ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत भ्रष्टाचार/रिश्वतखोरी तथा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने के मामले में जिला न्यायालय/विशेष न्यायालय में दर्ज अपराधिक प्रकरणों में वर्ष 2014-15 से दिसंबर, 2017 तक पारित आदेश में किन-किन अधिकारी/कर्मचारी को दोषसिद्ध पाकर सजा दी गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : बस्तर संभाग अंतर्गत वन विभाग के 03 अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध ए.सी.बी. तथा ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत भ्रष्टाचार/रिश्वतखोरी तथा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित किये जाने के मामले में जिला न्यायालय/विशेष न्यायालय में दर्ज आपराधिक प्रकरणों में वर्ष 2014-15 से दिसम्बर, 2017 तक 03 अधिकारी/कर्मचारी को दोषसिद्ध पाकर सजा दी गई, जिसकी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है.

विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में श्रमिक दुर्घटना/मृत्यु पश्चात् भुगतान राशि

3. (क्र. 1108) **श्रीमती अनिला भेंड़िया :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में पंजीकृत श्रमिकों में कितने श्रमिकों का वर्ष 2015-16 से 2017-18 में दुर्घटना एवं अन्य कारणों से मृत्यु हुई है ? (ख) मृत श्रमिकों के परिवारों को कितनी-कितनी राशि दी गई ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा अंतर्गत छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पंजीकृत श्रमिकों में से वर्ष 2015-16 में 16, वर्ष 2016-17 में 13 तथा वर्ष 2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक) में निरंक श्रमिकों की सामान्य मृत्यु हुई है. दुर्घटना मृत्यु निरंक है. (ख) उपरोक्त 29 मृतक श्रमिकों के उत्तराधिकारी को राशि रुपये 25,000 के मान से अनुग्रह सहायता राशि रुपये 7,25,000 प्रदाय किया गया है तथा 29 में से 13 श्रमिकों के उत्तराधिकारी द्वारा अंत्येष्टि सहायता हेतु आवेदन किये जाने पर अंत्येष्टि हेतु सहायता राशि रुपये 5,000 के मान से राशि रुपये 65,000 प्रदाय की गई है.

प्रदेश में संचालित दिव्यांग महाविद्यालय

4. (क्र. 1341) **श्री सत्यनारायण शर्मा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने दिव्यांग महाविद्यालय संचालित हैं ? (ख) उक्त महाविद्यालय में कितने पद स्वीकृत एवं भरे हुए हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत केवल 01 दिव्यांग महाविद्यालय संचालित हैं. (ख) महाविद्यालय में कुल 31 पद स्वीकृत हैं, एवं सभी पद रिक्त हैं.

---

† परिशिष्ट "ग्यारह"

मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित विद्युत स्टेशन

5. (क्र. 1374) **श्री दिलीप लहरिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने 132 के.व्ही. का विद्युत स्टेशन किन-किन जगहों पर लगाया जाना प्रस्तावित है ? (ख) प्रस्तावित कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधानसभा क्षेत्र मस्तुरी के किसी भी स्थल पर 132/33 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित नहीं है. (ख) उत्तरांश ''क'' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत कन्याओं का विवाह

6. (क्र. 1484) **श्री लखेश्वर बघेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015 से जनवरी 2018 की स्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी कन्याओं का विवाह कराया गया एवं वर्ष 2015 से कितनी कन्याओं का विवाह विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कराया गया है ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : प्रश्नांश की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्टोन खनन/रेत खनन हेतु प्रदत्त लीज

7. (क्र. 1595) **डॉ. सनम जांगड़े :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 से दिसंबर, 2017 तक कुल कितनी संख्या में कितनी स्थानों पर स्टोन खनन हेतु लीज कितनी अवधि के लिए दी गई है ? लीज की अवधि व जमीन की मात्रा तथा लीज प्राप्तकर्ता के नाम की सूची उपलब्ध करावें ? (ख) क्या उक्त अवधि में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही हुई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 से दिसंबर 2017 तक स्टोन (निम्न श्रेणी चूनापत्थर) खनन हेतु 01 उत्खननपट्टा ग्राम सोहागपुर 0.426 हेक्टर क्षेत्र पर 10 वर्ष की अवधि के लिए मेसर्स लक्ष्मी मिनरल्स प्रो. श्रीमती इंदिरा चंद्रा को स्वीकृत है. (ख) जी हां. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा प्लेट के प्राप्त आवेदन

8. (क्र. 1604) **डॉ. सनम जांगड़े :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र में बिलाईगढ़ अंतर्गत वर्ष 2014-15 से दिसम्बर, 2017 तक ऊर्जा (क्रेडा) विभाग को कितने कृषकों के सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा प्लेट के आवेदन प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितने कृषकों को सौर ऊर्जा प्लेट प्रदान किया है ? (ख) प्रश्नांश ''क'' के तहत कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक करेंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ अंतर्गत वर्ष 2014-15 से दिसम्बर 2017 तक क्रेडा को सौर सिंचाई पंप स्थापना हेतु 962 आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से 550 कृषकों के प्रकरण में सौर ऊर्जा पंप स्थापित कर दिये गए हैं. (ख) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित 962 आवेदनों में से 153 आवेदन निरस्त किए गए हैं. शेष 809 आवेदनों में से 550 प्रकरणों में सौर ऊर्जा पंप की स्थापना उपरांत 259 प्रकरणों में सौर ऊर्जा पंप की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है, स्थापना कार्य प्रगति पर है.

---

† परिशिष्ट ''बारह''

†† परिशिष्ट ''तेरह''

सरगुजा संभाग के दिव्यांगजनों का पंजीयन एवं वितरित पेंशन

9. (क्र. 2014) **डॉ. प्रीतम राम :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सरगुजा संभाग में कुल कितने दिव्यांगजन (विकलांग) दिसम्बर 2017 की स्थिति में पंजीकृत हैं ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) कितने दिव्यांगों को पेंशन दिया जा रहा है? कितने को नहीं ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ग) वर्ष 2015-16 से 2017-2018 में दिसंबर 2017 तक कितने दिव्यांगों को रोजगार दिया गया ? वर्षवार जिलेवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** (क) प्रदेश के सरगुजा संभाग में दिसम्बर 2017 की स्थिति में जिला सरगुजा-9398, सूरजपुर-3195, बलरामपुर-7174, कोरिया-8272 तथा जशपुर में 22186 दिव्यांगजन पंजीकृत हैं. (ख) प्रपत्र "अ" पर † संलग्न है. (ग) प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

विधानसभा क्षेत्र सक्ती में मितानिनों को सायकल वितरण

10. (क्र. 2150) **डॉ. खिलावन साहू :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सक्ती में मितानिनों को वर्ष 2014-15 से जनवरी 2018 तक कितनी साईकलों का वितरण किया गया है ? वर्षवार विकासखंडवार जानकारी दें ? (ख) कितना वितरण किया जाना शेष है ? कब तक पूर्ण वितरित कर दी जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) विधानसभा क्षेत्र सक्ती में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से जनवरी, 2018 तक पंजीकृत पात्र 78 मितानिनों को सायकल वितरण किया गया है. वर्षवार विकासखंडवार जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) विधानसभा क्षेत्र सक्ती में कुल 569 मितानिन कार्यरत हैं, जिनमें से 504 मितानिन छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत पंजीकृत है. मंडल द्वारा असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत मितानिनों को सायकल दिये जान का प्रावधान है. मंडल में पंजीकृत 504 मितनिनों में से 388 मितानिनों को योजना के अंतर्गत सायकल सहायता की पात्रता है, जिसमें से 377 मितानिनों को जनवरी 2018 तक योजना अंतर्गत सायकल वितरण किया जा चुका है. शेष 11 पंजीकृत मितानिनों द्वारा योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने एवं अब तक पंजीकृत नहीं हुए 65 मितानिनों द्वारा पंजीयन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पंजीयन कार्यवाही की जावेगी एवं पंजीयन उपरांत नियमानुसार पात्र पाये जाने पर योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर सायकल वितरण की कार्यवाही की जावेगी.

जिला कोण्डागांव में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु क्रय खेल सामग्री

11. (क्र. 2260) **श्री संतराम नेताम :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोण्डागांव में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? उक्त केन्द्रों में कितनी-कितनी मात्रा में खेल सामग्री वर्ष 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक किन-किन फर्म संस्था से क्रय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** जिला कोण्डागांव में कुल 1445 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. शेष प्रश्नांश की जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

केशकाल विधानसभा क्षेत्र में खनिज से प्राप्त रायल्टी

12. (क्र. 2261) **श्री संतराम नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 31 दिसम्बर 2017 तक की स्थिति में खनिज रायल्टी से कितनी राशि प्राप्त हुई है ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) रायल्टी से प्राप्त राशि से क्या क्या कार्य कराये गये हैं ? वर्षवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खदानों से वर्ष 2016-17 में राशि 05 लाख 91 हजार 750 रुपये तथा 2017-18 में 31 दिसम्बर, 2017 तक राशि 05 लाख 57 हजार 500 रुपये खनिज रायल्टी प्राप्त हुई. (ख) गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी राशि में से त्रिस्तरीय पंचायतों को संवितरित राशि से वर्ष 2016-17 में सड़क मुरूमीकरण, आर.सी.सी. पुलिया निर्माण एवं सौर ऊर्जा सोलर स्ट्रीट लाईट प्रदाय करने का कार्य कराया गया. वर्ष 2017-18 में कोई कार्य नहीं कराया गया है.

---

† परिशिष्ट "चौदह" †† परिशिष्ट "पंद्रह" ‡ परिशिष्ट "सोलह"

जिला-रायगढ़ में पेंशन से वंचित हितग्राही

13. (क्र. 2273) **श्री उमेश पटेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिलान्तर्गत पेंशन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने-कितने हितग्राही है ? जानकारी विकासखण्डवार देवें कितने-कितने हितग्राही बैंक से जुड़ गये हैं ? (ख) पेंशन की पात्रता के लिए 2002 की बी. पी. एल. सूची की अनिवार्यता के कारण कितने हितग्राही पेंशन से वंचित है कि ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** (क) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) नियमोचित पात्रता पाये जाने पर स्वीकृति दी जाती है, जिसमें बी.पी.एल. की सर्वे सूची 2002 की अनिवार्यता है. आवेदित किये गये आवेदनों में से 4,813 आवेदन अपात्र पाये गये हैं.

जाति प्रमाण-पत्र हेतु उच्च स्तरीय छानबीन गठित समिति

14. (क्र. 2459) **श्री टी. एस. सिंहदेव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2014 से 31 जनवरी 2018 के मध्य जाति प्रमाण-पत्र के किन-किन मामलों में माननीय न्यायालयों के निर्देश के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा कब-कब जाति प्रमाण-पत्र उच्च्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया ? (ख) समिति में कौन-कौन सदस्य थे ? समिति में सदस्यों की नियुक्ति का आधार क्या था? उनके नाम, पदनाम एवं समिति के कार्यकाल सहित जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) प्रश्नांकित अवधि के मध्य सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 17 मार्च 2017 द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का गठन किया गया है. (ख) उक्त समिति में पदनाम से संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास (सदस्य) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (सदस्य सचिव) एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास (सदस्य) मनोनीत हैं. समिति का गठन छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत किया गया है जिसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है.

सौभाग्य योजना के तहत कोरबा नगर के वार्डों का विद्युतीकरण

15. (क्र. 2579) **श्री जयसिंह अग्रवाल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 दिसंबर 2017 तक सौभाग्य योजना के तहत कोरबा नगर के किन-किन वार्डों का विद्युतीकरण कर कितने कनेक्शन प्रदान किए गए ? (ख) सौभाग्य योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? तथा कितने आवेदन का निराकरण कर लिया गया है ? शेष को कब तक विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य योजना के अंतर्गत कोरबा नगर में दिनांक 31 दिसंबर 2017 तक किसी भी वार्ड में विद्युत लाइन विस्तार का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. अत: विद्युत लाइन विस्तार उपरांत उक्त योजना के तहत कनेक्शन प्रदान किये जाने की जानकारी निरंक है. (ख) कोरबा नगर के अंतर्गत सौभाग्य योजना के तहत कुल 2,473 आवेदन प्राप्त हुये हैं. उक्त आवेदनों में से 207 प्रकरणों में ऑन लाइन नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है. शेष 2,266 प्रकरणों में विद्युत लाइन विस्तार का कार्य 30 मई 2018 तक पूर्ण कर विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है.

जिला कोण्डागांव में कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण

16. (क्र. 2618) **श्री मोहन मरकाम :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में कलेक्टर जनदर्शन श्रेणी अंतर्गत माह नवम्बर, 2017 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (ख) कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) जिला कोण्डागांव में कलेक्टर जनदर्शन श्रेणी अंतर्गत माह नवम्बर, 2017 में 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. (ख) प्राप्त 15 शिकायतों में से 11 शिकायतों का निराकरण हो चुका है.

---

† परिशिष्ट "सत्रह"

प्रदेश में निजी विद्युत उत्पादकों से विद्युत क्रय

17. (क्र. 2624) **श्री अरूण वोरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में दिसम्बर 17 तक कुल कितनी विद्युत की मात्रा निजी उत्पादकों से क्रय की गई है ? उक्त कालावधि में क्रय की गई बिजली की औसत दर बताई जावे ? (ख) प्रश्नांश "क"की अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा राज्य के उपभोक्ताओं को बेची गई बिजली की मात्रा कितनी है तथा उक्त अवधि में सरप्लस की स्थिति में राज्य के बाहर में कितनी बिजली बाहर बेची गई ? (ग) प्रश्न "क" अवधि में निजी उत्पादकों द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन का उपयोग कर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कितनी मात्रा में बिजली बेची गई तथा उक्त बिजली के ट्रांसमिशन के लिए कितना भुगतान ट्रांसमिशन कंपनी को दिया गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 में दिसम्बर 17 तक निजी उत्पादकों से कुल क्रय की गई विद्युत की मात्रा क्रमश: 1725.06 मिलियन यूनिट्स, 2732.50 मिलियन यूनिट्स एवं 2075.46 मिलियन यूनिट्स है. उक्त कालावधि में क्रय की गई बिजली की औसत क्रय दर क्रमश: रुपये 3.98 प्रति यूनिट, रुपये 3.63 प्रति यूनिट एवं रुपये 3.43 प्रति यूनिट आंकलित होती है. (ख) उत्तरांश "क" की अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा राज्य में उपभोक्ताओं को 53,088.81 मिलियन यूनिट्स बिजली बेची गई है. उक्त अवधि में बिजली की मांग की तुलना में सरप्लस होने की स्थिति में राज्य के बाहर 7,977.95 मिलियन यूनिट्स बिजली बेची गई. (ग) उत्तरांश "क" की अवधि में निजी उत्पादकों द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के ट्रांसमिशन प्रणाली का उपयोग कर, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेची गई कुल 6,533.02 मिलियन यूनिट्स बिजली हेतु किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को करने का प्रावधान नहीं है. अत: निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा उक्त अवधि में कितना भुगतान किया गया का प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है.

जिला कोरबा में स्टेट सेक्टर के संचालित पॉवर प्लांट से विद्युत उत्पादन

18. (क्र. 2625) **श्री अरूण वोरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में स्टेट सेक्टर के कुल कितने पॉवर प्लांट संचालित हैं ? 31 जनवरी 2018 की स्थिति में उक्त माह में कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है ? संयंत्रवार उत्पादित बिजली मिलियन यूनिट में कितनी है ? (ख) कोरबा में संचालित स्टेट सेक्टर के पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली किस-किस कंपनी को बेची गई? (ग) कोल पर आधारित स्टेट सेक्टर के पॉवर प्लांट कंपनियों द्वारा उत्सर्जित कोयला को ऐश डम्पिंग हेतु किस-किस स्थानों को चयनित किया गया? अलग-अलग पॉवर प्लांटों हेतु निर्धारित स्थलों की जानकारी देवें ? (घ) क्या बिना अनुमति के उत्सर्जित ऐश डम्पिंग किए जाने की शिकायत मिली है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के कोरबा जिले में कुल 6 पॉवर प्लांट्स स्टेट सेक्टर में संचालित हैं. उक्त पॉवर प्लांट्स से माह जनवरी 2018 में 31 जनवरी 2018 तक कुल 1285.851 मिलियन यूनिट्स बिजली का उत्पादन हुआ है. संयंत्रवार, मिलियन यूनिट्स में उत्पादित बिजली की मात्रा † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के कोरबा में संचालित पॉवर प्लांट्स से उत्पादित बिजली छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेची गई है. (ग) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के कोरबा जिले में संचालित कोयला आधारित पॉवर प्लांट्स से उत्सर्जित फ्लाई ऐश के डम्पिंग हेतु चयनित/निर्धारित स्थलों की प्लांटवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. (घ) बिना अनुमति के उत्सर्जित ऐश डम्पिंग किए जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है.

रायगढ़ जिला में आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

19. (क्र. 2638) **श्री उमेश पटेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक रायगढ़ जिला में अलग-अलग योजनाओं से कुल कितने आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई ? प्रश्नांकित अवधि तक कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं और कितने किराये के भवन में संचालित हैं ? जानकारी विकासखण्डवार देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" के तहत स्वीकृत भवनों में से कितने भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा कितने अपूर्ण है एवं कितने अप्रारंभ है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक रायगढ़ जिला में अलग-अलग योजनाओं से कुल 508 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई है. प्रश्नांकित अवधि तक कुल 2033 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में और 482 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं. विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नांक "क" के तहत स्वीकृत भवनों में से 214 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 246 भवन अपूर्ण एवं 48 भवन अप्रारंभ है.

---

† परिशिष्ट "अट्ठारह" †† परिशिष्ट "उन्नीस"

जिला बेमेतरा में श्रम कानून के उल्लंघन के दर्ज प्रकरण

20. (क्र. 2646) **श्री अवधेश सिंह चंदेल :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिले बेमेतरा में किस-किस संस्था/फर्म के विरूद्ध श्रम कानून उल्लंघन के प्रकरण वर्ष 2015-16 से जनवरी 2018 तक दर्ज किए गए ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) श्रम कानूनों के उल्लंघन किए जाने संबंधी किस-किस संस्था/फर्म का कौन-कौन से स्तर के विभागीय अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया एवं उसमें क्या खामियां पाई गई एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये एवं कितने में नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) जिला बेमेतरा में श्रम कानून के उल्लंघन के वर्ष 2015-16 में 61 प्रकरण तथा वर्ष 2017-18 में 04 प्रकरण दर्ज किया गया है. संस्था/फर्मवार एवं विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) श्रम कानूनों के उल्लंघन किए जाने संबंधी संस्था/फर्म का नाम, निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी का पदनाम, निरीक्षण तिथि, पाई गई खामियॉ तथा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट में † संलग्न है. (ग) दर्ज किये गये समस्त 65 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं.

जिला कोरिया में लोक सुराज एवं जन समस्या निवारण में प्राप्त आवेदन

21. (क्र. 2648) **श्री श्यामबिहारी जायसवाल :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया जिले में 01 अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2018 तक कितने जन समस्या निवारण शिविर कहॉ-कहॉ लगाये गये ? उक्त शिविरों में कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितने का निराकरण किया गया ? कितने लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** प्रश्नावधि में आयोजित जन समस्या निवारण शिविरों में प्राप्त, निराकृत एवं लंबित आवेदनों की स्थलवार एवं विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

जिला राजनांदगांव में दिव्यांगों का पंजीयन

22. (क्र. 2654) **श्री भोलाराम साहू :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में दिसम्बर, 2017 तक कितने दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित व अस्थि बाधित नि:शक्तजनों (दिव्यांगों) का पंजीयन हुआ है ? कृपया विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) कितने दिव्यांगों को श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल व कृत्रिम अंग प्रदान किये गये ? कितने को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान किया जा रहा है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** (क) जानकारी प्रपत्र "अ" पर ‡ संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र "ब" पर ‡ संलग्न है.

राजनांदगांव जिलान्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन

23. (क्र. 2660) **श्री गिरवर जंघेल :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में किस-किस योजना में कितने श्रमिकों को 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2017 तक पंजीयन किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त पंजीकृत श्रमिकों में से कितने को विभिन्न योजनाओं के अनुसार लाभान्वित किया गया ? (ग) क्या पंजीकृत श्रमिकों को दिये गये अनुदान पर किस प्रकार की शिकातय प्राप्त हुई है यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) राजनांदगांव जिले में 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2017 तक छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 13928 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों का, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 11581 असंगठित कर्मकारों का तथा छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत 777 संगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया. विकासखण्डवार जानकारी परिशिष्ट में ‡‡ संलग्न है. योजनावार पंजीयन का प्रावधान नहीं है. (ख) छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत 4698 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत 2361 असंगठित कर्मकारों को एवं छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत 640 संगठित श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभांवित किया गया है. (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

† परिशिष्ट "बीस" †† परिशिष्ट "इक्कीस" ‡ परिशिष्ट "बाईस" ‡‡ परिशिष्ट "तेईस"

आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन एवं सबला किट का प्रदाय

24. (क्र. 2663) **श्री भूपेश बघेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016-17 में आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल बनाने, उन्नयन करने व सबला किट क्रय हेतु किन-किन जिलों में कितने-कितने केन्द्रों हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला बस्तर अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था

25. (क्र. 2668) **श्री दीपक बैज :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर जिले के अंतर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? उक्त केन्द्रों में से कितने केन्द्रों में बिजली, पानी की व्यवस्था एवं शौचालय निर्माण किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** बस्तर जिले के अंतर्गत कुल 1917 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. उक्त केन्द्रों में से 226 केन्द्रों में बिजली, 1175 केन्द्रों में पानी की व्यवस्था एवं 1047 केन्द्रों में शौचालय निर्माण किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

----

† परिशिष्ट "चौबीस" †† परिशिष्ट "पच्चीस"

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विकासखण्ड तिल्दा में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

1. (क्र. 483) **श्री जनकराम वर्मा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत विकासखण्ड तिल्दा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार अंतर्गत विकासखण्ड तिल्दा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 10 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन है.

चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था

2. (क्र. 809) **श्री युद्धवीर सिंह जूदेव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन युक्त हैं ? कितने आंगनबाड़ी भवन विहीन हैं ? (ख) कितने में पेयजल की व्यवस्था की गई है ? कितने आंगनबाड़ी भवनों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2017-18 में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये हैं. वर्ष 2016-17 में 22 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं. 301 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन युक्त हैं एवं 40 केन्द्र स्वयं के भवन विहीन हैं. (ख) संचालित सभी 341 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल उपलब्ध है.

चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र में सामूहिक विवाह में व्यय राशि

3. (क्र. 811) **श्री युद्धवीर सिंह जूदेव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने सामूहिक विवाह पिछले 4 वर्षों में कब-कब, कहां-कहां हुए ? सामूहिक विवाह हेतु विवाह सामग्री की आपूर्ति किस-किस फर्म द्वारा कितनी-कितनी राशि की, की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत पिछले 4 वर्षों में दिनांक 20-02-2014 को महामाया मंदिर चंद्रपुर, 28-03-2015 एवं 12-06-2015 को श्रृजन स्कूल डभरा में सामूहिक विवाह हुए हैं. सामूहिक विवाह हेतु सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म एवं आपूर्ति की गई सामग्री की राशि सम्बन्धी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

दुर्ग जिले में मितानिनों को वितरित साइकल

4. (क्र. 889) **श्री विद्यारतन भसीन :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में मितानिनों को 2016-17 से जनवरी 2018 तक की स्थिति में कितनी साइकलों का वितरण किया गया है ? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें ? (ख) कितने मितानिनों को साइकल वितरण किया जाना शेष है ? कब तक पूर्ण वितरित कर दी जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) दुर्ग जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से जनवरी, 2018 तक पंजीकृत पात्र मितानिनों को सायकल वितरण नहीं किया गया है. अत: विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी निरंक है. (ख) दुर्ग जिले में कुल 1815 मितानिन कार्यरत हैं, जिनमें से 813 मितानिन छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत पंजीकृत है. मंडल द्वारा असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत मितानिनों को सायकल दिये जाने का प्रावधान है. मंडल में पंजीकृत 813 मितानिनों में से 486 मितानिनों को योजना के अंतर्गत सायकल सहायता की पात्रता है, जिसमें से 137 मितानिनों को पूर्व वर्षों में योजनाअंतर्गत सायकल वितरण किया जा चुका है. शेष 349 पंजीकृत मितानिनों द्वारा योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने एवं अब तक पंजीकृत नहीं हुए 1002 मितानिनों द्वारा पंजीयन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पंजीयन कार्यवाही की जावेगी एवं पंजीयन उपरांत नियमानुसार पात्र पाये जाने पर योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर सायकल वितरण की कार्यवाही की जावेगी.

---

† परिशिष्ट "छब्बीस"

राजनांदगांव जिले में खनिज रायल्टी से प्राप्त राशि

5. (क्र. 964) **श्रीमती सरोजनी बंजारे :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2017-18 में 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति में खनिज रायल्टी से कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) रायल्टी से प्राप्त राशि में से कौन-कौन से ग्राम पंचायतों में कितने-कितने कार्य कराये गये हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 31 दिसम्बर 2017 तक खनिज रायल्टी से 31 करोड़ 51 लाख 42 हजार 694 रुपये प्राप्त हुए हैं. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है.

डौण्डी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

6. (क्र. 1111) **श्रीमती अनिला भेंड़िया :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कितने स्थानों में मिनी स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति कितनी-कितनी राशि की कहां-कहां हुई है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कितने स्टेडियम का निर्माण कर कितनी राशि व्यय की गई है ? कितने निर्माण हेतु शेष हैं, कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में 02 मिनी स्टेडियम का निर्माण पूर्ण किया गया है. जिसमें रुपये 7188936 व्यय किये गये. 08 मिनी स्टेडियम का निर्माण शेष है. निर्माण पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था

7. (क्र. 1117) **श्रीमती अनिला भेंड़िया :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में संचालित कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था की गई ? कितने आंगनबाड़ी में पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई ? (ख) पेयजल व्यवस्था कब तक की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) 484 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था की गई है एवं 101 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल 50 मीटर से अधिक परिधि में है. (ख) वित्तीय संसाधनों के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, अत: पेयजल विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला बालोद में हितग्राहियों की लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि

8. (क्र. 1120) **श्रीमती अनिला भेंड़िया :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक बालोद जिला में मृत हितग्राहियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की कितनी राशि लंबित है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) वसूली हेतु कितनी राशि शेष है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बालोद जिला में वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मृत हितग्राहियों की कोई भी राशि लंबित नहीं है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

लोक आयोग में सेवानिवृत्त/कार्यरत अधिकारियों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण

9. (क्र. 1217) **श्री युद्धवीर सिंह जूदेव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक आयोग, छत्तीसगढ़ में किन-किन सेवानिवृत्त/कार्यरत अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध है ? पद सहित विभागवार जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करें ? (ख) प्रकरण कब-कब पंजीबद्ध किये हैं ? वर्तमान में जांच की स्थिति क्या-क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

† परिशिष्ट "सत्ताईस"

जिला कोरिया में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

10. (क्र. 1240) **श्री श्यामबिहारी जायसवाल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिला में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कितने स्वयं के भवन में संचालित हैं ? एवं कितने केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं ? भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कब तक कर लिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) कुल 1186 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा कुल 121 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं. कुल 206 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा कुल 208 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में संचालित हैं. स्वयं के भवन निर्माण कराये जाने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में बाल श्रमिकों के दर्ज प्रकरण

11. (क्र. 1394) **श्री दिलीप लहरिया :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में बाल श्रमिकों के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? (ख) दर्ज प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में बाल श्रमिकों के कोई प्रकरण दर्ज नहीं किये गये. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बस्तर जिले में रेडी टू ईट योजना के तहत पोषण आहार की पूर्ति हेतु आबंटित कार्य

12. (क्र. 1498) **श्री लखेश्वर बघेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर जिले में जनवरी, 2018 की स्थिति में रेडी टू ईट योजना के तहत किन-किन एन.जी.ओ./स्वसहायता समूहों को पूरक पोषण आहार बनाने का कार्य आबंटित किया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

बस्तर जिले में मितानिनों को सायकल वितरण

13. (क्र. 1499) **श्री लखेश्वर बघेल :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2016 से जनवरी, 2018 की स्थिति में मितानिनों को कितनी सायकलों का वितरण किया गया है? (ख) कितनी सायकल वितरण किया जाना शेष है ? कब तक वितरित कर दी जावेगी ? विकासखण्डवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) बस्तर जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत वर्ष 2016 से जनवरी, 2018 तक पंजीकृत पात्र 112 मितानिनों को सायकल वितरण किया गया है. (ख) बस्तर जिले में कुल 2848 मितानिन कार्यरत हैं, जिनमें से 1093 मितानिन छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत पंजीकृत हैं. मंडल द्वारा असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत मितानिनों को सायकल दिये जाने का प्रावधान है. मंडल में पंजीकृत 1093 मितानिनों में से 881 मितानिनों को योजना के अंतर्गत सायकल सहायता की पात्रता है, जिसमें से 835 मितानिनों को जनवरी 2018 तक योजना अंतर्गत सायकल वितरण किया जा चुका है. शेष 46 पंजीकृत मितानिनों द्वारा योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने एवं अब तक पंजीकृत नहीं हुए 1755 मितानिनों द्वारा पंजीयन आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर पंजीयन कार्यवाही की जावेगी एवं पंजीयन उपरांत नियमानुसार पात्र पाये जाने पर योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर सायकल वितरण की कार्यवाही की जावेगी. विकासखंडवार वर्षवार जानकारी परिशिष्ट में ‡ संलग्न है.

---

† परिशिष्ट "अट्ठाईस" †† परिशिष्ट "उनतीस" ‡ परिशिष्ट "तीस"

जिला कांकेर में सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत ग्राम

14. (क्र. 1768) **श्री शंकर ध्रुवा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कांकेर जिले में वर्ष 2015-16 से जनवरी 2018 तक की स्थिति में क्रेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा से कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया ? वर्ष 2018-19 में किन-किन गांवों को सौर ऊर्जा से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** कांकेर जिले में वर्ष 2015-16 से जनवरी 2018 तक की स्थिति में क्रेडा के माध्यम से 02 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है. वर्ष 2018-19 में किसी भी गांव को सौर ऊर्जा से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित नहीं है.

जिला दुर्ग में नये श्रम कार्ड के प्राप्त आवेदन

15. (क्र. 2080) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में नये श्रम कार्ड के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18 में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? जानकारी विकासखंडवार दें ? (ख) उपरोक्त में से कितने आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया एवं कितने आवेदन निरस्त किये गये हैं ? (ग) उक्त बचे शेष आवेदन पत्र का निराकरण कब तक किया जावेगा ? विकासखंडवार जानकारी देवें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) दुर्ग जिले में नये श्रम कार्ड बनाने के लिये वर्ष 2016-17, 2017-18 में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत 44,096 आवेदन तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत 1,23,391 आवेदन प्राप्त हुए हैं. वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी प्रपत्र ''अ'' में † संलग्न है. (ख) उपरोक्त पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों में से छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत 43,118 आवेदन एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत 1,08,721 आवेदनों का निराकरण किया गया. उक्त निराकृत आवेदनों में से छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत 13,847 आवेदन एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत 27,531 आवेदन निरस्त किये गये हैं. (ग) छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत 978 आवेदनों एवं छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत 14,670 शेष बचे आवेदनों का निराकरण शीघ्र कर लिया जावेगा. विकासखण्डवार जानकारी प्रपत्र ''ब'' में † संलग्न है.

जिला दुर्ग में भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा वसूली गई राशि

16. (क्र. 2081) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा दुर्ग जिले से 2014-15 से जनवरी 2018 तक कितनी-कितनी राशि वसूल की गई है ? (ख) उक्त राशि से कितनी-कितनी राशि का वितरण विभिन्न योजनाओं पर किया गया है?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दुर्ग जिले में वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी 2018 तक राशि रुपये 18,84,01,061 वसूल की गई है. वर्षवार विवरण प्रपत्र ''अ'' में †† संलग्न है. (ख) उक्त राशि में से 13,16,00,422 राशि का वितरण विभिन्न योजनाओं पर किया गया है. योजनावार विवरण प्रपत्र ''ब'' में †† संलग्न है.

सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम मित्रों की नियुक्ति

17. (क्र. 2161) **डॉ. खिलावन साहू :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने श्रम मित्रों की नियुक्ति की गई है ? कितने श्रम मित्रों की नियुक्ति करना बाकी है? कब तक नियुक्त कर लिया जावेगा ? (ख) श्रम मित्रों को कितना मानदेय दिया जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत् 13 श्रम मित्रों की नियुक्ति की गई है. श्रम मित्रों की नियुक्ति किया जाना शेष नहीं है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) श्रम मित्रों को छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों से पंजीयन एवं योजना के सफल आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करवाने पर प्रति आवेदन (पंजीयन तथा योजनाओं के लाभ उपरांत) प्रोत्साहन भत्ता राशि रुपये 50/- मंडल द्वारा दिया जाता है.

---

† परिशिष्ट ''इकतीस'' †† परिशिष्ट ''बत्तीस''

जिला बलरामपुर में कृषि पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन

18. (क्र. 2211) **श्री बृहस्पत सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलरामपुर जिले के अंतर्गत वर्ष 2014-2015 से 2017-18 तक कृषि पंप कनेक्शन हेतु कितने किसानों के आवेदन प्राप्त हुये ? कितने पंप कनेक्शन चालू कर दिये गये ? कितने बिजली कनेक्शन लंबित हैं ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) प्रश्नाधीन अवधि में बलरामपुर जिले में सिंचाई पम्प विद्युत कनेक्शन हेतु कुल 1,928 आवेदन प्राप्त हुए हैं. उक्त आवेदनों में से 1,188 प्रकरणों में विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है. शेष 710 प्रकरणों में आवेदक द्वारा औपचारिकतापूर्ण नहीं करने के कारण उन्हें निरस्त कर दिया गया है. अतिशेष 30 प्रकरणों में विद्युत लाइन विस्तार कार्य प्रगति पर होने से विद्युत कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही लंबित है. प्राप्त आवेदन, निरस्त किये गए आवेदन, जारी विद्युत कनेक्शन एवं लाईन विस्तार कार्य प्रगति पर होने से लंबित विद्युत कनेक्शनों की वर्षवार संख्या की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) लम्बित 30 प्रकरणों का निराकरण मार्च 2018 तक किये जाने का लक्ष्य है.

जिला कोण्डागांव में खेल मैदान एवं स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति

19. (क्र. 2270) **श्री संतराम नेताम :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोण्डागांव जिले में वर्ष 2014-15 से 31 दिसंबर 2017 तक कितने खेल मैदान एवं स्टेडियम कहां-कहां स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण तथा एजेंसी कौन-कौन हैं ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** प्रश्नाधीन अवधि में कोण्डागांव जिले में दो खेल मैदान एवं एक मिनी स्टेडियम स्वीकृत किये गये हैं. शेष जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	खेल मैदान है या मिनी स्टेडियम	स्थान	कार्य की स्थिति	एजेंसी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	खेल मैदान समतलीकरण	मर्दापाल	पूर्ण	ग्राम पंचायत मर्दापाल
2.	खेल मैदान समतलीकरण	मैनपुर	पूर्ण	ग्राम पंचायत मैनपुर
3.	मिनी स्टेडियम	बड़ेडोंगर	अपूर्ण	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण एवं यांत्रिकी सेवा कोण्डागांव.

केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विद्युत पंप के अस्थाई कनेक्शन

20. (क्र. 2271) **श्री संतराम नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 31 दिसंबर 2017 तक कृषि विद्युत पंप के कुल कितने अस्थाई कनेक्शन हैं ? (ख) कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकण कब तक किया जायेगा ? विकासखंडवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) विधानसभा क्षेत्र केशकाल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2017 की स्थिति में 1,257 अस्थाई कृषि सिंचाई पंप कनेक्शन विद्यमान है. (ख) केशकाल विधानसभा क्षेत्र में अस्थायी कनेक्शन देने हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है. अत: लंबित प्रकरणों के निराकरण कब तक किया जायेगा, की विकासखण्डवार जानकारी का प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता.

जिला बालोद में डीएमएफ मद से स्कूलों या अन्य स्थानों में सामग्री सप्लाई

21. (क्र. 2404) **श्री राजेन्द्र कुमार राय :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 पश्चात् बालोद जिले अंतर्गत दिसम्बर 2017 तक डीएमएफ मद से स्वीकृत किन-किन स्थानों पर क्या-क्या सामग्री सप्लाई की गई है ? (ख) उक्त सामग्रियां किस फर्म द्वारा सप्लाई की गई है ? (ग) क्या सामग्री सप्लाई हेतु विभाग द्वारा निविदा जारी किया गया था ?

† परिशिष्ट "तैंतीस"

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बालोद जिला अंतर्गत जनवरी, 2014 से दिसंबर, 2017 तक जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से सामग्री क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम क्रमांक "5" पर दर्शित है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम क्रमांक "6" पर दर्शित है.

जिला जांजगीर-चाम्पा में विभिन्न खदानों हेतु जारी अनुज्ञा

22. (क्र. 2504) **श्री केशव चन्द्रा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिले अंतर्गत कितने डोलामाईट, गिट्टी, चूना पत्थर खदान एवं क्रेशर की अनुज्ञा वर्ष 2017-18 में जारी की गई है ? (ख) कितने खदान संचालकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य सुरक्षा शर्तो का पालन किया जा रहा है ? (ग) क्या ग्राम दर्राभाठा तहसील जैजैपुर में निर्माणाधीन क्रेशर द्वारा उक्त नियमों का पालन कर रहा है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में वर्ष 2017-18 में डोलोमाईट की 02 एवं निम्न श्रेणी चूनापत्थर से गिट्टी निर्माण हेतु 05 क्रेशर हेतु भण्डारण अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये गये हैं. (ख) जांजगीर-चाम्पा जिले में सभी स्वीकृत उत्खननपट्टेधारियों द्वारा पर्यावरण सम्मति एवं अन्य सुरक्षा शर्तों का पालन किया जा रहा है. (ग) वर्तमान में ग्राम दर्राभाठा में निजी भूमि पर क्रेशर स्थापना हेतु भण्डारण अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर अनुज्ञापत्र अभी स्वीकृत नहीं हुआ है. अतएव नियमों के पालन का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

किसानों के विद्युत पंपों के उर्जीकरण हेतु प्रदत्त अनुदान

23. (क्र. 2518) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से लेकर दिसम्बर, 2017 तक किस-किस जिले में कितनी-कितनी संख्या में किसानों को विद्युत पंप को उर्जीकृत किया गया ? विद्युतीकरण के लिए कितनी-कितनी राशि का सहयोग या अनुदान दिया गया ? वर्षवार एवं जिलेवार पूरी जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : प्रदेश में प्रश्नाधीन अवधि में कुल 88,455 विद्युत कृषि पम्पों को ऊर्जीकृत किया गया है. सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा अनुदान वित्तीय वर्ष अनुसार दिया जाता है. अत: उक्त ऊर्जीकृत सिंचाई पम्पों हेतु विद्युत लाइन विस्तार आवश्यक होने पर वर्ष 2014 में रुपये 75 हजार तथा सितम्बर 2016 से रुपये 1 लाख प्रति पम्प कनेक्शन के औसत मान से, योजनांतर्गत बचत राशि उपलब्ध होने पर अधिकतम क्रमश: रुपये 1.20 लाख एवं रुपये 1.50 लाख प्रति पम्प अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है. अत: प्रश्नाधीन अवधि में वित्तीय वर्षवार ऊर्जीकृत पम्पों की संख्या, वित्तीय सहायता की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

राजनांदगांव जिला अंतर्गत पत्थर उत्खनन की प्रदत्त अनुज्ञप्ति

24. (क्र. 2533) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत कहां-कहां कितने-कितने रकबे पर किस-किस व्यक्ति/फर्म को किस अवधि के लिये पत्थर उत्खनन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त हैं ? (ख) उक्त प्रश्नांश के तहत स्वीकृत खनिज एवं उत्खनित पट्टा क्षेत्र रकबा के बाहर अवैध पत्थर उत्खनन की कितनी शिकायतें वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? एवं उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से क्रेशर खदानों की लीज की अवधि बढ़ाने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" के तहत् स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र के बाहर पत्थर उत्खनन की 02 शिकायत वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुई है. प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"दो" पर दर्शित है. लीज अवधि विस्तारीकरण के 11 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" पर दर्शित है.

---

† परिशिष्ट "चौंतीस"

विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव में जन शिकायत निवारण विभाग में प्राप्त शिकायतों का निराकरण

25. (क्र. 2534) **श्री दलेश्वर साहू :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जन शिकायत निवारण विभाग में विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव के तहसीलों में राजस्व विभाग से संबंधित वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 से प्रश्नावधि तक खाता विभाजन, बटांकन, नामांतरण, भूमि डायवर्सन, ऋण पुस्तिका बनाने एवं सुधार व रिकार्ड दुरूस्तीकरण संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? उक्त शिकायतों में कितने को निराकृत किया गया तथा कितनी लंबित हैं ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) **:** प्रश्नावधि में जनशिकायत निवारण विभाग जिला राजनांदगांव में विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव से वर्ष 2015-16 में बटांकन से संबंधित 02 शिकायतें प्राप्त हुई, वर्ष 2016-17 में ऋण पुस्तिका बनाने/सुधारने तथा रिकार्ड दुरूस्तीकरण की 01 शिकायत प्राप्त हुई एवं वर्ष 2017-18 में बटांकन की 01, नामांतरण की 01 एवं ऋण पुस्तिका बनाने/सुधारने तथा रिकार्ड दुरूस्तीकरण की 01 शिकायत प्राप्त हुई. प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण हो चुका है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत विहीन मजरे/पारे/टोले

26. (क्र. 2576) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मोहला मानपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने मजरे, पारे, टोले विद्युतविहीन हैं ? (ख) विद्युत विहीन पारों, मुहल्लों, मजरों में विद्युतीकरण करने हेतु शासन की क्या योजना हैं ? (ग) कब तक मजरे, पारे, टोलों को विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) विधान सभा क्षेत्र मोहला मानपुर में विद्युतविहीन बसाहटों की संख्या निरंक है. (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है.

बीपीएल हितग्राहियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का प्रदाय

27. (क्र. 2595) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बी.पी.एल. हितग्राहियों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये जाने की योजना है ? यदि हां तो वर्ष 2014-15 से 2017-18 में 31 जनवरी, 2018 की स्थिति में कितने लोगों को कनेक्शन दिये जाने के लक्ष्य विरुद्ध कितने लोगों को प्रदाय किया गया ? इस पर कुल कितनी राशि व्यय करने के प्रावधान के विरुद्ध कितना व्यय उक्त अवधिवार किया गया ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) उक्त अवधि में बकाया लक्ष्य की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) **:** (क) जी हां. प्रश्नाधीन अवधि में वर्षवार बी.पी.एल. हितग्राहियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन हेतु लक्ष्य एवं लक्ष्य के विरुद्ध जारी नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन की योजनावार, लक्ष्य, प्रावधानित राशि, जारी किये गये कनेक्शन तथा व्यय की गई राशि की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. प्रदेश के प्रत्येक जिले हेतु सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किये गये डी.पी.आर. में विद्युत कनेक्शन प्रदाय हेतु सम्मिलित हितग्राहियों में से केवल नि:शुल्क विद्युत की पात्रता हेतु मापदण्डों को संतुष्ट करने वाले हितग्राहियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है. चूंकि वर्तमान में सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन के लिये तैयार की गई डी.पी.आर. पर स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा योजना में सम्मिलित हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है, अत: व्यय की गई राशि की जानकारी वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है. (ख) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किये गये डी.पी.आर. पर स्वीकृति उपरांत स्वीकृत डी.पी.आर. में नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन हेतु सम्मिलित सभी पात्रताधारित बी.पी.एल. हितग्राहियों को सितम्बर 2018 तक विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है.

कोण्डागांव जिले में खनिज विभाग को प्राप्त रॉयल्टी

28. (क्र. 2620) **श्री मोहन मरकाम :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में 2015 से दिसम्बर, 2017 की स्थिति में कितनी राशि बतौर रॉयल्टी खनिज विभाग को प्राप्त हुई ? (ख) प्राप्त रॉयल्टी किन-किन पंचायतों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कोण्डागांव जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2017-18, दिसम्बर, 2017 तक कुल राशि 03 करोड़ 15 लाख 51 हजार रुपये खनिज विभाग को बतौर रॉयल्टी प्राप्त हुई है. (ख) कोण्डागांव जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में आवंटन हेतु प्राप्त राशि में से पंचायतों को संवितरण हेतु जारी राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. वर्ष 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक) में प्राप्त राशि, आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में संवितरण किया जायेगा.

गरियाबंद जिले में खनिजों की खदानों की सुरक्षा

29. (क्र. 2628) **श्री अरूण वोरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में किन-किन खनिजों की कौन-कौन सी खदानें कहां-कहां हैं ? उक्त खदानों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? (ख) गरियाबंद जिले में वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में उक्त खदानों से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) गरियाबंद जिले में मुख्य खनिज की कोई भी खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है, गौण खनिजों के स्वीकृत उत्खननपट्टों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. खदानों की सुरक्षा हेतु डीजीएमएस द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन खदान संचालकों द्वारा किया जा रहा है. (ख) गरियाबंद जिले में वर्ष 2015-16 में रुपये 2 करोड़ 72 लाख 125, वर्ष 2016-17 में रुपये 1 करोड़ 84 लाख 81 हजार 951 एवं वर्ष 2017-18 में रुपये 1 करोड़ 40 लाख 02 हजार 323 रायल्टी राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है.

दुर्ग जिले में खनिजों के खनन की प्रदत्त अनुमति एवं प्राप्त राजस्व

30. (क्र. 2629) **श्री अरूण वोरा :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में गिट्टी, रेत एवं चूना पत्थर के उत्खनन हेतु कितने स्थानों पर अनुमति प्रदान की गई ? स्थान एवं आबंटी का नाम बताएं ? (ख) उक्त वर्षों में खदानों के आबंटन से शासन को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? क्या प्राप्त राजस्व का अंशदान क्षेत्र के स्थानीय निकायों को प्रदान किया जाता है ? यदि हां तो कुल कितना राजस्व इन निकायों को इन वर्षों में प्रदान किया गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में निम्न श्रेणी चूना पत्थर (गिट्टी) के 05 उत्खननपट्टा एवं साधारण रेत की 26 खदानें पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर स्वीकृत है. जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत रेत खदानों से वर्ष 2016-17 में 19 लाख 5 हजार 270 रुपये तथा वर्ष 2017-18 (जनवरी 2018 तक) में 5 लाख 73 हजार 780 रुपये पंचायतों को प्राप्त हुआ है. प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत निम्न श्रेणी चूना पत्थर से वर्ष 2016-17 में रुपये 13 लाख 20 हजार तथा वर्ष 2017-18 (जनवरी 2018 तक) में रुपये 33 लाख 25 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ है. गौण खनिजों से शासन को प्राप्त रायल्टी राशि में से स्थानीय निकायों को विकास कार्यों हेतु राशि प्रदान किया जाता है. दुर्ग जिले को वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में प्राप्त राजस्व से कुल राशि 07 करोड़ 37 लाख 18 हजार रुपये वर्ष 2017-18 में स्थानीय निकायों को संवितरण हेतु प्रदान किया गया है.

जिला रायगढ़ में लोक सुराज अभियान के तहत् प्राप्त शिकायतों का निराकरण

31. (क्र. 2640) **श्री उमेश पटेल :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में लोक सुराज अभियान 2017 एवं 2018 में कुल कितनी-कितनी शिकायतें मांग संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांकित तिथि तक रायगढ़ जिले में लोक सुराज अभियान के तहत प्राप्त कितने आवेदनों का निराकरण लंबित हैं ? (ग) लोक सुराज अभियान के तहत् प्राप्त आवेदनों/समस्याओं का लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जायेगा जानकारी दें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) एवं (ख) की जानकारी ‡‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ग) लोक सुराज अभियान के तहत् प्राप्त आवेदनों/समस्याओं का निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों पर निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

---

† परिशिष्ट "पैंतीस"   †† परिशिष्ट "छत्तीस"   ‡ परिशिष्ट "सैंतीस"   ‡‡ परिशिष्ट "अड़तीस"

प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन

32. (क्र. 2643) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न खेलविधा से उत्कृष्ट खिलाड़ी के चयन के संबंध में किन-किन खेल विधा को चयनित किया गया है ? (ख) विगत 04 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट घोषित किया गया ? नाम, विधावार बतावें ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) उत्कृष्ट खिलाड़ी के चयन के संबंध में ओलम्पिक, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेल, राष्ट्रीय खेल, विश्वविद्यालयीन खेलों में सम्मिलित खेल विधा को चयनित किया गया है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में 10 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है. नाम, विधावार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	खिलाड़ी का नाम (2)	खेल का नाम (3)
1.	श्रीमती अंजू जोशी	बास्केटबॉल
2.	स्वाति विश्वकर्मा	फेंसिग
3.	इन्दु निषाद	फेंसिग
4.	कु. असिता दोहरे	फेंसिग
5.	कु. मुन्नी देवांगन	फेंसिग
6.	कु. शीला देवांगन	फेंसिग
7.	कु. शकुन्तला पटेल	नेटबॉल
8.	कु. राधा यादव	स्वीमिंग पैरालिम्पिक
9.	रोहिन सेंटियागो	सॉफ्ट टेनिस
10.	दिलीप विश्वकर्मा	सॉफ्ट टेनिस

प्रदेश में खनिज उत्खनन हेतु तैयार की गई प्रास्पेटिंग रिपोर्ट

33. (क्र. 2644) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रों के खनिज उत्खनन हेतु वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में जनवरी, 2018 तक प्रास्पेटिंग रिपोर्ट तैयार की गई है ? यदि हां तो कब-कब, किनके माध्यम से ? (ख) क्या प्रास्पेटिंग रिपोर्ट को निजी कंपनियों को बेचे जाने का प्रावधान है ? (ग) यदि हां तो प्रास्पेटिंग रिपोर्ट किन-किन कंपनी, व्यक्ति को बेचा गया, कितनी-कितनी राशि में ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न खनिज क्षेत्रों के प्रास्पेटिंग रिपोर्ट संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किया गया है. वर्ष 2016-17 में 02 तथा वर्ष 2017-18 में जनवरी 2018 तक 02 इस तरह कुल 04 प्रास्पेक्टिंग रिपोर्ट तैयार किया गया है. (ख) जी हां. शासन द्वारा अनुमोदित दर पर इच्छुक व्यक्तियों/कंपनियों को प्रास्पेक्टिंग रिपोर्ट बेचे जाने का प्रावधान है. (ग) विभाग द्वारा प्रश्नांश "क" की अवधि में तैयार किये गये प्रास्पेक्टिंग रिपोर्ट को क्रय किये जाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं. अपितु पूर्व अवधि में तैयार किये गये 24 प्रास्पेटिंग रिपोर्ट को वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक नियमानुसार शुल्क जमा कराया जाकर बेचे गये. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

जिला बेमेतरा में लोक सुराज अभियान के तहत् प्राप्त प्रकरणों का निराकरण

34. (क्र. 2647) **श्री अवधेश सिंह चंदेल :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बेमेतरा में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2018 तक शासन द्वारा चलाए गए लोक सुराज अभियान के तहत् कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कितने प्रकरणों का निराकण किया गया है कितने लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

† परिशिष्ट "उनचालीस"

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) प्रश्नावधि में जिला बेमेतरा में लोक सुराज अभियान में कुल प्राप्त शिकायतों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

विकासखण्ड का नाम	वर्ष		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
बेमेतरा	7	474	389
नवागढ़	31	443	339
साजा	19	555	726
बेरला	36	451	309
योग	**93**	**1923**	**1863**

(ख) प्राप्त शिकायतों में से निराकरण एवं लंबित शिकायतों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

विकासखण्ड का नाम	कुल निराकण की संख्या वर्ष			कुल लंबित की संख्या वर्ष		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बेमेतरा	7	474	63	0	0	326
नवागढ़	31	442	79	0	1	360
साजा	19	555	0	0	0	726
बेरला	36	451	0	0	0	309
योग	**93**	**1922**	**142**	**0**	**1**	**1721**

प्रदेश के मजदूरों को बंधक बनाये जाने की प्राप्त सूचनाओं पर कार्यवाही

35. (क्र. 2652) **श्री अमरजीत भगत :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल 2014 से 31 जनवरी, 2018 तक प्रदेश के कितने मजदूरों को बंधक बनाने की सूचना प्राप्त हुई तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार संख्यावार जानकारी देवें. (ख) क्या संबंधित मजदूरों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिया गया ?

श्रम मंत्री (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) 01 अप्रैल 2014 से 31 जनवरी, 2018 तक प्रदेश के 5069 मजदूरों को बंधक बनाने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना प्राप्त होने के पश्चात् कलेक्टर तथा श्रम कार्यालय द्वारा संबंधित राज्य के जिला प्रशासन को शिकायत की जांच कर श्रमिकों को अवमुक्त कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. श्रम कार्यालय द्वारा शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किये गये, श्रम निरीक्षकों द्वारा शिकायत में उल्लेखित श्रमिकों के गृह-ग्राम जाकर जांच कर श्रमिकों की पूर्ण स्थिति की जानकारी ली गई, तथा कुछ शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा पुलिस, श्रम निरीक्षक की टीम गठित कर संबंधित राज्य में जांच कार्यवाही हेतु भेजी गयी. बंधक पाये जाने पर श्रमिकों संबंधित राज्य के जिला प्रशासन के सहयोग से अवमुक्त कराकर वापस गृह-ग्राम लाया गया. शिकायतों की जिलेवार, संख्यावार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) जी हां. उपरोक्त शिकायतों में जांच उपरांत अन्य राज्यों से अवमुक्त कराये 495 बंधक श्रमिक में से दिनांक 17 मई, 2016 के पूर्व प्रभावशील बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत अवमुक्त कराये गये 275 बंधक श्रमिकों को राशि रुपये 40,000/- प्रति श्रमिक के मान से राज्यांश सहायता राशि दी जा चुकी है किंतु केन्द्रांश राशि का आबंटन भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है. पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना मई 2016 के अंतर्गत मई 2016 के उपरांत अवमुक्त हुए 220 बंधक श्रमिकों के नियोजकों के दोषसिद्ध होने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. अवमुक्त बंधक श्रमिकों को राज्य शासन की योजनाओं यथा राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड एवं भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार पंजीयन कार्ड में प्राथमिकता दी जा रही है.

† परिशिष्ट "चालीस"

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में पेंशन योजनाओं के लंबित आवेदन

36. (क्र. 2655) **श्री भोलाराम साहू :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में दिसम्बर, 2017 की स्थिति में कौन-कौन सी पेंशन योजनाओं के कितने आवेदन पत्र लंबित हैं ? कब तक निराकरण कर दिया जावेगा ? जानकारी ग्राम पंचायतवार एवं निकायवार बतावें.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) : खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में दिसम्बर, 2017 की स्थिति में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित कोई भी पेंशन योजनाओं में आवेदन लंबित नहीं है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित सोलर पंप की स्थिति

37. (क्र. 2656) **श्री भोलाराम साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 2017 की स्थिति में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कितने सोलर पावर पंप लगाये गये ? कितने चालु हैं ? कितने बंद हैं ? बंद सोलर पंप कब तक चालू कर दिये जायेंगे ? ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : दिसम्बर 2017 की स्थिति में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कुल 442 नग सौर ऊर्जा संचालित पंप स्थापित किए गए हैं जिसमें से 440 नग सोलर पंप चालू एवं 02 नग सोलर पंप बंद है. 02 ग्राम पंचायत बिटाल एवं ग्रामपंचायत हालमकोड़ों में स्थापित 01-01 नग सोलर पंप बोर कोलेप्स होने के कारण बंद है. अत: बंद बोरवेल/सोलर पंप को कब तक चालू कर दिया जाएगा, की स्थिति बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में मुख्य खनिज के खदानें एवं उनसे प्राप्त राजस्व

38. (क्र. 2664) **श्री भूपेश बघेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य खनिज की कितने खदानें प्रदेश में है. खनिज के नाम सहित जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) वर्तमान में उक्त खदान किस फर्म/कंपनी को आबंटित है ? (ग) वर्ष 2014-15 से 2017-18 में मुख्य खनिजों के खदान से कितनी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई ? वर्षवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' पर दर्शित है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' पर दर्शित है.

प्रदेश में एसीबी तथा ईओडब्ल्यू द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

39. (क्र. 2665) **श्री भूपेश बघेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2014-15 से 2017-18 में जनवरी 18 तक एसीबी तथा ईओडब्ल्यू के द्वारा किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई ? कार्यवाही के दौरान कितनी चल व अचल संपत्ति प्राप्त हुई ? संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध किस-किस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ? (ख) किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में वर्ष 2014-15 से 2017-18 में जनवरी 2018 तक एसीबी तथा ईओडब्ल्यू द्वारा 199 प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' में है. (ख) उपरोक्त में से 76 प्रकरणों में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका है. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार है.

जिला सरगुजा में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए खिलौने खरीदने में अनियमितता पर कार्यवाही

40. (क्र. 2666) **श्री टी. एस. सिंहदेव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरगुजा जिले में वर्ष 2015-16 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए खिलौने खरीदने में अनियमितता का प्रतिवेदन कलेक्टर के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हां तो, दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों नहीं की गई एवं विलंब के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू) **:** (क) हां. (ख) दोषी अधिकारी के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी की गई है. (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता.

बजट सत्र

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 2591) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में सौभाग्य योजना में एल.ई.डी. लैम्प के वितरण करने हेतु मेसर्स ई.ई.एस.एल. को सप्लाई करने हेतु जिलेवार आदेशित एल.ई.डी. लैम्प तथा दिनांक 31-01-2018 तक वितरित किये गये एल.ई.डी. लैम्प की जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	ईईएसएल को जारी क्रय आदेश के तहत् जिलेवार आदेशित एल.ई.डी.लैम्प की संख्या	ईईएसएल द्वारा जिलेवार सप्लाई / वितरित एल.ई.डी. लैम्प की संख्या
1	बलौदाबाजार	16,824	3,000
2	रायपुर	10,988	1,000
3	धमतरी	3,691	200
4	महासमुंद	7,925	400
5	गरियाबंद	13,639	3,000
6	दुर्ग	6,333	400
7	बालोद	3,301	500
8	बेमेतरा	12,764	3,000
9	राजनांदगांव	11,556	2,000
10	कबीरधाम	24,444	4,000
11	बिलासपुर	24,890	4,000
12	मुंगेली	10,225	1,500
13	जांजगीर--चांपा	21,484	2,500
14	कोरबा	14,059	3,000
15	रायगढ़	26,655	3,000
16	बलरामपुर	43,250	5,000
17	जशपुर	43,409	5,000
18	कोरिया	15,510	500
19	सूरजपुर	18,910	2,000
20	सरगुजा	30,742	4,000
21	बस्तर	32,485	5,000
22	बीजापुर	7,985	3,000
23	सुकमा	12,860	4,000
24	दंतेवाड़ा	18,761	6,000
25	कांकेर	16,031	5,000
26	कोण्डागांव	8,798	3,000
27	नारायणपुर	7,481	1,000
	कुल	4,65,000	75,000

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 2667) के भाग (क) की जानकारी]

बंधक बनाये जाने संबंधी शिकायतों एवं कार्यवाही का विवरण

क्र.	जिला	वर्ष	शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का दिनांक	शिकायत का विवरण	शिकायत मे उल्लेखित बंधक श्रमिक संख्या	शिकायत मे उल्लेखित कार्यस्थल	कार्यवाही	बंधक नही पाये गये श्रमिक संख्या	बंधक पाये गये श्रमिक संख्या	रिमार्क
1	बस्तर	2016-17	श्री आयतुराम, बड़े किलेपाल वि.ख. बास्तानार, जिला-बस्तर	24.06.2017	कोड़ेनार एवं बड़े किलेपाल-2 के मजदूरों को आन्ध्रप्रदेश में बंधक बनाये जाने बाबत्।	5	आंध्रप्रदेश	श्रम निरीक्षक द्वारा जांच में पाया गया कि श्रमिक स्वयं अपने गृह-ग्राम सकुशल वापस आ गये है तथा वे बंधक नही थे।	5	0	–
		2016-17	सरपंच, ग्राम पंचायत जामगांव, जनपद पंचायत बास्तानार, जिला-बस्तर	17.06.2016	मजदूरी करने के बहाने ग्रामीणों को बहला-फुसलाकर बेंगलोर ले जाने बाबत्।	15	बैंगलोर, कर्नाटक	कलेक्टर जिला-बस्तर द्वारा दिनांक 30.06.2016 को 4 सदस्यों का दल गठित कर श्रमिकों को अवमुक्त कराने हेतु बेंगलोर भेजा गया तथा दल द्वारा 13 बंधक श्रमिकों को अवमुक्त कराकर सकुशल उनके गृहग्राम पहुंचाया गया।	2	13	–
		2017-18 (31 जनवरी 18 तक)	चितई, मनती, जानकी, मुन्नी ग्राम-चितापुर, वि.ख.-दरभा, जिला-बस्तर	21.04.2017	बंधक ग्रामीणों को वापस लाने बाबत्।	5	आवेदन मे पता का उल्लेख नही किया गया।	जांच मे ज्ञात हुआ कि उक्त श्रमिक बंधक नहीं थे, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो गया तथा कार्य समाप्त होने के पश्चात् श्रमिक स्वतः अपने गृहग्राम सकुशल पहुंच गये।	5	0	–
		2017-18 (31 जनवरी 18 तक)	प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल तिरिया, वि.ख. -जगदलपुर, जिला-बस्तर	29.04.2017	गुमशुदा छात्रों की सूचना के संबंध में।	3	सेलम, तमिलनाडु	जिस व्यक्ति द्वारा श्रमिकों को कार्य पर भेजा गया था उसी व्यक्ति द्वारा दूरभाष में संपर्क कर सभी 03 श्रमिकों को सकुशल गृहग्राम वापस बुला लिया गया श्रमिक बंधक नहीं पाये गये।	3	0	–
2	दंतेवाड़ा	2016-17	श्री भीमा मण्डावी (पूर्व विधायक दंतेवाड़ा)	15.05.2016	तमिलनाडु में बंधक मजदूरों के रिहा कराने बाबत्	17	तमिलनाडु जिला -इरोढ़	जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम के माध्यम से कार्य स्थल पर जाकर जांच की गई। 09 श्रमिकों को सकुशल गृह-ग्राम वापस लाया गया। जांच में श्रमिको का बंधक होना प्रमाणित नहीं पाया गया।	9	0	मात्र 9 श्रमिक ही पाये गये
		2016-17	श्री कवासी लखमा (विधायक कोन्टा)	23.05.2016	विशाखापटनम आंध्रप्रदेश	6	विशाखापटनम	जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम द्वारा कार्य स्थल पर जाकर कार्यरत 06 श्रमिको का बयान लिये जाने पर श्रमिकों द्वारा बंधक नही होने तथा अपने मर्जी से स्थल पर काम करने का कथन किया गया।	6	0	–
3	बीजापुर	2016-17	श्री सुशील परेटेटी ग्राम भटटपल्ली	29.08.16	मजदूरों को प्रतिमाह सात हजार मजदूरी और खाना देने का लालच देकर ग्राम बापपटला (राज्य तेलंगाना) ले गया	16	ग्राम बापटला, तेलगांना	जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम द्वारा श्रमिको को सकुशल गृहग्राम वापस लाया गया। जांच में श्रमिक बंधक नही पाये गये।	11	0	5 श्रमिक पूर्व में ही स्वतः वापस आ गये थे।

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 2645) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बेमेतरा जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में गौण खनिज मद में आबंटित राशि से स्वीकृत कार्यों की वर्षवार जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	ग्राम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
वर्ष 2016-17				
नगर पालिका परिसर, बेमेतरा				
1	वार्ड क्र0 09 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	नगर पालिका बेमेतरा	01	3.625
कार्यालय जनपद पंचायत नवागढ़				
1	सी.सी. रोड तथा नाली निर्माण का कार्य	नांदघाट एवं आश्रित ग्राम खपरी	01	8.798
जनपद पंचायत बेरला				
1	सी.सी. रोड निर्माण	गोटमर्रा, सलधा, तारालिम लावातरा, तिवरैया, खम्हरिया ढाबा, अकोली, सहगॉव, बलौदीकला हरदी, भालेसर, डगनिया ब, मुड़पार खुर्द, किरीतपुर, लावातरा, बहेरघट, अकोली, रवेली, लावातरा, ताकम, तेलगा भिलौरी, लावातरा, पिरदा, पिरदा, गुधेली, बहिंगा	30	65.12
2	कुऑ में चबुतरा निर्माण	बुढ़ाजौंग, बावनलाख, किरीतपुर	03	0.75
3	पचरी निर्माण	बेरलाकला, ताकम, लाटा, बहेरघट, ढाबा, तबलघोर, नवागॉव, नयाढाबा	08	12.25
4	पुल निर्माण	तिलाई और भाठासोरही	02	5.40
5	नाली निर्माण	ढाबा	01	2.50
6	उपस्वास्थ्य केंद में अहाता निर्माण	रेवे	01	3.00
7	बोर खनन एवं पंप	देवरी, जामगॉव	02	1.25
8	ग्राम पंचायत भवन जीर्णोद्वार	हरदी, तिलई, लेंजवारा, अकोली	04	3.00
9	चबुतरा जीर्णोद्वार	डगनिया ब, पुराना ढाबा	02	1.00
10	निर्मलाघाट जीर्णोद्वार	बहेरघट	01	0.50
11	सामुदायिक भवन जीर्णोद्वार	भिलौरी, भरदा	02	1.50
12	प्रा0शाला भवन जीर्णोद्वार	अकोली	01	0.50
13	आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्वार	गोड़गिरी, चण्डी, बेरलाकला	03	1.50

क्र.	कार्य का नाम	ग्राम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
14	शास. उच्चतर मा0शाला मैदान समतलीकरण	मोहभटठा	01	0.10
	कुल योग :–		63	110.793
वर्ष 2017–18				
जनपद पंचायत, बेमेतरा				
1	नाली निर्माण	खाम्ही, पिपरभटठा	02	5.09
2	मोटर पंप का कार्य	पिपरभटठा, मुनरबोर्ड, चोरभटठा, फरीबीजाभाट	07	
3	पूर्व मा.शा. में मंच निर्माण मुनरबोड	मूनरबोड	01	
4	नाली सफाई	बीजाभाठ	01	
5	स्ट्रीट लाईट	बीजाभाठ	01	
	कुल योग :–		12	5.09
जनपद पंचायत बेरला				
1	सी.सी रोड निर्माण सीमेंटीकरण	तिलाई, गुधेली, उफरा, लावातरा, भिलौरी, ढाबा, देवसरा, कोहड़िया, बेरलाकला, केशडबरी, खम्हरिया, मोहभटठा, परपोड़ा, भटगॉव, कठिया, बारगॉव, देवरी, सोरला, बहेरा, आनंदगॉव, सांकरा, रवेलीतिलाई, डगनिया ख,	27	42.10
2	बोर खनन	भाठासोरी, सूरजपुरा	02	0.95
3	पचरी निर्माण	नवागॉव,	01	0.50
4	पानी टंकी नल कनेक्शन	सोढ़, सिवार, अकोली	03	0.8
5	गाउ डबरी में निर्मलाघाट निर्माण हसदा	हसदा	01	1.00
	कुल योग :–		34	45.35

प्रपत्र "ब"

बेमेतरा जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि स्वीकृत कार्यों की वर्षवार जानकारी

कमांक	कार्य का नाम	ग्राम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
वर्ष 2016-17				
1.	माध्यमिक शाला में मीठी जल हेतु पाईपलाईन कार्य	लालपुर, बिरमपुर, करेली, देवरी, भालेसर, बचेड़ी, टेमरी, सिवार बेरलाकला	10	16.97
2.	प्रा0 एवं उपस्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण फीटर डाप्लर मशीन, वाटर फील्टर मशीन, बीपी मशीन, लेवर टेबल, पलंग, मेटरेस पिलो, इत्यादी सामग्री प्रदाय	नांदघाट, भालेसर, सिवार	03	2.00
3	प्रा0पाला एवं पूर्व मा0 शाला ई स्मार्ट क्लास निर्माण हेतु	चण्डी, बारगॉव, पेण्ड्री, कंडरका, कुसमी	05	6.00
4	जिला चिकित्सालय में सोलर मास्क लाईट	जिला अस्पताल परिसर बेमेतरा	02	7.20
5	उज्जवला योजनान्तर्गत गैस चूल्हा प्रदाय	पूरे जिले में	01	5.00
	कुल योग :-		21	37.17
वर्ष 2017-18				
1	विधायक आदर्श ग्राम खिलोरा एवं जिला चिकित्सालय में सोलर मास्क लाईट	खिलोरा, जिला अस्पताल परिसर बेमेतरा	01	3.60
2	प्रा0शाला एवं पूर्व मा0 शाला ई स्मार्ट क्लास निर्माण हेतु	खुड़मुड़ा	01	1.20
	कुल योग :-		02	4.80

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 2213) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

के.एस.के. पॉवर प्लांट जांजगीर-चांपा में नियोजित कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिकों एवं उसमें से स्थानीय श्रमिकों की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	अकुशल श्रमिक			अर्धकुशल श्रमिक			कुशल श्रमिक			कुल नियोजित श्रमिकों की संख्या		
		अन्य	स्थानीय	कुल	अन्य	स्थानीय	कुल	अन्य	स्थानीय	कुल	अन्य	स्थानीय	कुल
1	2014–15	90	979	1069	30	268	298	307	647	954	427	1894	2321
2	2015–16	104	1063	1167	27	306	333	320	616	936	451	1985	2436
3	2016–17	102	1127	1229	23	265	288	270	690	960	395	2082	2477
4	2017–18	75	1027	1102	29	299	328	208	679	887	312	2005	2317

प्रपत्र "ब"

निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता एवं संयंत्र के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	निरीक्षण–कर्ता का पदनाम	निरीक्षण तिथि	अधिनियम का नाम	निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण	संयंत्र के विरूद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	सहायक संचालक	07.04.2014	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर चिकित्सा अधिकारी नियुक्ति, सुरक्षित कार्य–पद्धति, उपयुक्त बचाव उपकरण की पर्याप्त उपलब्धता, कल्याण अधिकारी, समय पत्रक/ओवर टाईम स्लिप, कालावधियों की सूचनाओं, हाजरी रजिस्टर, संवैतनिक अवकाश संबंधी अभिलेख निरीक्षण के दौरान नही पाये गये।	कारखाना प्रबंधन को छ.ग. कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 131(ए)(सी)(1), नियम 73ई, नियम 73(1), धारा 49 नियम 88(1), धारा 59(5) नियम 94(1)(2), धारा 61(8) नियम 95, धारा 62 के उल्लंघन हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रकरण श्रम न्यायालय में दिनांक 20.05.2014 को दायर किया गया।
2	**सहायक संचालक**	07.04.2014	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम 1996	संबंधित ठेका प्रबंधन को नियोजित ठेका श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी, सुरक्षा समिति गठन, भवन निर्माणी श्रमिकों के चिकित्सकीय परीक्षण, निर्माणी श्रमिकों को सुरक्षा हेल्मेट व जूते सुरक्षा बेल्ट एवं सुरक्षा लाईफ लाईन उपलब्ध कराने, उत्थापक साधित्र विन्च, रस्सियों एवं उत्थापक गियर की प्रारंभिक जांच एवं कालिक परीक्षण संबंधी अभिलेख निरीक्षण के दौरान नहीं पाये गये।	निर्माणी ठेका प्रबंधन को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 44 एवं नियम 2008 के नियम 223, नियम 39, नियम 54, नियम 55 एव 50, नियम 58, 59,62 एवं 71 के उल्लंघन हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रकरण श्रम न्यायालय में दिनांक 25.06.2014 को दायर किया गया।

सहायक संचालक	07.04.2014	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996	संबंधित ठेका प्रबंधन को नियोजित ठेका श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी, सुरक्षा समिति गठन, भवन निर्माणी श्रमिकों के चिकित्सकीय परीक्षण, उपजीविका जन्य स्वास्थ्य केन्द्र, एम्बुलेंस रूम, एम्बुलेंस वेन एवं स्ट्रेचर की व्यवस्था, आपात–कालिन परिस्थितियों से निपटने हेतु आपात–कालिन कार्य योजना, निर्माणी श्रमिकों को सुरक्षा हल्मेट, जूते, सुरक्षा बेल्ट एवं सुरक्षा लाईफ लाईन उपलब्ध कराने, उत्थापक साधित्र विन्च, रस्सियों एवं उत्थापक गियर की प्रारंभिक जांच एवं कालिक परीक्षण संबंधी अभिलेख निरीक्षण के दौरान नही पाये गये।	निर्माणी ठेका प्रबंधन को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 की 44, नियम 208 एवं 209, नियम 223 एवं 224, नियम 225, 226, 227 एवं 228, नियम 36, नियम 39, नियम 54, नियम 178, 179 एवं 180, नियम 55 एवं 56, नियम 58, 59, 62 एवं 71 के तहत निरीक्षण टीप प्रेषित किया गया। प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
[illegible]	3[illegible]7.2014	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित किये गये श्रमिकों का नियोजन के पूर्व या नियोजन के पन्द्रह दिवस के भीतर एवं नियोजन के पश्चात् कालिक चिकित्सकीय परीक्षण, कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित कैंटिन/स्वल्पाहार–गृह में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ, पेय एवं अन्य वस्तुओं के मूल्य संबंधी अभिलेख निरीक्षण के दौरान नही पाये गये।	कारखाना प्रबंधन को छ.ग.कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 19, नियम 131(2)(बी), नियम 77 व नियम 80 के उल्लंघन हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रकरण श्रम न्यायायल में दिनांक 15.10.2014 को दायर किया गया।
श्रम उप निरीक्षक	13.03.2014	संविदा श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1970	संस्थान में कार्यरत ठेकेदार श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा अनुज्ञप्ति का नवकरण समयावधि में नहीं किया जाना पाया गया।	ठेकेदार श्री सुशील कुमार अग्रवाल के विरूद्ध संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत माननीय श्रम न्यायालय जांजगीर में प्रकरण दिनांक 25.10.2014 को दायर किया गया।

6	सहायक संचालक	25.08.2014	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों को समुचित दिशा--निर्देश एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण, कारखानें के अंतर्गत वस्तुओं और पदार्थो के प्रयोग उनकी उठाई, धराई, उसके भण्डारण और परिवहन के संबंध में सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में, समस्त कार्य स्थलों को एवं उन कार्यस्थलों पर पंहुचने हेतु ऐसे समस्त साधनों को उचित रूप से अनुरक्षित और व्यवस्थित बनाये रखने, कार्य करने के सुरक्षित कार्य–पद्धति, उपयुक्त सुरक्षा उपकरण की उपलब्धता के संबंधी अभिलेख निरीक्षण के दौरान नही पाये गये।	कारखाना अधिनियम 1948, की धारा 7ए(1),धारा 7ए(2)(बी) धारा 7ए(2)(डी), छ.ग. कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 73(1) व नियम 73--ई के उल्लंघन हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रकरण श्रम न्यायालय में दिनांक 07.10.2014 को दायर किया गया।
7	श्रम उप निरीक्षक	25.10.2014	संविदा श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1970	संस्थान में कार्यरत टेकेदार श्री बसंत देवरे द्वारा अनुज्ञप्ति का नवकरण समयावधि में नहीं किया जाना पाया गया।	ठेकेदार श्री बसंत देवरे के विरूद्ध संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत माननीय श्रम न्यायालय जांजगीर में प्रकरण दिनांक 25.10. 2014 को दायर किया गया।
8	श्रम उप निरीक्षक	13.08.2014	न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948	संस्थान में कार्यरत ठेकेदार ग्लोबस इंजीनियरिंग द्वारा श्रमिकों का अभिलेख, कार्य दिवस घंटे, ओवर टाईम अभिलेख का संधारण किया जाना नहीं पाया गया।	ठेकेदार ग्लोबस इंजीनियरिंग के विरूद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत माननीय श्रम न्यायालय जांजगीर में प्रकरण दिनांक 01.01.2015 को दायर किया गया।

9	श्रम उप निरीक्षक	13.0[illegible]	न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948	संस्थान में कार्यरत ठेकेदार श्री सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा श्रमिकों का अभिलेख, कार्य दिवस घंटे, ओवर टाईम अभिलेख का संधारण किया जाना नहीं पाया गया।	ठेकेदार श्री सुशील कुमार अग्रवाल के विरुद्ध न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत माननीय श्रम न्यायालय जांजगीर में प्रकरण दिनांक 01.01.2015 को दायर किया गया।
10	सहायक संचालक	07.01.2015	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित श्रमिक संख्या के आधार पर चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करने, फर्स्ट एड बाक्स एवं उसके सामान/उपकरण रखने, कार्यरत् श्रमिकों के चिकित्सा परीक्षण के संबंध में अभिलेख निरीक्षण के दौरान नही पाये गये।	कारखाना प्रबंधन को छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 131(a) ,धारा 45 उप नियम (1), नियम 19 एवं नियम 131(2)(b) के तहत निरीक्षण टीप प्रेषित किया गया। कारखाने द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
11	सहायक संचालक	17.06.2015	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं सुरक्षित कार्य–पद्धति अपनाये जाने के संबंध में निरीक्षण टीप जारी किया गया था।	कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम 1948, की धारा 7A(1), धारा 17(1) एवं नियम 73-E के तहत निरीक्षण टीप प्रेषित किया गया। कारखाने द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
12	सहायक संचालक	09.10.2015	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित कैंटिन/स्वल्पाहार–गृह में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ, पेय एवं अन्य वस्तुओं के मुल्य संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निरीक्षण टीप जारी किया गया था।	कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम 1948, की धारा 46 एवं छ. ग. कारखाना नियामावली, 1962 के नियम 77 से नियम 82, धारा 59(5) नियम 94(1) एवं 94(2) के तहत निरीक्षण टीप प्रेषित किया गया। कारखाने द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

13	सहायक संचालक	22.10.15 23.10.15	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों को समुचित दिशा-निर्देश एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण, समस्त कार्य स्थलों को एवं उन कार्यस्थलों पर पंहुचने हेतु ऐसे समस्त साधनों को उचित रुप से अनुरक्षित और व्यवस्थित बनाये रखने, कार्य करने के सुरक्षित कार्य-पद्धति, उपयुक्त सुरक्षा उपकरण की उपलब्धता के संबंधी अभिलेख निरीक्षण के दौरान नही पाये गये।	कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम 1948, की धारा 7ए(1), धारा 7ए(2)(सी), धारा 7ए(2)(बी) व नियम 73-ई के उल्लंघन हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रकरण श्रम न्यायालय में दिनांक 16.11.2015 को दायर किया गया।
14	सहायक संचालक	19.11.2015	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित श्रमिकों के अतिकाल संबंधी दस्तावेज व अतिकाल के भुगतान बाबत् अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निरीक्षण टीप जारी किया गया था।	कारखाना प्रबधन को कारखाना अधिनियम 1948, की धारा 59 व 64, धारा 59(5) एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 94(1) एवं 94(2) के तहत निरीक्षण टीप प्रेषित किया गया। कारखाने द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
15	सहायक संचालक	22.02.2016	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत अग्निशामक उपकरणों की, एम्बूलेंस वेन में पैरामेडिकल स्टॉफ अथवा प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित सहायक से संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निरीक्षण टीप जारी किया गया था।	कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 38 की उपधारा (1) एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 72 के उपनियम 12(ग) व 12(ख) के तहत निरीक्षण टीप प्रेषित किया गया। कारखाने द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

16	सहायक संचालक	19.05.2016	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित किये गये श्रमिकों का नियोजन के पूर्व या नियोजन के पन्द्रह दिवस के भीतर एवं नियोजन के पश्चात् कालिक चिकित्सकीय परीक्षण, कारखाना परिसर के अंतर्गत स्थापित कैंटिन/स्वल्पाहार–गृह में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ, पेय एवं अन्य वस्तुओं के मूल्य संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निरीक्षण टीप जारी किया गया था।	कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 46 एवं छ. ग. कारखाना नियामावली, 1962 के नियम 77 से नियम 82 छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 19 एवं नियम 131(2)(b) के तहत निरीक्षण टीप प्रेषित किया गया। कारखाने द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
17	सहायक संचालक	01.07.2016	भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम 1996	संबंधित ठेका प्रबंधन को संन्निर्माण कार्य स्थल पर घटित दुर्घटना के तत्काल पश्चात् समय–सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया।	ठेका प्रबंधन को छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 48(2), नियम 210 के उल्लंघन हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रकरण श्रम न्यायालय में दिनांक 03.09.2016 को दायर किया गया।
18	सहायक संचालक	18.07.2016	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित किये गये श्रमिकों सुरक्षा सुनिश्चित करने, पर्याप्त सुरक्षा प्राशेक्षण एवं श्रमिक के लिए एक जोखिम रहित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित नही किया जाना पाया गया।	कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम 1948, की धारा 7ए(1), धारा 7ए(2)(सी), व नियम 73–ई के उल्लंघन हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रकरण श्रम न्यायालय में दिनांक 03.09.2016 को दायर किया गया।

19	सहायक संचालक	02.11.2016	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित किये गये श्रमिकों को चिकित्सा परीक्षण एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नही कराया जाना पाया गया।	कारखाना अधिनियम 1948, की धारा 41(सी), छ.ग. कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 73(1) के उल्लंघन हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रकरण श्रम न्यायालय में दिनांक 09.12.2016 को दायर किया गया।
20	उप निरीक्षक	21.12.2016	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	संस्थान में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स ओलटेक ओ. एण्ड. एम. साल्यूशन प्रा. लि. द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत अधिनियम का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया।	ठेकेदार मेसर्स ओलटेक ओ.एण्ड एम. साल्यूशन प्रा. लि. द्वारा पालन प्रतिवेदन दिनांक 13.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है।
21	श्रम निरीक्षक	21.12.2016	संविदा श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1970	संस्थान में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स सन्शटेबल स्कील केपिटल द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत अर्द्धवार्षिक विवरणी समयावधि में प्रस्तुत नही किया जाना पाया गया।	ठेकेदार मेसर्स सन्शटेबल स्कील केपिटल द्वारा पालन प्रतिवेदन दिनांक 10.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है।
22	श्रम निरीक्षक	21.12.2016	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	संस्थान में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स सन्शटेबल स्कील कैपिटल द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रवासी कर्मकार का हाजिरी पंजी संधारित किया जाना नहीं पाया गया।	ठेकेदार मेसर्स सन्शटेबल स्कील केपिटल द्वारा पालन प्रतिवेदन दिनांक 10.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है।
23	श्रम निरीक्षक	21.12.2016	उपादान अधिनियम 1972	संस्थान में कार्यरत ठेकेदार मेसर्स सन्शटेबल स्कील केपिटल द्वारा संस्थान के प्रारंभ की सूचना नियंत्रण प्राधिकारी उपादान अधिनियम 1972 के अंतर्गत समयावधि में नही दी गई।	ठेकेदार मेसर्स सन्शटेबल स्कील केपिटल द्वारा पालन प्रतिवेदन दिनांक 10.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है।

24	सहायक संचालक	30.03.2017	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखाने के अंतर्गत नियोजित किये गये श्रमिकों सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित नही किये जाने के संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था।	कारखाना प्रबंधक को कारखाना अधिनियम 1948, की धारा 7ए(1), एवं 7ए(2)(सी) के उल्लंघन हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रकरण श्रम न्यायायल में दिनांक 30.06.2017 को दायर किया गया।
25	सहायक संचालक	25.04.2017	कारखाना अधिनियम 1948	कारखाना प्रबंधन को कारखानें के अंतर्गत स्थापित लिफ्टिगं मशीन्स, चौन्स, रोप्स, एवं लिफटिंग टैकल्स, स्थापित समस्त प्रेशर वेसल्स का मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा नियुक्त सक्षम व्यक्ति से परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट एवं कारखाने में कार्यरत नियमित/ठेका श्रमिकों की उपस्थिति निर्धारित हाजरी पंजीयन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निरीक्षण टीप जारी किया गया था।	कारखाना प्रबंधन को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 29, धारा 31 व धारा 62 के तहत निरीक्षण टीप प्रेषित किया गया। कारखाने द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2578) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोरबा जिले में 01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2017 तक निविदा जारी कर क्रय की गई सामग्री का विवरण

क्र.	वर्ष	योजना/घटक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रूपये)	कुल राशि (रूपये)
1	2015–16	मुख्यमंत्री कन्या विवाह हेतु उपहार सामाग्री	पैजामा	200	2260	452000
2			फुल आस्तीन कुर्ता	200		
3			पीले रंग का दुल्हा साफा	200		
4			दुल्हा पगड़ी लाल रंग	200		
5			सफेद नेपकीन जेन्ट्स	200		
6			सफेद नेपकीन लेडिस	200		
7			दुल्हन साड़ी (लाल/महरून)	200		
8			पेटीकोट नाड़ा सहित	200		
9			सिला हुआ ब्लाउज	200		
10			गाउन सहित चुनरी	200		
11			1 जोड़ी लेडिस चप्पल	200		
12			1 जोड़ी जेन्ट्स जुता	200		
13			1 चांदी का मंगलसूत्र	200		
14			वर मौर मुकुट	200		
15			वधु मौर मुकुट	200		
16			12 नग चुड़ी 1 सेट	200		
17			पैराशुट आईल	200		
18			1 पैकेट सिंदुर	200		
19			100 ग्राम का ब्राण्डेड फेस पाउडर	200		
20			1 नग कंघी	200		
21			2 नग फुलवारी क्लीप 1 सेट	200		
22			1 बेनी बक्कल	200		
23			1 सेप्टी पिन	200		
24			1 लिप्सिटिक लाल रंग	200		
25			1 पत्ता लाल बिंदी	200		
26			1 शीशी नेल पॉलिस ब्राण्डेड कम्पनी	200		

क्र.	वर्ष	योजना / घटक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रूपये)	कुल राशि (रूपये)
27			75 ग्राम का फेस क्रीम ब्राण्डेड	200		
28			100 ग्राम अलता	200		
29			2 नग कोन मेहंदी 1 सेट	200		
30			1 काजल डिबिया	200		
31			1 श्रृंगार बॉक्स दर्पण युक्त	200		
			योग		2260	452000
32			1 नग सूटकेश (साईज 22 इंच)	200	560	112000
33			1 सेट क्वाटर्ज (पेयर) कलाई घड़ी बैटरी सहित	200	360	72000
34			1 नग टार्च बैटरी सहित	200	205	41000
35			1 नग गद्दा रूई का (3X6)	200	325	65000
36			2 तकिया (2x1)	200	126	25200
37			1 कॉटन रंगीन चादर (3X6)	200	150	30000
38			1 नग टेबल पंखा– 16 इंच ब्राण्डेड कम्पनी तीन पत्ती वाली	200	1695	339000
			योग		3421	684200
1	2015–16	आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री–स्कूल किट	बिल्डिंग ब्लॉक (प्लास्टिक) 30 पीस 1 सेट	2265	59	133635
2			किचन सेट, डॉक्टर सेट, तराजू सेट 1–1 नग	2265	149	337485
3			रस्सी मोटी 10 मीटर की रस्सी –01 नग	2265	67	151755
4			गेंद –2 बड़ी गेंद एवं 3 छोटी साफ्ट बॉल –1 सेट	2265	87	197055
5			विभिन्न आकार (शेप) साईज एवं रंगों के ऑब्जेक्ट (खिलौने–प्लास्टिक) –6 नग का सेट	2265	71	160815
6			जानवरों का चार्ट –1 नग	2265	59	133635
7			हिन्दी वर्णमाला का चार्ट –1 नग	2265	61	138165
8			फलों का चार्ट –1 नग	2265	63	142695
9			कागज सादा एवं रंगीन (05 छोटा पैकेट का 01 सेट)	2265	41	92865

क्र.	वर्ष	योजना/घटक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रूपये)	कुल राशि (रूपये)
10			क्रेयान–2 पैकेट का 1 सेट	2265	29	65685
11			चॉक–सफेद–1 बॉक्स एवं रंगीन 1 बॉक्स	2265	79	178935
12			पासा जिसमें एक से छः अंक बने हो – बड़ा 02 नग का 1 सेट	2265	20	45300
13			स्लेट–4 नग का 1 सेट	2265	69	156285
14			बैट बॉल सेट–01 नग	2265	29	65685
15			पहिए से खीचने वाला खिलौना (कार/एरोप्लेन)–02 नग का 1 सेट	2265	89	201585
16			फ्लाईग डिस्क –01 नग	2265	59	133635
17			स्कीपिंग रोप –02 नग का 1 सेट	2265	39	88335
18			हूलाहूप –02 नग का 1 सेट	2265	79	178935
19			क्ले–04 कलर का 04 नग का 1 सेट	2265	49	110985
20			गुडिया–05 नग का 1 सेट	2265	89	201585
			योग			2915055
1	2015–16	आंगनबाड़ी सह क्रेश केन्द्रों की स्थापना हेतु सामग्री	पालना 02 नग का 1 सेट	50	2068	103400
2			गद्दी 03 नग का 1 सेट	50	1849	92450
3			चादर 06 नग का 1 सेट	50	1199	59950
4			ब्लेंकेट 03 नग का 1 सेट	50	2326	116300
5			मच्छरदानी 03 नग का 1 सेट	50	605	30250
6			प्लास्टिक सीट 02 नग का 1 सेट	50	188	9400
7			चटाई/दरी 01 नग 1 सेट	50	300	15000
8			टब स्टील 01 नग	50	721	36050
9			वॉटर फिल्टर 01 नग	50	1589	79450
			योग			542250
1	2016–17	आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री–स्कूल किट	बिल्डींग बीकर 01 नग	2265	60	135900
2			गुडिया–02 नग	2265	25	56625
3			जानवरों के मुखौटे 10 नग	2265	25	56625

क्र.	वर्ष	योजना/घटक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रूपये)	कुल राशि (रूपये)
4			किचन सेट 01 नग	2265	55	124575
5			डॉक्टर सेट 01 नग	2265	50	113250
6			पजल 03 सेट(जानवर,फल,आकार प्रत्येक का 1 सेट)वुडन बोर्ड	2265	130	294450
7			हैण्ड पपेट 02 नग	2265	80	181200
8			बैट –बॉल सेट –02 सेट	2265	60	135900
9			सीटी 01 नग	2265	5	11325
10			रबर रिंग 01 नग	2265	20	45300
11			फ्लाईग डिस्क 01 नग	2265	15	33975
12			लट्टू 04 नग	2265	30	67950
13			सिलेण्डर बॉक्स (वुडन) 01 नग	2265	100	226500
14			शेप बॉक्स 01 नग	2265	45	101925
15			कागज रंगीन 01 पैकेट	2265	30	67950
16			क्रेयॉन 05 पैकेट	2265	40	90600
17			स्लेट 10 नग	2265	130	294450
18			फ्लैनेल बार्ड 01 नग	2265	70	158550
19			काउंटिक फ्रेम 01 नग	2265	30	67950
			योग			**2265000**

प्रपत्र "ब"

शेष भुगतान संबंधी सामग्री का विवरण

क्र.	वर्ष	योजना/घटक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रूपये)	कुल राशि (रूपये)
1	2016–17	आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री–स्कूल किट	बिल्डींग बीकर 01 नग	2265	60	135900
2			गुडिया–02 नग	2265	25	56625
3			जानवरों के मुखौटे 10 नग	2265	25	56625
4			किचन सेट 01 नग	2265	55	124575
5			डॉक्टर सेट 01 नग	2265	50	113250
6			पजल 03 सेट (जानवर,फल,आकार प्रत्येक का 1 सेट)वुडन बोर्ड	2265	130	294450
7			हैण्ड पपेट 02 नग	2265	80	181200
8			बैट –बॉल सेट –02 सेट	2265	60	135900
9			सीटी 01 नग	2265	5	11325
10			रबर रिंग 01 नग	2265	20	45300
11			फ्लाईग डिस्क 01 नग	2265	15	33975
12			लट्टू 04 नग	2265	30	67950
13			सिलेण्डर बॉक्स (वुडन) 01 नग	2265	100	226500
14			शेप बॉक्स 01 नग	2265	45	101925
15			कागज रंगीन 01 पैकेट	2265	30	67950
16			केयॉन 05 पैकेट	2265	40	90600
17			स्लेट 10 नग	2265	130	294450
18			फ्लैनेल बार्ड 01 नग	2265	70	158550
19			काउंटिक फेम 01 नग	2265	30	67950
			योग			2265000

परिशिष्ट "छह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2662) की जानकारी]

वर्ष 2015-16 में प्री-स्कूल किट क्रय हेतु की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	जिला	वर्ष 2015-16 में प्री-स्कूल किट क्रय हेतु कृत कार्यवाही
1	बालोद	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
2	बलौदा बाजार	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
3	बलरामपुर	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
4	बस्तर	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
5	बेमेतरा	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
6	बीजापुर	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
7	बिलासपुर	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
8	दंतेवाड़ा	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
9	धमतरी	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
10	दुर्ग	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
11	गरियाबंद	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
12	जांजगीर	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
13	जशपुर	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
14	कांकेर	क्रय नहीं किया गया।
15	कबीरधाम	क्रय नहीं किया गया।
16	कोण्डागांव	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
17	कोरबा	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
18	कोरिया	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
19	महासमुंद	क्रय नहीं किया गया।
20	मुंगेली	क्रय नहीं किया गया।
21	नारायणपुर	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
22	रायगढ़	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
23	रायपुर	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।
24	राजनांदगांव	क्रय नहीं किया गया।
25	सरगुजा	वर्ष 2015-16 में आं.बा. केन्द्रों में प्री-स्कूल किट प्रदाय के लिए प्रथम बार पूर्णकालिक निविदा एवं द्वितीय बार अल्पकालिक निविदा बुलाई गई किंतु दोनो निविदाओं में प्री-स्कूल किट सामग्री निर्धारित मानक अनुसार नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त की गई। निविदा निरस्त होने के पश्चात केन्द्रीय भंडार रायपुर को प्रदाय आदेश दिया गया था किंतु बाद में क्रय आदेश निरस्त किया गया। इस प्रकार वर्ष 2015-16 में प्री-स्कूल किट का क्रय नहीं किया गया।
26	सूरजपुर	क्रय नहीं किया गया।
27	सुकमा	निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की गई।

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2637) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ जिले में मध्यम कुपोषित तथा गंभीर कुपोषित बच्चों की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	परियोजना का नाम	मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या	गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या	कुल कुपोषित बच्चों की संख्या
1	रायगढ़	धर्मजयगढ़	धर्मजयगढ़	2200	673	2873
2			कापू	2101	880	2981
			योग	4301	1553	5854
3		लैलूंगा	लैलूंगा	1265	471	1736
4			मुकड़ेगा	1040	340	1380
			योग	2305	811	3116
5		घरघोड़ा	घरघोड़ा	1599	552	2151
6		तमनार	तमनार	1515	447	1962
7		रायगढ़	रायगढ़ शहरी	1475	527	2002
8			रायगढ़ ग्रामीण	1898	500	2398
			योग	3373	1027	4400
9		पुसौर	पुसौर	1393	333	1726
10		खरसिया	खरसिया	2168	651	2819
11		सारंगढ़	सारंगढ़	840	345	1185
12			कोसीर	1019	755	1774
			योग	1859	1100	2959
13		बरमकेला	बरमकेला	1263	355	1618
14			लेंध्रा	591	197	788
			योग	1854	552	2406
कुल योग				**20367**	**7026**	**27393**

प्रपत्र "ब"

प्रमुख घटकों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 जनवरी 2018 की स्थिति में व्यय की जानकारी

क्र.	परियोजना का नाम	बाल संदर्भ योजना अन्तर्गत व्यय राशि	पूरक पोषण योजना अन्तर्गत व्यय राशि	मुख्यमंत्री अमृत योजना अन्तर्गत व्यय राशि	महतारी जतन योजना अन्तर्गत व्यय राशि	वजन त्यौहार 2017 अन्तर्गत व्यय राशि	कुल व्यय राशि
1	जिला कार्यालय रायगढ़	0	13632391	7502980	3105704	0	**24241075**
2	घरघोड़ा	112460	7723567	0	387615	5000	**3228642**
3	तमनार	81644	9129950	0	397084	0	**9608678**
4	रायगढ़ ग्रा.	130898	11538020	15480	335651	5000	**12025049**
5	बरमकेला	57799	7098082	9580	468698	5000	**7639159**
6	लेन्धा	48701	4665782	0	494709	0	**5209192**
7	रायगढ़ श.	60377	6942627	3660	341536	0	**7348200**
8	सारंगढ	0	9375772	0	472819	0	**9848591**
9	कोसीर	72357	12780235	12720	498578	0	**13363890**
10	पुसौर	31427	8813474	11180	383183	0	**9239264**
11	खरसिया	23220	14285477	18080	473572	0	**14800349**
12	लैलूंगा	25593	7100392	12836	312682	0	**7451503**
13	मुकडेगा	4500	6144601	0	354112	0	**6503213**
14	धरमजयगढ़	81086	10951019	12764	379441	0	**11424310**
15	कापू	163847	8744471	26540	409433	5000	**9349291**
योग –		**893909**	**138925860**	**7625820**	**8814817**	**20000**	**156280406**

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 2422) के भाग (क) की जानकारी]

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मांढर स्थित सीमेंट फेक्टरी हेतु खनिज चूनापत्थर के स्वीकृत खनिपट्टों की जानकारी

कमांक	जिले एवं ग्राम का नाम	रकबा (एकड़ में)	अवधि
1	2	3	4
1	रायपुर / मटिया, लालपुर, दोंदेकला, खुर्द	599.58	23.10.1967 से 22.10.1987 तक
2	रायपुर / पत्थरी, तरेसर	365.21	25.10.1975 से 24.10.1995 तक
3	रायपुर / लालपुर, तर्रा	92.19	06.01.1977 से 05.01.1997 तक

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2575) के भाग (क) की जानकारी]

मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-2016 से 11 जनवरी 2018 तक कृषि पम्पों के स्थायी तथा अस्थायी कनेक्शन से संबंधित प्राप्त आवेदनों की विकासखण्डवार संख्या

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
1	मानपुर	410	1064
2	मोहला	154	165
3	चौकी	200	92
	कुल	**764**	**1321**

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 457) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल)

लाभांन्वित हितग्राही एवं प्रशिक्षण/सामाग्री क्रय/ अनुदान हेतु स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18(31 जनवरी 2018 तक)			योग			महायोग
		अनुदान	सामग्री क्रय	लाभान्वित श्रमिक संख्या	अनुदान	सामग्री क्रय	लाभान्वित श्रमिक संख्या	अनुदान	सामग्री क्रय	लाभान्वित श्रमिक संख्या	
1	कौशल उन्नयन एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	1233405	0	197	462750	0	191	1696155	0	388	1696155
2	राजमाता कन्या विवाह सहायता योजनाकन्या विवाह योजना	27200000	0	1360	10100000	0	505	37300000	0	1865	37300000
3	भगिनी प्रसूति योजना	3486000	0	498	7000	0	1	3493000	0	499	3493000
4	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्ठि एवं अनग्रह राशि सहायता योजना	1800000	0	60	4110000	0	137	5910000	0	197	5910000
5	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	2520144	0	888	0	39585	13	2520144	39585	901	2559729
6	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	244500	0	489	174000	0	348	418500	0	837	418500
7	मेधावी छात्र–छात्रा प्रोत्साहन योजना	232000	0	232	381000	0	381	613000	0	613	613000
	योग	36716049	0	3724	15234750	39585	1576	51950799	39585	5300	51990384

प्रपत्र "ब"

(छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल)

लाभान्वित हितग्राही एवं प्रशिक्षण/सामाग्री क्रय/अनुदान हेतु स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18 (31 जनवरी 2018 तक)			योग		
		अनुदान	सामग्री क्रय	लाभान्वित श्रमिक संख्या	अनुदान	सामग्री क्रय	लाभान्वित श्रमिक संख्या	अनुदान	सामग्री क्रय	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	139842	0	51	0	0	0	139842	0	51
2	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना	86112	0	24	0	0	0	86112	0	24
3	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	1380	0	115	0	0	0	1380	0	115
	योग	227334	0	190	0	0	0	227334	0	190

प्रपत्र "स"

(छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल)

लाभांन्वित हितग्राही एवं प्रशिक्षण/सामाग्री कय/अनुदान हेतु स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18(31 जनवरी 2018 तक)			योग		
		अनुदान	सामग्री क्रय	लाभान्वित श्रमिक संख्या	अनुदान	सामग्री क्रय	लाभान्वित श्रमिक संख्या	अनुदान	सामग्री क्रय	लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	कन्या विवाह सहायता योजना	373000	0	47	219000	0	23	592000	0	70
2	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	224000	0	266	0	0	0	224000	0	266
	योग	597000	0	313	219000	0	23	816000	0	336

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 1041) की जानकारी]

क्र.	अपराध क्रमांक	धारा	अधिकारी / कर्मचारी का नाम एवं पद	न्यायालय का नाम	सजा पारित दिनांक
1	202 / 2002	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988	श्री राजेश कानकिरा, स्टेनो, कार्यालय वन मण्डला अधिकारी नारायणपुर	विशेष न्यायालय कोण्डागांव	**सजा निर्णय दिनांक 10.05.2017** को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 / – रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड नहीं पटाने की दशा में 02 माह का सश्रम कारावास की सजा पृथक से भुगताया जावे। अभियुक्त को धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) पीसीएक्ट 1988 के तहत् 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 / –रू. के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड नहीं पटाने की दशा में 03 माह का सश्रम कारावास की सजा पृथक से भुगतायी जावे एवं धारा 201 भा.द.वि. के अपराध में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 / –रू. की अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। तथा अर्थदण्ड न पटाने की दशा में 15 दिवस का सश्रम कारावास से दंडित किया जावे। अभियुक्त को दी गई दोनो सश्रम कारावास की सजाएं साथ–साथ भुगतायी जावे। अभियुक्त के अभिरक्षा की अवधि का पृथक से धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
2	09 / 2008	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988	श्री अनिल आचार्य लेखापाल, राजस्व शाखा वन मण्डला अधिकारी कोण्डागांव,	विशेष न्यायालय कोण्डागांव	**सजा निर्णय दिनांक 23.08.2017** आरोपी श्री अनिल आचार्य को अधिनियम की धारा 7, के तहत् दण्डनीय अपराध के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 / –रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) के तहत् दण्डनीय अपराध के लिए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 / –रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
3	45 / 2009	7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एवट 1988	श्री जीवराखन लाल सोरी, लेखापाल लघुवनोपज सहकारी समिति भानुप्रतापुर, जिला– कांकेर	विशेष न्यायालय कांकेर	**सजा निर्णय दिनांक 08.04.2016** आरोपी श्री जीवराखन लाल सोरी को अन्तर्गत धारा 7 भ्र.वि.अधि. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)डी, 13(2) में 02 वर्ष सश्रम कारावास का 10000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1484) की जानकारी]

प्रदेश में वर्ष 2015 से जनवरी 2018 की स्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराए गए कन्याओं की संख्या एवं वर्ष 2015 से विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विवाह कराए गए कन्याओं की वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराए गए कन्याओं की संख्या		विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराए गए कन्याओं की संख्या
		सामूहिक विवाह अन्तर्गत विवाह कराये गए कन्याओं की संख्या	सूखे से प्रभावित किसानों को उनकी कन्या के विवाह हेतु सहायता	
1	2	3	4	5
	जनवरी 2015 से मार्च 2015			
1	बेमेतरा	15	–	15
2	गरियाबन्द	128	–	128
3	जशपुर	685	–	685
4	कोरिया	206	–	206
5	बालोद	0	–	0
6	रायपुर	101	–	101
7	दन्तवाड़ा	349	–	349
8	राजनांदगांव	99	–	99
9	सूरजपुर	325	–	325
10	जांजगीर–चांपा	300	–	300
11	सरगुजा	540	–	540
12	कोण्डागांव	788	–	788
13	कांकेर	401	–	401
14	बिलासपुर	100	–	100
15	बीजापुर	0	–	0
16	मुंगेली	124	–	124
17	बलौदाबाजार	110	–	110
18	धमतरी	61	–	61
19	बलरामपुर–राम0	525	–	525
20	महासमुन्द	66	–	66
21	रायगढ़	392	–	392
22	नारायणपुर	110	–	110
23	दुर्ग	93	–	93
24	बस्तर	798	–	798
25	कबीरधाम	153	–	153
26	सुकमा	211	–	211
27	कोरबा	255	–	255
	योग	6935	–	6935

क्र.	जिला का नाम	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराए गए कन्याओं की संख्या		विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराए गए कन्याओं की संख्या
		सामूहिक विवाह अन्तर्गत विवाह कराये गए कन्याओं की संख्या	सूखे से प्रभावित किसानों को उनकी कन्या के विवाह हेतु सहायता	
1	2	3	4	5
		अप्रैल 2015 से मार्च 2016		
1	बेमेतरा	23	295	23
2	गरियाबन्द	144	8	144
3	जशपुर	161	0	161
4	कोरिया	272	0	272
5	बालोद	100	100	100
6	रायपुर	258	0	258
7	दन्तेवाड़ा	201	0	201
8	राजनांदगांव	214	178	214
9	सूरजपुर	275	0	275
10	जांजगीर–चांपा	161	8	161
11	सरगुजा	0	0	0
12	कोण्डागांव	79	0	79
13	कांकेर	20	33	20
14	बिलासपुर	236	37	236
15	बीजापुर	360	0	360
16	मुंगेली	49	0	49
17	बलौदाबाजार	220	0	220
18	धमतरी	26	87	26
19	बलरामपुर–राम0	270	0	270
20	महासमुन्द	197	9	197
21	रायगढ़	561	0	561
22	नारायणपुर	201	0	201
23	दुर्ग	172	0	172
24	बस्तर	888	0	888
25	कबीरधाम	47	0	47
26	सुकमा	148	0	148
27	कोरबा	200	100	200
	योग	**5483**	**855**	**5483**
		अप्रैल 2016 से मार्च 2017		
1	बेमेतरा	10	0	10
2	गरियाबन्द	61	674	61
3	जशपुर	805	15	805
4	कोरिया	0	507	0

क्र.	जिला का नाम	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराए गए कन्याओं की संख्या		विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराए गए कन्याओं की संख्या
		सामूहिक विवाह अन्तर्गत विवाह कराये गए कन्याओं की संख्या	सूखे से प्रभावित किसानों को उनकी कन्या के विवाह हेतु सहायता	
1	2	3	4	5
5	बालोद	5	1602	5
6	रायपुर	232	7	232
7	दन्तेवाड़ा	362	141	362
8	राजनांदगांव	89	3794	89
9	सूरजपुर	129	22	129
10	जांजगीर–चांपा	198	234	198
11	सरगुजा	366	0	366
12	कोण्डागांव	578	459	578
13	कांकेर	154	881	154
14	बिलासपुर	10	331	10
15	बीजापुर	280	27	280
16	मुंगेली	144	13	144
17	बलौदाबाजार	189	6	189
18	धमतरी	25	1989	25
19	बलरामपुर–राम0	1001	0	1001
20	महासमुन्द	369	373	369
21	रायगढ़	209	0	209
22	नारायणपुर	204	7	204
23	दुर्ग	112	218	112
24	बस्तर	0	216	0
25	कबीरधाम	347	128	347
26	सुकमा	62	11	62
27	कोरबा	0	450	0
	योग	5941	12105	5941
	अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक स्थिति में			
1	बेमेतरा	0	–	0
2	गरियाबन्द	17	–	17
3	जशपुर	0	–	0
4	कोरिया	0	–	0
5	बालोद	0	–	0
6	रायपुर	46	–	46
7	दन्तेवाड़ा	424	–	424
8	राजनांदगांव	121	–	121
9	सूरजपुर	0	–	0
10	जांजगीर–चांपा	13	–	13

क्र.	जिला का नाम	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराए गए कन्याओं की संख्या		विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विवाह कराए गए कन्याओं की संख्या
		सामूहिक विवाह अन्तर्गत विवाह कराये गए कन्याओं की संख्या	सूखे से प्रभावित किसानों को उनकी कन्या के विवाह हेतु सहायता	
1	2	3	4	5
11	सरगुजा	147	—	147
12	कोण्डागांव	0	—	0
13	कांकेर	73	—	73
14	बिलासपुर	50	—	50
15	बीजापुर	0	—	0
16	मुंगेली	99	—	99
17	बलौदाबाजार	101	—	101
18	धमतरी	23	—	23
19	बलरामपुर–राम0	501	—	501
20	महासमुन्द	0	—	0
21	रायगढ़	12	—	12
22	नारायणपुर	236	—	236
23	दुर्ग	102	—	102
24	बस्तर	0	—	0
25	कबीरधाम	4	—	4
26	सुकमा	60	—	60
27	कोरबा	0	—	0
	योग	**2029**	—	**2029**
	महायोग	**20388**	**12960**	**20388**

टीप:– मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत सूखे से प्रभावित किसानों की कन्याओं के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि सहायता 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक हुए विवाह के लिए देय थी।

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1595) के भाग (ख) की जानकारी]

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 से दिसंबर 2017 तक अवैध उत्खनन की प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	खनिज का नाम	मात्रा	जांच दिनांक	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2015-16						
1	दैनिक समाचार पत्र पत्रिका की पेपर कटिंग	अवैध ईट उत्खनन किये जाने के संबंध में ।	मिट्टी	40 क्यू मी	9.3.2016	ग्राम पुरगांव तहसील बिलाईगढ मे श्री राकेश चेलक द्वारा बिना वैध अनुमति के ईट निर्माण करते पाये जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर राशि रूपयें 11,200 जमा कराया गया ।
2	श्री बिहारीलाल साहू निवासी अमलीडीह पो मोहतरा द्वारा कटगी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	अवैध उत्खनन किये जाने के संबंध में ।	चूनापत्थर	15 टन	21.3.2016	ग्राम अमलीडीह तहसील कसडोल मे नीलकंठ साहू द्वारा चूनापत्थर का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर राशि रूपये 16,500 जमा कराया गया ।
3	श्री बिहारीलाल साहू निवासी अमलीडीह पो मोहतरा द्वारा कटगी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	अवैध उत्खनन किये जाने के संबंध में ।	चूनापत्थर	14 टन	21.3.2016	ग्राम अमलीडीह तहसील कसडोल मे रामबिलास साहू द्वारा चूनापत्थर का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर राशि रूपये 15,400 जमा कराया गया।
4	श्री बिहारीलाल साहू निवासी अमलीडीह पो मोहतरा द्वारा कटगी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	अवैध उत्खनन किये जाने के संबंध में ।	चूनापत्थर	30 टन	21.3.2016	ग्राम बरपाली तहसील कसडोल मे श्री अशोक निराला द्वारा चूनापत्थर का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर राशि रूपये 33,000 जमा कराया गया ।
वर्ष 2016-17						
5	श्री चंदराम साहू निवासी दुण्ड्री तहसील बिलाईगढ	अवैध उत्खनन किये जाने के संबंध में ।	चूनापत्थर	30 टन	2.4.2016	श्री शिवलाल पटेल द्वारा ग्राम खपरीडीह तहसील कसडोल चूनापत्थर का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर राशि रूपयें 33,000 जमा कराया गया

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 2014) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सरगुजा संभाग में दिसम्बर 2017 की स्थिति में पेंशन दिये जाने वाले तथा पेंशन नहीं दिये जाने वाले दिव्यांगों की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिला का नाम	दिव्यांगों को दी जा रही पेंशन की संख्या	पेंशन नहीं दिये जाने वाले दिव्यांगों की संख्या
1	2	3	4
1	सरगुजा	4538	4860
2	सूरजपुर	1177	2018
3	बलरामपुर	2315	4859
4	कोरिया	3731	4541
5	जशपुर	4532	17654
	योग	16293	33932

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2015-2016 से 2017-2018 में दिसम्बर 2017 तक दिव्यांगों को रोजगार प्रदाय की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	दिव्यांगों को प्रदाय रोजगार की संख्या वर्षवार			योग
		2015–2016	2016–2017	2017–2018 (दिसम्बर 2017 तक)	
1	2	3	4	5	6
1	सरगुजा	518	488	367	1373
2	सूरजपुर	16	06	0	22
3	बलरामपुर	09	03	03	15
4	कोरिया	06	08	04	18
5	जशपुर	10	24	80	114
	योग	559	529	454	1542

//

परिशिष्ट "पन्द्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2150) के भाग (क) की जानकारी]

छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत सायकल वितरित किये जाने हेतु शेष मितानिनों की जानकारी

क्र0	विकासखण्ड का नाम	कुल कार्यरत मितानिनों की संख्या	पंजीकृत मितानिनों की संख्या		सायकल वितरण						कुल सायकल वितरण	सायकल वितरण हेतु शेष मितानिनों की	
						वर्ष 2014-15 से जनवरी 18 तक वितरण							
			13-40 वर्ष आयु वाले	41-60 वर्ष आयु वाले	वर्ष 2014-15 के पूर्व वितरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (31 जनवरी 2018 तक)	योग		पंजीकृत	अपंजीकृत
1	सक्ती	408	341	67	258	0	0	64	10	74	332	9	0
2	बम्हनीडीह	113	48	43	41	0	0	4	0	4	45	1	24
3	बलौदा	43	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	41
	योग	589	388	116	299	0	0	68	10	78	377	11	65

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2260) की जानकारी]

कोण्डागांव जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु क्रय प्री-स्कूल किट का विवरण

		प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु क्रय प्री–स्कूल किट का विवरण	फर्म, जिससे सामग्री क्रय की गई
1	2015–16	(1) बड़े मोती (बीड़) 50 नग एवं स्ट्रिंग धागा–01 सेट (2) बिल्डिंग ब्लॉक (प्लास्टिक) 30 पीस–03 सेट (3)फल–01 नग, सब्जी–01 नग, जानवर–01 नग, पक्षी–01 नग आकार के खिलौने (आब्जेक्ट)– 02 सेट (4) मुखौटे – 10 नग (5) पजल– वुडन बोर्ड–02 नग (6) मोटी रस्सी 10 मीटर की रस्सी–01 नग (7) गेन्द–बड़ी गेंद एवं छोटी (साफ्ट बाल)–बड़ी गेंद 02 नग एवं छोटी गेंद 08 नग (साफ्ट बाल) (8) सीटी–10 नग (9) जानवरों का चार्ट– 01 नग (10) हिन्दी वर्णमाला का चार्ट–01 नग (11) फलों का चार्ट–01 नग (12) केयान–पैकेट (16 रंग)– 05 पैकेट (13) पेंसिल (10नग)–01 पैकेट (14) गोंद ट्यूब–50 एम.एल–05 नग (15) पासा जिसमें एक से छः अंक बने हो–10 नग (16) स्लेट–मध्यम आकार (प्लास्टिक) (साईज 10X12इंच) – 10 नग (17) काउंटिंग फ्रेम–01 नग (18) रिंग एंड स्टेक–05 नग (19) बैट बाल–02 सेट (20) फ्लाइंग डिस्क–03 नग (21) स्कीपिंग रोप–03 नग (22) टेनिस बाल 05 नग (23) फुटबाल–01 नग	मे.छ.ग. सेल्स एण्ड सप्लायर रायपुर छ.ग.।

क्र.	वर्ष	प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु क्रय प्री–स्कूल किट का विवरण	फर्म, जिससे सामग्री क्रय की गई
2	2016–17	(1) बिल्डिंग बिकर – 01 नग (2) गुड़िया–02 नग (3) जानवरों के मुखौटे–10 नग (4) किचन सेट–01 नग (5) डॉक्टर सेट–02 नग (6) पजल–03 सेट वुडन बोर्ड (7) हैण्ड पपेट–02 नग (8) बैट–बाल–02 नग (9) सीटी–01 नग (10) रबर रिंग–01 नग (11) फ्लाइंग डिस्क–01 नग (12) लट्टू–04 नग (13) सिलेण्डर बॉक्स (वुडन)–01 नग (14) शेप बाक्स–01 नग (15) कागज रंगीन–01 पैकेट (16) केयान–05 पैकेट (17) स्लेट–10 नग (18) फ्लैनल बोर्ड–01 नग (19) काउंटिंग फ्रेम–01 नग	मे. फैशन पार्क रायगढ़।
3	2017–18 में 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में	कोण्डागांव जिले में वर्ष 2017–18 में 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में प्री–स्कूल किट क्रय नहीं की गयी है।	

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2273) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित समस्त पेंशन योजनाओं से लाभान्वित एवं बैंक से जुड़े हितग्राही की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		सुखद सहारा योजना		इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		इंदिरा राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		इंदिरा राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना		योग	
		हितग्राही	बैंक से जुड़े हितग्राही	हितग्राही	बैंक से जुड़े हितग्राही	हितग्राही	बैंक से जुड़े हितग्राही	हितग्राही	बैंक से जुड़े हितग्राही	हितग्राही	बैंक से जुड़े हितग्राही	हितग्राही	बैंक से जुड़े हितग्राही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	रायगढ़	7890	7885	2481	2481	11606	11606	2364	2364	105	105	24446	24441
2.	पुसौर	6494	6494	1155	1155	8837	8837	1034	1034	51	51	17571	17571
3.	सारंगढ़	16377	16377	2033	2033	15546	15546	3217	3217	198	198	37371	37371
4.	बरमकेला	6625	6625	1758	1758	6764	6764	1479	1479	55	55	16681	16681
5.	खरसिया	6363	6172	1279	1174	3566	3566	1365	1365	84	84	12657	12361
6.	तमनार	1377	1377	618	618	1784	1784	674	674	80	80	4533	4533
7	घरघोड़ा	2796	2796	891	891	1651	1651	804	804	136	136	6278	6278
8.	लैलूंगा	1199	1199	939	939	2948	2948	796	796	58	58	5940	5940
9.	धरमजयगढ़	1458	1458	2146	2146	8568	8568	3074	3074	433	433	15679	15679
	योग	**50579**	**50383**	**13300**	**13195**	**61270**	**61270**	**14807**	**14807**	**1200**	**1200**	**141156**	**140855**

परिशिष्ट "अट्ठारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2625) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के संचालित 6 पॉवर प्लांट्स से माह जनवरी 2018 में 31 जनवरी 2018 तक मिलियन यूनिट्स में उत्पादित बिजली की प्लांटवार जानकारी

क्रमांक	पॉवर प्लांट का विवरण	प्लांट की क्षमता मेगावाट में	बिजली उत्पादन मिलियन यूनिट में
1.	कोरबा ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व, जिला–कोरबा	440(4X50+2X120) मेगावाट	127.885
2.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व, जिला–कोरबा	500(2X250) मेगावाट	335.914
3.	हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम, जिला–कोरबा	840(4X210) मेगावाट	475.876
4.	हसदेव ताप विद्युत संयंत्र विस्तार इकाई, कोरबा पश्चिम, जिला–कोरबा	500(1X500) मेगावाट	340.311
5.	हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र, माचाडोली, जिला–कोरबा	120(3X40) मेगावाट	4.972
6.	कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत संयंत्र, जिला–कोरबा	1.70(2X0.850) मेगावाट	0.893
	योग	**2401.70 मेगावाट**	**1285.851**

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के कोरबा जिले में संचालित कोयला आधारित पॉवर प्लांट्स से उत्सर्जित फ्लाईऐश के डम्पिंग हेतु चयनित/निर्धारित स्थलों की जानकारी

क्रमांक	पॉवर प्लांट का विवरण	प्लांट की क्षमता मेगावाट में	उत्सर्जित कोयला की ऐश डम्पिग हेतु चयनित / निर्धारित स्थल
1.	कोरबा ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व, जिला–कोरबा	440(4X50+2X120) मेगावाट	1. पाड़ीमार फेस–1 और पाड़ीमार फेस–2, राखड़ बांध, ग्राम – पाड़ीमार, तहसील – कोरबा, जिला – कोरबा।
			2 रिसदी राखड़ बांध, ग्राम – रिसदी, तहसील – कोरबा, जिला – कोरबा।
2.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व, जिला–कोरबा	500(2X250) मेगावाट	1. गोढ़ी पंडरीपानी राखड़ बांध, ग्राम – गोढ़ी एवं पंडरीपानी, तहसील – कोरबा, जिला – कोरबा।
3.	हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम, जिला–कोरबा	840(4X210) मेगावाट	1. झाबू राखड़ बांध, ग्राम – झाबू, तहसील – कटघोरा, जिला – कोरबा ।
			2. लोतलोता राखड़ बांध, ग्राम – लोतलोता, तहसील – कटघोरा, जिला – कोरबा ।
4.	हसदेव ताप विद्युत संयंत्र विस्तार इकाई, कोरबा पश्चिम, जिला–कोरबा	500(1X500) मेगावाट	1. डिण्डोलभाठा राखड़ बांध, ग्राम–डिण्डोलभाठा, तहसील – कटघोरा, जिला – कोरबा ।
	कुल	2280 मेगावाट	

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2638) के भाग (क) की जानकारी]

जिला रायगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों की विकासखण्डवार जानकारी

[illegible]	नाम	का नाम	[illegible] का नाम	स्वयं के भवन में संचालित आं.बा.केन्द्रों की संख्या	किरायें के भवना म संचालित आं.बा.केन्द्रो की संख्या
1	रायगढ	रायगढ	[illegible]गढ (शहरी)	17	121
2			रायगढ (ग्रामीण)	211	24
3		पुसौर	पुसौर	226	34
4		बरमकेला	बरमकेला	115	6
5			लेन्ध्रा	118	0
6		सारंगढ़	सारंगढ़	139	6
7			कोसीर	134	10
8		खरसिंया	खरसिया	202	71
9		तमनार	तमनार	171	5
10		घरघोडा	घरघोड़ा	113	48
11		धमरजयगढ	धमरजयगढ़	226	16
12			कापू	165	71
13		लैलूंगा	लैलूंगा	110	41
14			मुकडेगा	86	29
योग				**2033**	**482**

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2646) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विकासखण्ड – बेमेतरा

वर्ष 2015–16

क्र	निरीक्षण किये गये संस्थान/फर्म का नाम	प्रकरण संख्या	निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का पदनाम	निरीक्षण दिनाक	अधिनियम का नाम जिसके अंतर्गत निरीक्षण किया गया	पायी गयी अनियमितता का विवरण	श्रम न्यायालय दुर्ग में अभियोजन प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक
1	ठेकेदार. वैशाली नगर भिलाई, जिला दुर्ग	6	श्रम निरीक्षक	16-03-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया।	08-05-2015
					बाल श्रमिक अधि. 1986	सस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
					संविदा श्रमिक अधि. 1970	ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया। उपस्थिति पंजी, वेतन पंजी, कटौती पंजी, ओवर टाईम पंजी का संधारण नही किया गया। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संधारण नही किया गया।	
					भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधि. 1996	स्थापना का पंजीयन नही कराया गया, हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित नही किया गया, रजिस्टरों एवं अभिलेखों का संधारण नही पाया गया।	
					समान पारिश्रमिक अधि. 1976,	पंजी का संधारण नही पाया गया।	
					मातृत्व हितलाभ अधि. 1961,	अधिनियम की साराश प्रदर्शित नहीं पाया गया।	
2	मेसर्स –संजय अग्रवाल मिलिनियम प्लाजा 35/36 राज टाकिज के पास जी.ई. रोड रायपुर।	6	श्रम निरीक्षक	16-03-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान किया गया।	18-09-2015
					बाल श्रमिक अधि 1986	सस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
					संविदा श्रमिक अधि. 1970	ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया। उपस्थिति पंजी, वेतन पंजी, कटौती पंजी, ओव्हर टाईम पंजी का संधारण नही किया गया। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संधारण नही किया गया।	

					भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधि. 1996	स्थापना का पंजीयन नही कराया गया, हितग्राहियां का रजिस्टर संधारित नही किया गया, रजिस्टरों एवं अभिलेखों का संधारण नही पाया गया।	
					समान पारिश्रमिक अधि. 1976	पंजी का संधारण नही पाया गया।	
					मातृत्व हितलाभ अधि. 1961,	अधिनियम की साराश प्रदर्शित नही पाया गया।	
3	मेसर्स– किरण बिल्डकॉन पंजाबी पारा बेमेतरा जिला बेमेतरा	3	श्रम निरीक्षक	22-01-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया।	23-05-2015
					समान पारिश्रमिक अधि. 1976,	पंजी का संधारण नही पाया गया।	
					मातृत्व हितलाभ अधि. 1961	अधिनियम की साराश प्रदर्शित नही पाया गया।	
4	ठेकेदार सोमानी काम्पलेक्स आदर्श नगर दुर्ग जिला दुर्ग	4	श्रम निरीक्षक	09-01-2015	समान पारिश्रमिक अधि. 1976.,	पंजी का संधारण नही पाया गया।	23-05-2015
					संविदा श्रमिक अधि. 1970	ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया, उपस्थिति पंजी, वेतन पंजी, निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संधारण नही किया गया।	
					बाल श्रमिक अधि. 1986	सस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
					न्यूनतम वेतन अधि. 1948	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया।	
5	मेसर्स– रियल बिल्डर्स अरिहंत काम्पलेक्स पंचपेडी नाका रायपुर	4	श्रम निरीक्षक	18-03-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,,	पंजी का संधारण नही पाया गया।	20-12-2015
					बाल श्रमिक अधि. 1986	सस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
					संविदा श्रमिक अधि. 1970,	ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया। उपस्थिति पंजी, वेतन पंजी, कटौती पंजी, ओवर टाईम पंजी का संधारण नही किया गया। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संधारण नही किया गया।	

					भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधि. 1996	स्थापना का पंजीयन नही कराया गया, हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित नही किया गया, रजिस्टरों एवं अभिलेखों का संधारण नही पाया गया।	
6	ठेकेदार, वैशाली नगर भिलाई जिला दुर्ग	6	श्रम निरीक्षक	08-12-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948	श्रमिको को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया, पंजी का संधारण नही पाया गया।	16-02-2016
					बाल श्रमिक अधि. 1986	सस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
					संविदा श्रमिक अधि. 1970	ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया। उपस्थिति पंजी, वेतन पंजी, कटौती पंजी, ओवर टाईम पंजी का संधारण नही किया गया। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संधारण नही किया गया।	
					भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधि. 1996	स्थापना का पंजीयन नही कराया गया, हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित नही किया गया, रजिस्टरों एवं अभिलेखों का संधारण नही पाया गया।	
					समान पारिश्रमिक अधि. 1976,	पंजी का संधारण नही पाया गया।	
					मातृत्व हितलाभ अधि. 1961,	अधिनियम की साराश प्रदर्शित नही पाया गया।	
7	मेसर्स– संजय अग्रवाल मिलिनियम प्लाजा 35/36 राज टाकिज के पास जी.ई. रोड रायपुर।	6	श्रम निरीक्षक	18-09-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948	पंजी का संधारण नही पाया गया।	20-12-2015
					बाल श्रमिक अधि. 1986	सस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
					संविदा श्रमिक अधि. 1970	ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया। उपस्थिति पंजी, वेतन पंजी, कटौती पंजी, ओवर टाईम पंजी का संधारण नही किया गया। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संधारण नही किया गया।	
					भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधि. 1996	स्थापना का पंजीयन नही कराया गया, हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित नही किया गया, रजिस्टरों एवं अभिलेखों का संधारण नही पाया गया।	
					समान पारिश्रमिक अधि. 1976,	पंजी का संधारण नही पाया गया।	
					मातृत्व हितलाभ अधि. 1961,	अधिनियम की साराश प्रदर्शित नही पाया गया।	

8	अ वर्ग ठेकेदार कांदम्बरी नगर धमधा रोड दुर्ग जिला दुर्ग	3	श्रम निरीक्षक	28-10-2015	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधि. 1996,,	स्थापना का पंजीयन नही कराया गया, हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित नही किया गया, रजिस्टरों एवं अभिलेखों का संधारण नही पाया गया।	21-12-2015
					न्यूनतम वेतन अधि. 1948	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान किया गया, पंजी का संधारण नही पाया गया।	
					संविदा श्रमिक अधि. 1970,	ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया। उपस्थिति पंजी, वतन पंजी, कटौती पंजी, ओवर टाईम पंजी का संधारण नही किया गया। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संधारण नही किया गया।	
9	मेसर्स–. एस. के. इलेक्ट्रो 104 जिन्दा एक्पायर नागपुर	1	श्रम निरीक्षक	19-10-2015	संविदा श्रमिक अधि. 1970,	ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया।	. 21-12-2015
10	ठेकेदार ढीमरागरा बेमेतरा जिला बेमेतरा	1	श्रम निरीक्षक	20-10-2015	संविदा श्रमिक अधि. 1970,	ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त नही किया गया।	25-12-2015
11	अ वर्ग ठेकेदार, मकान नं. 21 ए सेक्टर 1 भिलाई	1	श्रम निरीक्षक	29-11-2015	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधि. 1996,	स्थापना का पंजीयन नही कराया गया, हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित नही किया गया, रजिस्टरों एवं अभिलेखों का संधारण नही पाया गया।	06-01-2016

वर्ष 2016–17

वर्ष 2016–17 में कोई भी प्रकरण दर्ज नही है।

वर्ष 2017–18

1	मेसर्स–. कंदोई ट्रान्सपोर्ट लि.मि. कंदोई हाउस माथासाही चालीगंज कटक उडिसा।	2	श्रम निरीक्षक	11-04-2017	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान किया गया, पंजी का संधारण नही पाया गया।	24-04-2017
					बाल श्रमिक अधि. 1936,	सस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	

2	कंदोई ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ग्राम–बसनी, पोस्ट मटकी, विकासखंड–बेमेतरा, जिला–बेमेतरा	2	सहायक संचालक	01-04-2017	कारखाना अधिनियम, 1948	निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थान में कारखाना लायसेंस नही होने , कारखाने में घटित प्रणांतक दुर्घटना होने की सूचना नही देने, श्रमिको के हाजिरी पंजी संधारित नहीं करने, श्रमिको को सुरक्षा उपकरण नहीं देने से संबंधित कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन होने की खामियां पायी गयी थी ।	07-04-2017
			सहायक संचालक	03-04-2017	कारखाना अधिनियम, 1948	निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थान में कारखाना लायसेंस नही होने, कारखाने में घटित प्रणांतक दुर्घटना होने की सूचना नहीं देने, श्रमिको के हाजिरी पंजी संधारित नहीं करने, श्रमिको को सुरक्षा उपकरण नहीं देने से संबंधित कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन होने की खामियां पायी गयीं थी ।	03-05-2017

विकासखण्ड – साजा

वर्ष 2015–16

क्र	निरीक्षण किये गये संस्थान/फर्म का नाम	प्रकरण संख्या	निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का पदनाम	निरीक्षण दिनांक	अधिनियम का नाम जिसके अंतर्गत निरीक्षण किया गया	पायी गयी अनियमितता का विवरण	श्रम न्यायालय दुर्ग में अभियोजन प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक
1	ठेकेदार साजा जिला बेमेतरा जिला बेमेतरा	2	श्रम निरीक्षक	08-12-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	20-02-2016
					बाल श्रमिक अधि. 1986,	संस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
2	मेसर्स–. किरण ईट भट्ठा उमरांव नगर ग्राम टिपनी साजा जिला बेमेतरा	2	श्रम निरीक्षक	21-01-2016	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	18-03-2016
					बाल श्रमिक अधि. 1986,	संस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
3	मेसर्स-- माधव ब्रिक्स उमरांव नगर वार्ड 04 थानखम्हरिया, साजा जिला बेमेतरा	2	श्रम निरीक्षक	21-01-2016	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	18-03-2016
					बाल श्रमिक अधि. 1986,	संस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
4	मेसर्स--. भागचंद मिठाई वाला गौरव पथ थानखम्हरिया, साजा जिला बेमेतरा	2	श्रम निरीक्षक	08-12-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	20-02-2016
					बाल श्रमिक अधि. 1986,	संस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	

5	मेसर्स-- अग्रवाल कबाडी वाला साजा रोड थानखम्हरिया, साजा जिला बेमेतरा	1	श्रम निरीक्षक	08-12-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	20-02-2016
6	ठेकेदार ग्राम कुरदा तह थानखम्हरिया, साजा जिला बेमेतरा	2	श्रम निरीक्षक	08-12-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	20-02-2016
					बाल श्रमिक अधि. 1986,	सस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
7	ठेकेदार, ग्राम कुरदा तह थानखम्हरिया, साजा जिला बेमेतरा	2	श्रम निरीक्षक	21/01/2016	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	18-03-2016
					बाल श्रमिक अधि. 1986,	सस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
वर्ष 2016--17							
वर्ष 2016--17 में कोई भी प्रकरण दर्ज नही है।							
वर्ष 2017--18							
वर्ष 2017--18 में कोई भी प्रकरण दर्ज नही है।							

विकासखण्ड – बेरला

वर्ष 2015–16

क्रं	निरीक्षण किये गये संस्थान/फर्म का नाम	प्रकरण संख्या	निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का पदनाम	निरीक्षण दिनांक	अधिनियम का नाम जिसके अंतर्गत निरीक्षण किया गया	पायी गयी अनियमितता का विवरण	श्रम न्यायालय दुर्ग में अभियोजन प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक
1	मेसर्स– स्काई लार्क प्रा.लि. ग्राम सुरहोली तह बेरला।	3	श्रम निरीक्षक	06-08-2015	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	25-10-2015
					बाल श्रमिक अधि. 1986	संस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नही करना पाया गया।	
					समान पारिश्रमिक अधि. 1976,	पंजी का संधारण नही पाया गया।	
2	मेसर्स– खेलू हॉटल कोदवा तह बेरला जिला बेमेतरा	2	श्रम निरीक्षक	21-01-2016	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	18-03-2016
					बाल श्रमिक अधि. 1986,	संस्थान के परिसर में सूचना प्रदर्शित नहीं करना पाया गया।	
3	मेसर्स– कृषि फार्म ग्राम बहेरा तह बेरला।	1	श्रम निरीक्षक	11-05-2016	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नहीं पाया गया।	16-07-2016

वर्ष 2016–17

वर्ष 2016–17 में कोई भी प्रकरण दर्ज नही है।

वर्ष 2017–18

वर्ष 2017–18 में कोई भी प्रकरण दर्ज नही है।

विकासखण्ड – नवागढ़							
वर्ष 2015–16							
क्रं	निरीक्षण किये गये संस्थान/फर्म का नाम	प्रकरण संख्या	निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का पदनाम	निरीक्षण दिनांक	अधिनियम का नाम जिसके अंतर्गत निरीक्षण किया गया	पायी गयी अनियमितता का विवरण	श्रम न्यायालय दुर्ग में अभियोजन प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक
1	ठेकेदार, ग्राम अधियारखोर तह नवागढ़ जिला बेमेतरा	1	श्रम निरीक्षक	22-01-2016	न्यूनतम वेतन अधि. 1948,	श्रमिकों को न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करना पाया गया। पंजियों का संधारण नही पाया गया।	20-03-2016
वर्ष 2016–17							
वर्ष 2016–17 में कोई भी प्रकरण दर्ज नही है।							
वर्ष 2017–18							
वर्ष 2017–18 में कोई भी प्रकरण दर्ज नही है।							

परिशिष्ट "इक्कीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2648) की जानकारी]

कोरिया जिले में 01 अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2018 तक आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	शिविर स्थल	शिविर दिनांक	कुल प्राप्त	निराकृत	लंबित
वर्ष 2016						
1	खडगवां	दुग्गी	11.04.2016	222	222	0
2		जिल्दा	27.06.2016	89	89	0
3		मेरो	23.09.2016	76	76	0
4	मनेन्द्रगढ़	डिहूली	29.04.2016	138	138	0
5		सरभोका	06.08.2016	90	90	0
6	बैकुण्ठपुर	करजी	29.07.2016	58	58	0
7		जगतपुर	13.10.2016	80	80	0
8	सोनहत	बंशीपुर	29.08.2016	91	91	0
9		पसौरी	05.11.2016	110	110	0
10		आनंदपुर	30.11.2016	105	105	0
11	भरतपुर	मेहदौली	26.10.2016	223	223	0
12		च्यूल	29.12.2016	274	274	0
		कुल -		**1556**	**1556**	**0**
वर्ष 2017						
13	खडगवां	कोटेया	28.01.2017	107	107	0
14		बेलकामार	05.10.2017	85	85	0
15		कटवां	15.12.2017	100	97	3
16	मनेन्द्रगढ़	[illegible]	17.02.2017	208	205	3
17		लोहारी	14.09.2017	90	45	45
18		रोकड़ा	17.11.2017	371	234	137
19	बैकुण्ठपुर	पिपरा	18.01.2017	75	73	2
20		[illegible]पारा	04.08.2017	117	72	45
21		[illegible]	29.12.2017	59	37	22
22	सोनहत	बोडार	23.02.2017	55	55	0
23		मलुआर 'मेण्ड्रा'	25.05.2017	35	35	0
24		[illegible]पारा सिंघोर	07.07.2017	116	116	0
25	भरतपुर	[illegible] 'मोहनटोला'	08.02.2017	166	160	6
26		मसर्रा	29.07.2017	71	69	2
27		[illegible]कला	23.08.2017	139	120	19
28		[illegible]खुर्द	25.10.2017	77	63	14
		कुल -		**1871**	**1573**	**298**
वर्ष 2018						
29	बैकुण्ठपुर	कटकोना	18.01.2018	52	19	33
		कुल -		**52**	**19**	**33**
वर्ष 2016 + 2017 + 2018 की महायोग -				**3479**	**3148**	**331**

परिशिष्ट "बाईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2654) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित व अस्थि बाधित नि:शक्तजनों के पंजीयन की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अस्थि बाधित	योग
1	2	3	4	5	6
1	राजनांदगांव	252	442	1705	2399
2	डोंगरगांव	199	242	633	1074
3	चौकी	86	183	443	712
4	मोहला	55	103	166	324
5	मानपुर	45	62	183	290
6	छुरिया	96	236	780	1112
7	डोंगरगढ़	125	114	642	881
8	खैरागढ़	185	281	1015	1481
9	छुईखदान	153	110	963	1226
	योग	**1196**	**1773**	**6530**	**9499**

प्रपत्र "ब"

राजनांदगांव जिले नि:शक्तजनों को वर्ष 2017-18 में श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल व कृत्रिम अंग प्रदाय तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	श्रवण यंत्र	ट्रायसायकल	कृत्रिम अंग	सामाजिक सुरक्षा पेंशन
1	2	3	4	5	6
1	राजनांदगांव	80	81	13	2220
2	डोंगरगांव	36	49	4	650
3	चौकी	12	35	4	1188
4	मोहला	6	29	1	250
5	मानपुर	16	15	1	10
6	छुरिया	20	36	11	580
7	डोंगरगढ़	32	47	17	303
8	खैरागढ़	29	66	8	953
9	छुईखदान	34	141	10	1011
	योग	**265**	**499**	**69**	**7165**

परिशिष्ट "तेईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 2660) के भाग (क) की जानकारी]

01. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक :-

क्र.	विकासखंड का नाम	पंजीयन संख्या
1	राजनांदगांव	4722
2	डोंगरगढ़	1552
3	डोंगरगांव	2544
4	छुरिया	2198
5	अंबागढ़ चौकी	1057
6	खैरागढ़	1419
7	छुईखदान	201
8	मोहला	227
9	मानपुर	8
	योग	13928

02. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकार :-

क्र.	विकासखंड का नाम	पंजीयन संख्या
1	राजनांदगांव	4097
2	डोंगरगढ़	2930
3	डोंगरगांव	1791
4	छुरिया	877
5	अंबागढ़ चौकी	505
6	खैरागढ़	473
7	छुईखदान	261
8	मोहला	430
9	मानपुर	217
	योग	11581

03. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत संगठित श्रमिक :-

क्र.	विकासखंड का नाम	पंजीयन संख्या
1	राजनांदगांव	652
2	डोंगरगढ़	125
3	डोंगरगांव	0
4	छुरिया	0
5	अंबागढ़ चौकी	0
6	खैरागढ़	0
7	छुईखदान	0
8	मोहला	0
9	मानपुर	0
	योग	777

परिशिष्ट "चौबीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2663) की जानकारी]

वर्ष 2016-17 में आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल बनाने, उन्नयन करने व सबला किट क्रय हेतु जिलों को प्रदायित राशि का विवरण

क.	जिले का नाम	मॉडल बनाए जाने हेतु		सबला किट हेतु		आंगनबाड़ी के उन्नयन हेतु	
		केन्द्रों की संख्या	आबंटित राशि	केन्द्रों की संख्या	आबंटित राशि	केन्द्रों की संख्या	आबंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	138	1380000	1350	726300	138	1794000
2	बालोद	95	950000	0	0	95	1235000
3	बलौदाबाजार	120	1200000	1350	726300	120	1560000
4	बलरामपुर	110	1100000	1050	564900	110	1430000
5	बेमेतरा	70	700000	0	0	70	910000
6	बीजापुर	70	700000	0	0	70	910000
7	बिलासपुर	190	1900000	0	0	190	2470000
8	दंतेवाड़ा	70	700000	0	0	70	910000
9	धमतरी	80	800000	0	0	80	1040000
10	दुर्ग	120	1200000	0	0	120	1560000
11	गरियाबंद	80	800000	750	403500	80	1040000
12	जांजगीर	140	1400000	0	0	140	1820000
13	जशपुर	210	2100000	0	0	210	2730000
14	कांकेर	130	1300000	0	0	130	1690000
15	कवर्धा	110	1100000	0	0	110	1430000
16	कोण्डागांव	27	270000	1200	645600	27	351000
17	कोरबा	155	1550000	0	0	155	2015000
18	कोरिया	95	950000	0	0	95	1235000
19	महासमुंद	105	1050000	0	0	105	1365000
20	मुंगेली	75	750000	0	0	75	975000
21	नारायणपुर	20	200000	0	0	20	260000
22	रायगढ़	185	1850000	2100	1129800	185	2405000
23	रायपुर	130	1300000	1200	298200	130	1690000
24	राजनांदगांव	175	1750000	1800	968400	175	2275000
25	सरगुजा	120	1200000	1350	726300	120	1560000
26	सुकमा	60	600000	0	0	60	780000
27	सूरजपुर	120	1200000	1050	564900	120	1560000
	योग	3000	30000000	12000	6754200	3000	39000000

परिशिष्ट "पच्चीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 2668) की जानकारी]

बस्तर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	संचालित आं.बा. केन्द्रों की संख्या	कुल संचालित आं.बा. केन्द्रों में सुविधा		
					शौचालय	पेयजल	पूर्ण विद्युतिकृत (आंतरिक एवं बाह्य दोनो)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	बस्तर	बस्तर	378	211	216	70
2		जगदलपुर	जगदलपुर शहरी	72	20	64	9
3			जगदलपुर ग्रामीण	301	130	126	3
4		बकावण्ड	बकावण्ड–1	199	113	107	21
5			बकावण्ड–2	155	85	84	13
6		बस्तानार	बस्तानार	156	94	135	40
7		दरभा	दरभा	217	89	74	10
8		लोहाण्डीगुड़ा	लोहाण्डीगुड़ा	243	147	209	41
9		तोकापाल	तोकापाल	196	158	160	19
योग				**1917**	**1047**	**1175**	**226**

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 811) की जानकारी]

चन्द्रपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि, स्थलवार तथा सामूहिक विवाह हेतु सामग्री की फर्म द्वारा आपूर्ति की जानकारी

क्र.	सामूहिक विवाह आयोजिन की तिथि	सामूहिक विवाह आयोजन स्थान का नाम	आयोजित कार्यक्रम में योजना अन्तर्गत विवाह सम्पन्न कराए गए कन्याओं की संख्या	सामूहिक विवाह हेतु सामग्री की आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	20-02-2014	महामाया मंदिर चंद्रपुर	7	श्याम कॉर्पोरेशन	13,650
				अग्रवाल फाउड्री जांजगीर	23,975
				सिंघानिया उद्योग जांजगीर	39,925
				महामाया इंटरप्राईजेस	2,950
	कुल :-		7		80,500
2	28-03-2015	श्रृजन स्कूल डभरा	30	सिंघानिया उद्योग जांजगीर	71,615
				क्रिस्टल ईडस्ट्रीज रायपुर	36,225
				ओम मेंटल सक्ति	64,520
				श्री बाला जी सप्लायर नैला	1,72,640
	कुल :-		30		3,45,000
3	12-06-2015	श्रृजन स्कूल डभरा	26	श्री बाला जी सप्लायर नैला	1,28,730
				ओम मेंटल सक्ति	1,65,950
				अग्रवाल फाउड्री जांजगीर	4,320
	कुल :-		26		2,99,000
	महायोग		63		7,24,500

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 1111) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	विकासखण्ड का नाम	स्थान जहाँ मिनी स्टेडियम स्वीकृत किए गए	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)
1.	डौण्डी लोहरा	संबलपुर	51.89
2.	डौण्डी लोहरा	कोचेरा	15.00
3.	डौण्डी लोहरा	कोटेरा	15.00
4.	डौण्डी लोहरा	डौण्डी लोहरा	45.00
5.	डौण्डी लोहरा	भीमपुरी	45.00
6.	डौण्डी लोहरा	जूनापानी	20.00
7.	डौण्डी	गुजरा	15.00
8.	डौण्डी	पटेली	20.00
9.	डौण्डी	नर्राटोला	15.00
10.	डौण्डी	कुसुमकसा	15.00

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1240) के भाग (क) की जानकारी]

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	संचालित मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर	339	131
2	भरतपुर	भरतपुर	288	25
3	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	273	62
4	सोनहत	सोनहत	182	03
5	खड़गवां	खड़गवां	283	133
6	खड़गवां	चिरमिरी	64	0
कुल योग			**1429**	**354**

परिशिष्ट "उनतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1498) की जानकारी]

बस्तर जिले अंतर्गत जनवरी 2018 की स्थिति में रेडी टू ईट फूड प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी

क्र.	बाल विकास परियोजना का नाम	रेडी टू ईट प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता
1	2	3
1	बास्तानार	जागृति स्व सहायता समूह ग्राम बड़ेकिलेपाल
2	बास्तानार	माँ दंतेश्वरी स्व सहायता समूह हुँगापारा ग्राम काकलूर
3	बास्तानार	महिला दुर्गा स्व सहायता समूह हड़कोपारा ग्राम मूतनपाल
4	बास्तानार	महिला गंगा स्व सहायता समूह बंकोपारा ग्राम कोडेनार
5	बास्तानार	मां दतेश्वरी महिला स्व सहायता समूह ग्राम बास्तानार
6	बास्तानार	माँ लक्ष्मी स्व सहायता समुह ग्राम पालानार
7	बस्तर	महिला स्व सहायता समूह ग्राम छोटे आमाबाल
8	बस्तर	मां गायत्री स्व सहायता समूह ग्रम फरसागुड़ा
9	बस्तर	इंदिरा महिला समूह ग्राम पल्लीभाटा केशरपाल
10	बस्तर	मां कुन्ती स्व सहायता समूह ग्राम करमरी कोलचूर
11	बस्तर	मां सरस्वती वंदना स्व सहायता समूह जगलदपुर
12	बस्तर	जय बालाजी स्व सहायता समूह ग्राम देवड़ा
13	बस्तर	हिंगलाजिन स्व सहायता समूह ग्राम टाकरागुड़ा
14	बस्तर	नंदिनी स्वसहायता समूह ग्राम बालेंगा
15	बस्तर	मां दन्तेश्वरी स्वसहायता समूह ग्राम टीकनपाल (सवला)
16	बस्तर	मां हिगलाजिन जन सेवा समूह ग्राम बागमोहलई
17	बस्तर	मां दन्तेश्वरी लक्ष्मी समूह पथरागुड़ा ग्राम मांदलापाल
18	बस्तर	मां दूर्गा स्व सहायता समूह ग्राम बोड़नपाल
19	बस्तर	मां अम्बा स्व सहायता समूह ग्राम मधोता
20	बस्तर	ईरदू स्व सहायता समूह ग्राम बाकेल

1	2	3
21	जगदलपुर ग्रामीण	मां दन्ते.विकास समूह ग्राम–छेपडागुडा
22	जगदलपुर ग्रामीण	उन्नति समूह राजिव गांधी वार्ड जगदलपुर (सबला)
23	जगदलपुर ग्रामीण	मां बम्बलेश्वरी स्व सहायता समूह ग्राम–परपा
24	जगदलपुर ग्रामीण	दुर्गा स्व सहा.समूह ग्राम–कालीपुर
25	जगदलपुर ग्रामीण	आदर्श महिला स्वसहा0समूह ग्राम– ओरनाकेम्प
26	जगदलपुर ग्रामीण	मां दन्ते राधा महिला स्व0सहा0 समूह ग्राम–आमागुडा
27	जगदलपुर ग्रामीण	विश्वा माहेश्वरी सव सहायता समूह ग्राम–नानगुर
28	जगदलपुर ग्रामीण	चांदनी स्व सहायता समूह ग्राम–नानगूर (सबला)
29	जगदलपुर ग्रामीण	प्रियंका सव सहायता समूह ग्राम–कुलगांव
30	जगदलपुर ग्रामीण	सूर्या स्व सहायता समूह ग्राम–सिडमुड (सबला)
31	जगदलपुर ग्रामीण	शीतला महिला स्व सहायता समूह ग्राम–मोरठपाल
32	जगदलपुर ग्रामीण	रोशनी महिला स्व सहायता समूह ग्राम–मारकेल
33	जगदलपुर ग्रामीण	पार्वती समूह भाटागुडा ग्राम घाटपदमुर
34	जगदलपुर ग्रामीण	मां दन्तेश्वरी नूतन महिला स्व सहायता समूह ग्राम–कोण्डावल
35	जगदलपुर ग्रामीण	ऋतु महिला स्व सहायता समूह ग्राम–बडेमुरमा (सबला)
36	जगदलपुर ग्रामीण	प्रगति महिला स्व सहायता समूह ग्राम–जमावाडा (सबला)
37	जगदलपुर ग्रामीण	मां दन्ते.नारी सबल गीता स्व सहायता समूह ग्राम– चिलकुटी
38	बकावंड 2	सुमित्रा स्व सहायता समूह ग्राम– करपावंड
39	बकावंड 2	मेंगबती स्व सहायता समूह ग्राम–आंवराभाटा(सौतपुर)
40	बकावंड 2	सामवती स्व सहायता समूह ग्राम–जैबेल
41	बकावंड 2	सरस्वती स्व सहायता समूह ग्राम–गारेंगा
42	बकावंड 2	चैती स्व सहायता समूह ग्राम–कोलावल
43	बकावंड 2	हेमामालिनी स्व सहायता समूह ग्राम– छिन्दगांव

1	2	3
44	बकावंड 1	महिला स्व सहायता समूह ग्राम–कोसमी
45	बकावंड 1	अस्ती स्व सहायता समूह ग्राम–सतलावंड
46	बकावंड 1	निरबती स्व सहायता समूह ग्राम–किंजोली
47	बकावंड 1	सरीता स्व सहायता समूह ग्राम–राजनगर
48	बकावंड 1	इंदिरा स्व सहायता समूह ग्राम– छोटदेवड़ा
49	बकावंड 1	जलनी बुढ़ी स्व सहायता समूह ग्राम–बनियागांव
50	बकावंड 1	मुन्ना स्व सहायता समूह ग्राम–कोहकाफाल
51	बकावंड 1	गंगादई स्व सहायता समूह ग्राम–मटनार
52	जगदलपुर शहरी	माँ दंतेश्वरी महिला जागरण समूह गुरूगोविन्द सिंह वार्ड जगदलपुर
53	जगदलपुर शहरी	आस्था कल्याण महिला स्व सहायता समूह लोकमान्य तिलक वार्ड जगदलपुर
54	जगदलपुर शहरी	माँ संतोषी महिला स्व सहायता समूह संतोषी वार्ड जगदलपुर
55	तोकापाल	अंम्बिका महिला स्व सहायता समूह ग्राम–इरिकपाल
56	तोकापाल	मावलीमाता महिला स्व सहायता समूह ग्राम–मावलीभाटा
57	तोकापाल	सागर महिला स्व सहायता समूह ग्राम–राजूर
58	तोकापाल	खुजी स्व सहायता समूह ग्राम–तेलीमारेगा
59	तोकापाल	बसुन्धरा स्व सहायता समूह ग्राम– टेकामेटा
60	तोकापाल	मां दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह ग्राम–पोटानार
61	तोकापाल	गणेश स्व सहायता समूह ग्राम–छापरभानपुरी
62	लोहण्डीगुड़ा	माँ. दतेश्वरी महिला स्व–सहायता समूह ग्राम–बड़ेधाराउर
63	लोहण्डीगुड़ा	माँ. दतेश्वरी महिला स्व–सहायता समूह ग्राम–कोठियागुड़ा
64	लोहण्डीगुड़ा	माँ. दतेश्वरी महिला स्व–सहायता समूह ग्राम–अलनार
65	लोहण्डीगुड़ा	माँ. दतेश्वरी महिला स्व–सहायता समूह ग्राम– मटनार
66	लोहण्डीगुड़ा	माँ. दतेश्वरी महिला स्व–सहायता समूह ग्राम–बिन्ता

1	2	3
67	लोहण्डीगुड़ा	मॉ. दतेश्वरी महिला स्व–सहायता समूह ग्राम–टाकरागुड़ा
68	लोहण्डीगुड़ा	मॉ. दतेश्वरी महिला स्व–सहायता समूह ग्राम–बदरेंगा
69	लोहण्डीगुड़ा	मॉ. दतेश्वरी महिला स्व–सहायता समूह डेंगाआमा ग्राम– गढ़िया
70	लोहण्डीगुड़ा	परदेशी माता महिला स्व–सहायता समूह ग्राम आंजर
71	दरभा	बिमला स्व सहायता समुह ग्राम– छिन्दावांड़ा
72	दरभा	आस्था स्व सहायता समुह ग्राम–छिन्दावाडा (सबला)
73	दरभा	जलनी माता स्व सहायता समूह ग्राम–गुमड़पाल
74	दरभा	सांई बाबा स्व सहायता समुह ग्राम–कूकानार (सबला)
75	दरभा	मां दन्तेश्वरी पनिहारी स्व सहायता समूह ग्राम–कूकानार
76	दरभा	मां दन्तेश्वरी लक्ष्मी माता स्व सहायता समुह ग्राम–टहाकवाड़ा
77	दरभा	मां दन्तेश्वरी हिंगलाजीन माता स्व सहायता समुह (सबला) ग्राम– टहाकवाड़ा
78	दरभा	जय मां लक्ष्मी माता स्व सहायता समुह ग्राम–ककनार
79	दरभा	गीता महिला स्व सहायता समुह ग्राम–मंगनार
80	दरभा	मां दन्तेश्वरी भुरडावती स्व सहायता समुह ग्राम–बड़ेकड़मा

परिशिष्ट "तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1499) के भाग (ख) की जानकारी]

छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत सायकल वितरित किये जाने हेतु शेष मितानिनों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	कुल कार्यरत मितानिनों की संख्या	पंजीकृत मितानिनों की संख्या		सायकल वितरण						योग	सायकल वितरण हेतु शेष मितानिनों की संख्या	
			18–40 वर्ष आयु वाले	41–60 वर्ष आयु वाले	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 (31 जनवरी 2018 तक)		पंजीकृत	अपंजीकृत
1	जगदलपुर	579	367	139	0	0	238	0	112	0	350	17	73
2	बकावण्ड	440	13	15	0	0	0	0	0	0	0	13	412
3	बस्तर	425	3	9	0	0	0	0	0	0	0	3	413
4	बास्तानार	320	116	0	0	0	116	0	0	0	116	0	204
5	लोहण्डीगुड़ा	404	13	19	0	0	0	0	0	0	0	13	372
6	दरभा	306	133	7	0	0	133	0	0	0	133	0	166
7	तोकापाल	374	236	23	0	0	236	0	0	0	236	0	115
	योग	**2848**	**881**	**212**	**0**	**0**	**723**	**0**	**112**	**0**	**835**	**46**	**1755**

परिशिष्ट "इकतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2080) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

लंबित आवेदनों की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	मण्डल का नाम	दुर्ग		धमधा		पाटन		महायोग		
		वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	योग
1	छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	12757	7323	3354	2453	9920	8289	26031	18065	**44096**
2	छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल	22915	80313	1552	6068	1183	11360	25650	97741	**123391**
	योग	**35672**	**87636**	**4906**	**8521**	**11103**	**19649**	**51681**	**115806**	**167487**

प्रपत्र "ब"

लंबित आवेदनों की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	मण्डल का नाम	दुर्ग		धमधा		पाटन		महायोग		
		2016–17	2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	2016–17	2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	2016–17	2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	2016–17	2017–18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	योग
1	छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	0	451	0	157	0	370	**0**	**978**	**978**
2	छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल	251	7613	625	1214	102	4865	**978**	**13692**	**14670**
	योग	**251**	**8064**	**625**	**1371**	**102**	**5235**	**978**	**14670**	**15648**

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2081) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

दुर्ग जिले में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत वसूल की गई राशि की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18 (31 जनवरी 2018 तक)	योग
67353719	73252285	30054077	17740980	188401061

प्रपत्र "ब"

दुर्ग जिले में मंडल के तहत योजनाओं में व्यय राशि का विवरण

क्र	योजना का नाम	व्यय राशि
1	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्ठि एवं अनुग्रह सहायता राशि योजना	10250000
2	राजमाता कन्या विवाह योजना	47840000
3	भगिनी प्रसूति योजना	6010800
4	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	34130100
5	मेधावी छात्र/छात्रा प्रोत्साहन योजना	10303000
6	गंभीर बीमारी में चिकित्सा सहायता योजना	25000
7	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	223608
8	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	5806526
9	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	17011388
	योग	**131600422**

परिशिष्ट "तैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2211) के भाग (क) की जानकारी]

बलरामपुर जिले में 2014-15 से 31 जनवरी 2018 तक कृषि पम्पों के स्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन एवं निराकृत आवेदनों की संख्या की वर्षवार जानकारी

क्रमांक	विवरण	वर्ष				महायोग
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 (31 जनवरी 2018 तक)	
1	प्राप्त आवेदन	516	792	530	90	1928
2	आवेदकों द्वारा औपचारिकतापूर्ण नही होने के कारण निरस्त	156	190	364	0	710
3	लाइन विस्तार कार्यपूर्ण कर सिंचाई पम्प कनेक्शन जारी	334	354	296	204	1188
4	विद्युत लाइन विस्तार कार्य प्रगति पर होने से लंबित विद्युत कनेक्शनों की संख्या की संख्या	-	-	-	30	30

परिशिष्ट "चौंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 2518) की जानकारी]

प्रदेश में 01 जनवरी 2014 से दिसम्बर 2017 तक की अवधि में किसानों के विद्युत पंपों के ऊर्जीकरण तथा अनुदान राशि की वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	अवधिवार एवं ऊर्जीकृत पंप की संख्या एवं अनुदान राशि														
		2013–14 (01 जनवरी 2014 से 31 मार्च 2014 तक)			2014–15			2015–16			2016–17			2017–18 (31 दिसंबर 2017 तक)		
		ऊर्जीकृत पंपों की संख्या	प्रदत्त अनुदान		ऊर्जीकृत पंपों की संख्या	प्रदत्त अनुदान		ऊर्जीकृत पंपों की संख्या	प्रदत्त अनुदान		ऊर्जीकृत पंपों की संख्या	प्रदत्त अनुदान		ऊर्जीकृत पंपों की संख्या	प्रदत्त अनुदान	
			संख्या	राशि (रूपये करोड़ में)		संख्या	राशि (रूपये करोड़ में)		संख्या	राशि (रूपये करोड़ में)		संख्या	राशि (रूपये करोड़ में)		संख्या	राशि (रूपये करोड़ में)
1	रायपुर	256	287	2.19	532	591	3.59	404	537	3.25	321	495	2.90	141	0	0
2	बलौदाबाजार	725	310	2.55	876	1023	8.50	783	534	4.66	425	619	5.06	227	0	0
3	गरियाबंद	805	560	5.95	854	1019	14.05	819	903	10.07	579	581	4.30	413	0	0
4	धमतरी	892	1903	7.76	1402	1402	9.00	1145	1223	11.20	823	1299	7.21	326	0	0
5	महासमुंद	1806	1818	14.57	2010	2010	16.40	2160	2100	18.42	1937	2689	21.97	752	0	0
6	दुर्ग	524	470	3.07	1270	931	6.64	1366	1212	8.83	994	1076	7.50	493	0	0
7	बालोद	478	471	3.56	984	762	6.28	912	1030	8.65	1121	1358	9.71	299	0	0
8	बेमेतरा	1903	2059	17.02	3981	3822	31.36	1831	2142	18.79	1289	1542	15.05	469	0	0
9	राजनांदगांव	646	530	6.15	2364	1154	11.12	2190	2494	22.47	1733	3393	8.45	737	0	0
10	कबीरधाम	937	849	7.70	2526	440	4.04	1211	1236	11.54	1080	2751	23.18	413	0	0
11	बस्तर	117	48	0.58	283	234	1.21	443	312	2.11	300	1656	10.76	492	0	0
12	दंतेवाड़ा	30	26	0.14	238	198	1.76	171	272	4.02	104	23	2.20	0	0	0
13	सुकमा	0	4	0.00	11	7	0.04	114	110	0.85	51	51	0.32	14	0	0
14	बीजापुर	2	0	0.01	65	41	0.08	4	4	0.03	4	14	0.06	13	0	0
15	कांकेर	101	325	3.49	1269	694	8.56	1427	1114	10.90	1528	2881	27.41	650	0	0
16	कोंडागांव	37	52	2.01	615	393	3.48	674	1312	9.62	911	1024	8.89	641	0	0
17	नारायणपुर	10	2	0.12	82	14	0.25	53	28	0.22	30	75	0.18	50	0	0

18	बिलासपुर	1004	156	1.92	391	488	5.37	1028	606	7.94	880	1205	10.71	445	0	0
19	मुंगेली	713	162	1.61	605	377	3.71	474	182	1.67	287	818	7.72	245	0	0
20	जांजगीर–चांपा	216	60	0.39	487	286	1.91	575	301	2.10	723	485	2.81	255	0	0
21	कोरबा	62	54	0.62	33	55	0.69	142	96	0.42	141	99	0.74	73	0	0
22	रायगढ़	611	282	1.99	1163	501	3.52	4392	1428	10.52	1949	1843	25.62	709	0	0
23	जशपुर नगर	90	16	0.65	29	21	0.70	341	233	2.34	668	207	1.86	22	0	0
24	सरगुजा	66	94	0.70	416	464	2.59	509	648	4.83	962	646	4.19	191	0	0
25	सुरजपुर	251	39	0.29	248	151	1.76	523	198	1.73	575	137	0.55	285	0	0
26	बलरामपुर	67	56	0.43	334	95	1.00	354	195	1.68	296	285	1.98	198	0	0
27	कोरिया	10	10	0.08	132	46	0.82	207	94	0.66	275	86	0.67	165	0	0
	योग	**12359**	**9743**	**85.57**	**23200**	**17219**	**148.47**	**24192**	**20544**	**179.52**	**19986**	**27338**	**212.00**	**8718**	**0**	**0**

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 2620) के भाग (ख) की जानकारी]

कोण्डागांव जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में आवंटन हेतु प्राप्त राशि में से पंचायतों को संवितरण की जानकारी

क्र0	ग्राम पंचायत का नाम	पंचायतों को उपलब्ध राशि (राशि लाख में)		
		ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोकोड़ी	29.08	17.58	46.66
2.	राजागांव	19.07	7.56	26.63
3.	मसोरा	1.44	0	1.44
4.	बम्हनी	1.92	0	1.92
5.	सुकुरपाल	1.65	0	1.65
6.	पलारी	0.65	0	0.65
7.	गट्टीपलना	20.03	8.53	28.56
योग		**73.84**	**33.67**	**107.51**

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2628) के भाग (क) की जानकारी]

(अ) जिला गरियाबंद अंतर्गत स्वीकृत उत्खननपट्टा/उत्खनन अनुज्ञापत्र की जानकारी

क्र.	पट्टेदार का नाम	खदान ग्राम का नाम	खनिज का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रमोद तिवारी, आ. हरेन्द्र तिवारी, इन्दिरा चौक श्यामनगर रायपुर	बासीन	फर्शीपत्थर	1327	2.80 एकड़
2	श्री राजेन्द्र गुप्ता राजिम	बरभांठा	फर्शीपत्थर	42	0.485 हे
3	अजय कुमार जादवानी आ. श्री रामचंद जादवानी निवासी बासीन जिला गरियाबंद	बासीन	फर्शीपत्थर	1177, 1178	8.00 एकड़
4	श्री मोहन साहू	बासीन	फर्शीपत्थर	1178	1.011 हे
5	श्रीमती प्रीति शर्मा	सोनासिल्ली	मिट्टी ईट	138,140,141,144,145,151,157,158,159,160	1.77 हे
6	श्री प्रमोद छल्लानी	बिनौरी	फर्शीपत्थर	2,3,4,8/1,3	2.497 हे
7	श्री कमल ऐशानी	बासीन	फर्शीपत्थर	1318,1319,1320,1321,1322	0.431 हे
8	श्री ललीत महाडिक	बासीन	फर्शीपत्थर	848/27	0.340 हे
9	सतनाम टाईल्स	बासीन	फर्शीपत्थर	1017,1019	0.40 ए
10	सतनाम टाईल्स	बासीन	फर्शीपत्थर	1327	1.25 ए
11	श्री धर्मेन्द्र परमार	बासीन	फर्शीपत्थर	1006, 1007	0.42 ए
12	श्री संतोष उपाध्याय	बरभांठा	फर्शीपत्थर	165,162/2, 168,169/2,170,178	0.590 हे
13	श्री संतोष उपाध्याय	बरभांठा	फर्शीपत्थर	88/1	1.10 ए
14	श्रीमती सुंअजना उपाध्याय	भसेरा	फर्शीपत्थर	1075/1, 1075/2	1.25 हे
15	श्री भागीरथी साहू	बरभांठा	फर्शीपत्थर	1461	0.47 हे
16	श्री रमेश कुमार साहू	बिनौरी	फर्शीपत्थर	30,32	2.60 हे
17	श्रीमती अनिता सोनी	बरभांठा	फर्शीपत्थर	27	0.370 हे.
18	श्री रमेश यादव	बिजली	फर्शीपत्थर	1027,1029,1031	1.744 हे
19	जय मौली माता (शीतल राजपूत)	बरभांठा	फर्शीपत्थर	17,20,21,22,23,34,35	1.223 हे
20	श्री अंचल कुमार	बासीन	फर्शीपत्थर	843/1	1.95 ए
21	श्रीमती सरीता सराफ	भसेरा	फर्शीपत्थर	1050,1052	0.19 हे
22	जय मां रमईपाठ (फगेन्द्र यदु)	बरभांठा	फर्शीपत्थर	12,44,45	1.202 हे
23	मेरार्स अभिषेक टाइल्स	बरभांठा	फर्शीपत्थर	108,109	1.10 ए
24	श्री योगेन्द्र साहू	बासीन	फर्शीपत्थर	1416	0.51 हे
25	सतगुरू टाइल्स प्रो पहाटिया	बासीन	फर्शीपत्थर	1327	0.405 हे
26	श्री तुलेश राजपूत	जंगलधवलपुर	साधारण पत्थर	144	3.44 ए

क्र.	पट्टेदार का नाम	खदान ग्राम का नाम	खनिज का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
27	गुरूकृपा पालिसिंग कुष्णा मेघवानी	बिनौरी	फर्शीपत्थर	53	2.46 ए
28	मेसर्स जय मां भवानी प्रो. प्रमोद तिवारी	बासीन	फर्शीपत्थर	1315,1316,1317,1337,1338	0.803 हे
29	आरती इन्फ्रास्ट्रचर	खट्टी	डोलेराइट	583	04.08 हे
30	श्रीमती संतोषी बाई सिन्हा	बासीन	फर्शीपत्थर	1012	0.42 हे
31	श्रीमती विनिता शर्मा	बासीन	फर्शीपत्थर	1027,1028	0.31 हे
32	श्री रामविशाल ओगरे	बासीन	फर्शीपत्थर	1014	2.30 ए
33	श्री रानुलाल जैन	बासीन	फर्शीपत्थर	1012	1.052 हे
34	श्री ईश्वर जोशी	बिनौरी	फर्शीपत्थर	31	0.40 हे
35	श्रीमती भावना श्रीवास	बासीन	फर्शीपत्थर	1472/1, 1472/2	0.43 हे
36	श्री यादराम साहू आत्मज श्री रामजी साहू	बासीन	फर्शीपत्थर	1460	0.45 हे
37	श्री नरोत्तम साहू आत्मज श्री मोहर साहू	जडजडा	ग्रेनाइट	77	3.80 हे.
उत्खनन अनुज्ञा पत्र					
1	गुंजन कन्स्ट्रक्शन प्रो0 श्री हरीश साहू	पोंड़	मुरुम	1044/1, 1044/2	0.72 हे.

(ब) गरियाबंद जिला अंतर्गत् पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर संचालित रेत खदानों की जानकारी :–

क्र	रेत खदान का नाम एवं ग्राम का नाम	संचालक ग्राम पंचायत का नाम	खसरा न.	रकबा	नदी का नाम	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	रावड़	ग्राम पंचायत रावड़	1	6.00 हे	महानदी	28.07.2017 से 27.07.2019
2.	सोनासिल्ली	ग्राम पंचायत सोनासिल्ली	430	5.29 हे	पैरीनदी	06.04.2016 से 05.04.2018
3.	कोदोबत्तर	ग्राम पंचायत कोदोबत्तर	179	9.00 हे	पैरीनदी	27.05.2016 से 26.07.2018
4.	कोदोबत्तर 2	ग्राम पंचायत कोदोबत्तर	179,235	10.00 हे	पैरीनदी	24.03.2017 से 23.03.2019
5.	कोपरा क्रमांक अ	ग्राम पंचायत कोपरा	3756	5.05 हे	पैरीनदी	14.03.2016 से 13.03.2018
6.	कोपरा क्रमांक ब	ग्राम पंचायत कोपरा	5576	12 05 हे	पैरीनदी	17.03.2016 से 16.03.2018
7.	चौबंबाधा	ग्राम पंचायत चौबंबाधा	147	12.00 हे.	पैरीनदी	09.02.2016 से 08.02.2018
8.	बारूका क्रमांक 1	ग्राम पंचायत बारूका	4	18.00हे	पैरीनदी	02.06.2016 से 01.06.2018
9.	बहेराबुडा	ग्राम पंचायत बहेराबुडा	574	10.00हे	पैरीनदी	09.02.2016 से 08.02.2018
10.	कोसमखुटा	ग्राम पंचायत कोसमखुटा	864	6.00 हे	सूखानदी	08.02.2016 से 07.02.2018
11.	बिडारा	ग्राम पंचायत सरकड़ा	536	7.00 हे	सूखानदी	29.07.2016 से 28.07.2018
12.	पर्थरी (भेण्ड्री)	ग्राम पंचायत भेण्ड्री	676	13.00 हे	सूखानदी	21.07.2016 से 20.08.2018
13.	हथखोज	ग्राम पंचायत हथखोज	1/1	18.00 हे	महानदी	05.05.2017 से 04.05.2019
14.	बकली	ग्राम पंचायत बकली	1	5.00 हे	महानदी	06.04.2016 से 05.04.2018
15.	तर्रा	ग्राम पंचायत तर्रा	1	5.00 हे	पैरीनदी	19.04.2016 से 12.04.2018
16.	पर्थरी (भेण्ड्री) 02	ग्राम पंचायत भेण्ड्री	8	4.80 हे.	सूखानदी	26.10.2016 से 29.10.2018

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 2629) के भाग (क) की जानकारी]

दुर्ग जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में निम्न श्रेणी चूना पत्थर (गिट्टी) उत्खननपट्टा एवं रेत खदानों की जानकारी

निम्न श्रेणी चूना पत्थर (गिट्टी)

क्रमांक	पट्टेदार का नाम	ग्राम / तहसील	रकबा	स्वीकृत अवधि
वर्ष 2016-17				
01	धनष दम्मानी	गोंड़पेण्ड्री / पाटन	2.00 हे0	12.07.2016 से 11.07.2046
02	अक्षय जैन	गोंड़पेण्ड्री / पाटन	2.144 हे0	13.07.2016 से 12.07.2046
03	सोना माईन्स एण्ड मिनरल्स	पतोरा / पाटन	1.663 हे0	16.01.2017 से 15.01.2047
वर्ष 2017-18 (जनवरी 2018 तक)				
01	राधे मिनरल्स	पतोरा / पाटन	1.77 हे0	02.02.2018 से 01.02.2048
02	संजय अग्रवाल	गोंड़पेण्ड्री / पाटन	3.97 हे0	18.4.2017 से 17.04.2047

साधारण रेत

क्र.	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	नदी	खसरा नंबर	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2016-17						
1	समादा	समादा	दुर्ग	शिवनाथ नदी	01	6.00
2	बेलौदी	बेलौदी	दुर्ग	शिवनाथ नदी	996	5.48
3	दारगांव	दारगांव	धमधा	शिवनाथ नदी	682	5.83
4	बिरेझर	बिरेझर	दुर्ग	शिवनाथ नदी	1954, 920	5.00
5	हरदी	हरदी	धमधा	शिवनाथ नदी	01	5.2
6	जमराव	जमराव	पाटन	खारून नदी	1210	10.71
7	तितुरघाट	तितुरघाट	धमधा	शिवनाथ नदी	214	5.2
8	सोनपुर	सोनपुर	पाटन	खारून नदी	619	9.85
9	दनिया	दनिया	धमधा	शिवनाथ नदी	533	5.00
10	रूदा	खाड़ा	दुर्ग	शिवनाथ नदी	01	3.57
11	उफरा	उफरा	पाटन	खारून नदी	1165 भाग	5.00
12	सगनी	सगनी	धमधा	शिवनाथ नदी	01	2.00
13	मेड़ेसरा	मेड़ेसरा	धमधा	शिवनाथ नदी	255	2.00
वर्ष 2017-18 (जनवरी 2018 तक)						
1	गोता	गोता	धमधा	शिवनाथ नदी	98, 173	5.20
2	दानीकोकड़ी	दानीकोकड़ी	धमधा	शिवनाथ नदी	778	7.00
3	करेली	करेली	धमधा	शिवनाथ नदी	1135	4.32
4	मोतिमपुर	राहटादाह	धमधा	शिवनाथ नदी	66 भाग	3.29
5	मेड़ेसरा	मेड़ेसरा	धमधा	शिवनाथ नदी	103	4.00
6	तिरगा	तिरगा	दुर्ग	शिवनाथ नदी	129 भाग	4.51
7	ननकट्ठी	ननकट्ठी	दुर्ग	शिवनाथ नदी	672 भाग	4.95
8	पीपरछेड़ी	पीपरछेड़ी	दुर्ग	शिवनाथ नदी	502 भाग	4.856
9	कोनारी	कोनारी	दुर्ग	शिवनाथ नदी	172 भाग	3.64
10	तर्रीघाट	तर्रीघाट	पाटन	खारून नदी	1190 भाग	5.00
11	खाड़ा	खाड़ा	धमधा	शिवनाथ नदी	240	8.5
12	सिल्ली	सिल्ली	धमधा	शिवनाथ नदी	281	11.4
13	थनौद	थनौद	दुर्ग	शिवनाथ नदी	2820	14.50

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2640) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में लोक सुराज अभियान वर्ष 2017 एवं 2018 में प्राप्त, निराकृत एवं लंबित शिकायत/मांग संबंधी आवेदनों की विकासखण्डवर जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2017						वर्ष 2018					
		मांग संबंधी आवेदन			शिकायत संबंधी आवेदन			मांग संबंधी आवेदन			शिकायत संबंधी आवेदन		
		प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बरमकेला	12590	12590	0	259	259	0	16974	4672	12302	388	25	363
2	सारंगढ़	38509	38509	0	225	225	0	22369	6971	15398	392	11	381
3	पुसौर	23282	23282	0	458	458	0	19953	6900	13053	367	8	359
4	रायगढ़	25137	25137	0	834	834	0	16697	1122	15575	733	23	710
5	खरसिया	19556	19556	0	599	599	0	21226	7490	13736	768	103	665
6	धरघोड़ा	12100	12100	0	163	163	0	10802	1681	9121	98	3	95
7	तमनार	7367	7367	0	112	112	0	5762	1852	3910	193	4	189
8	लैलुंगा	14878	14878	0	140	140	0	19434	2153	17281	354	0	354
9	उदयपुर(धरमजयगढ़)	17318	17318	0	216	216	0	16309	583	15726	349	1	348
महायोग -		**170737**	**170737**	**0**	**3006**	**3006**	**0**	**149526**	**33424**	**116102**	**3642**	**178**	**3464**

परिशिष्ट "उनचालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2644) के भाग (ग) की जानकारी]

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा बेचे गये चूनापत्थर प्रास्पेक्टिंग रिपोर्ट की जानकारी

क्र.	कंपनी का नाम	ग्राम	जमा राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मेसर्स अम्बूजा सीमेंट लि.	करमाडीह, मल्दी, मोपार	80,00,000
2	मेसर्स ग्रासिम सीमेंट लि.	कुकुरडीह	69,30,000
3	मेसर्स इमामी सीमेंट लि.	फरसाभदेर	78,30,000
4	मेसर्स रूंगटा माइन्स लि. झारखण्ड	मोहरा (ईस्ट)	55,10,000
5	मेसर्स श्री सीमेंट लि., राजस्थान	सेमराडीह	61,20,000
6	मेसर्स मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लिमिटेड, रायपुर	गुमा, पौंसरी	63,94,000
7	मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, नई दिल्ली	चुचरूंगपुर, अमलीडीह	29,20,000
8	मेसर्स सिंघल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	बारगांव क्षेत्र जिला–चांपा जांजगीर	27,00,000
9	मेसर्स सिंघल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	बारगांव क्षेत्र जिला–चांपा जांजगीर	17,00,000
10	मेसर्स आधुनिक कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकता	चिराही–नवारी ब्लाक, रायपुर	33,80,000
11	मेसर्स मोनेट इस्पात एवं एनर्जी लिमिटेड, रायपुर	गैतरा जिला–रायपुर	24,00,000
12	मेसर्स ग्रासिम सीमेंट तह.पलारी,रायपुर	गूमा, जिला रायपुर	34,40,000
13	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एवं पावर लि. कोलकाता	अछोली लि. दुर्ग	40,00,000
14	इलेक्ट्रो स्टील कास्टींग लिमिटेड	नवापारा डोंगरिया, पटपार	52,30,000
15	टापवर्थ सीमेंट प्रा. लि.	घोटवानी ब्लाक	14,00,000
16	मेसर्स मानहरुका सीमेंट प्रा.लि.	चारभाठा,मुरमंदा एवं भालूकोना	40,00,000
17	मेसर्स जायसवाल निको रायपुर	फरसाभदेर एवं कोकाड़ी, जिला–रायपुर	16,00,000
18	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर	ग्राम गोटा– माटरा एवं हरदी, जिला–दुर्ग	64,50,000
19	मेसर्स के.पी. सीमेन्ट, प्रा.लि. दुर्ग	ग्राम गोटा– माटरा एवं हरदी, जिला–दुर्ग	16,00,000
20	मेसर्स के.पी. सीमेन्ट, प्रा.लि. दुर्ग	ग्राम गोटा– माटरा एवं हरदी, जिला–दुर्ग	2,80,000
21	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड रायपुर	मोहरेंगा–बंगोली, जिला– रायपुर	72,50,000
22	मेसर्स इमामी सीमेंट लि.	फरसाभदेर	3,60,000
23	श्रीमती कमलीबाई कश्यप, जगदलपुर	ग्राम बड़ांजी, जिला–जगदलपुर	50,000
24	श्रीमती कुसुम बाफना, जगदलपुर,	ग्राम बड़ांजी, जिला–जगदलपुर	70,000

परिशिष्ट "चालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 2652) के भाग (क) की जानकारी]

बंधक बनाये जाने की शिकायत की जिलेवार जानकारी

क्र0	जिले का नाम	वर्ष	प्राप्त शिकायत संख्या	शिकायत में उल्लेखित बंधक बनाये गये श्रमिको की संख्या	पाये गये बंधक श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	2016-17	1	0	0
		2017-18	1	14	0
2	धमतरी	2017-18	1	2	2
3	महासमुंद	2015-16	1	12	0
		2016-17	5	35	0
		2017-18	1	7	0
4	बलौदाबाजार	2014-15	1	9	9
		2015-16	2	11	0
		2016-17	1	2	0
5	दुर्ग	2016-17	1	12	12
6	राजनांदगांव	2014-15	1	5	5
		2015-16	1	6	6
		2017-18	1	19	0
7	बिलासपुर	2014-15	59	949	96
		2015-16	21	320	36
		2016-17	25	379	66
		2017-18	32	469	60
8	जांजगीर-चांपा	2014-15	45	775	11
		2015-16	35	606	66
		2016-17	39	782	0
		2017-18	13	212	0
9	रायगढ़	2014-15	3	40	14
		2015-16	3	52	0
		2016-17	4	26	0
		2017-18	2	15	0
10	मुंगेली	2014-15	1	35	0
		2015-16	4	20	0
		2016-17	1	19	0
		2017-18	1	1	0
11	बलारामपुर	2016-17	1	3	0
		2017-18	1	1	0
12	बस्तर	2014-15	3	54	15
		2015-16	1	14	0
		2016-17	2	20	13
		2017-18	2	8	0
13	नारायणपुर	2014-15	2	7	43
		2015-16	2	36	35
14	दंतेवाडा	2014-15	1	3	0
		2015-16	2	21	0
		2016-17	2	23	0
15	बीजापुर	2015-16	2	16	0
		2016-17	1	16	0
16	कोण्डागांव	2015-16	1	6	6
		2016-17	2	7	0
	योग		331	5069	495

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—156—2/2018—400.